Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ३९वां दिवस [संख्या २७

शनिवार, २ अप्रेल, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत, स्वायत्त शासन, गृह तथा यातायात-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री मोहब्बत सिंह।

रेवदार तहसील में ट्यूब वेल्स और सिंचाई की योजनाएं

८०९. श्री मोहब्बत सिंह (सिरोही) : Will the Irrigation Minister be pleased to state :-

Whether the Government is aware of the availability of perennial water in the five rivers of Reodar tehsil flowing between Mandar and Reodar at a distance of ten miles ? If so, does the Government propose to get surveyed the possibility of tube wells and other irrigation schemes in this area ?

उप. मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जी नहीं। इन नदियों से संभावित सिंचाई की जांच के लिये आज्ञा जारी कर दी गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) :यह आज्ञा कब जारी की है ?

श्री दौलतराम सारण : २४-३-६० को ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

ठिकाना खेतड़ी के गेस्ट हाउस के सूरजा पुत्र छोटू हरिजन को वेतन का भुगतान

८१०. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No.2

(श्री भैरोंसिंह)

(क) क्या यह सही है कि सन् १९५४ में जब ठिकाना खेतडी का पुनर्ग्रहण हुआ, उस समय से सूरजा पुत्र छोटू हरिजन साकिन कोटपूतली स्थानीय Guest House में भंगी का कार्य करता आ रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसको अब तक कोई तनख्वाह नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं टाइम चाहता हूं जबाव के लिए ।

श्री अध्यक्ष : Next week.

श्री हरिश्चन्द्र : Next week ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

चम्बल से आने वाली बिजली के लिये जयपुर में शक्ति केन्द्र

८११. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) चम्बल से आने वाली बिजली के लिये जयपुर शहर में नगरपालिका की सीमा के भीतर कहां कहां शक्ति केन्द्र बनाने की योजना है ?

(२) क्या इस उद्देश्य से उक्त स्थानों में कुछ भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(३) इस अवाप्तिकरण से कुल कितने परिवार प्रभावित हुए तथा उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ?

(४) क्या उन लोगों को बसाने की दिशा में भी सरकार ने कोई कोशिश की ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या इनमें से एक प्रस्तावित शक्ति केन्द्र तक के लिए बाईस गोदाम के पास से सड़क बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सड़क बाईस गोदाम में बसी हुई बस्ती के बीच में से होकर जायेगी ?

(६) जो घर सड़क में आयेंगे उनके निवासियों को उस स्थान से उठा कर कहां कहां पर बसाये जाने की योजना है ?

(७) क्या इस सड़क को बस्ती से बचाकर नहीं निकाला जा सकता जिससे विभाग और जनता दोनों को सुविधा हो ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सोडावाला और सुदर्शनपुरा में एक शक्ति केन्द्र बनाने की योजना है ।

(२) जी हां । २७ बीघा १० बिसवा ।

(३) ११ परिवार । जिनको कुल मिला कर १७,१०७.१६ दिये गये ।

(४) मुआवजा देने के उपरान्त कोई योजना का प्रश्न नहीं उठता ।

(५) ऐसी कोई सड़क नहीं बनाई गई है ।

(६) प्रश्न नहीं उठता ।

(७) प्रश्न नहीं उठता ।

Page No.3

डॉ० चन्द्रकला : यह मुआवजा तो उनको जायदाद का मिला, लेकिन नगरपालिका सीमा में कोई जगह नहीं बताई । वे कहां जांय बसने के लिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : हमारा प्रश्न बिजली तक था, उसके लिए जमीन ली, उसका मुआवजा देने से हमारा सम्बन्ध है, वह दे दिया गया है । वे जहां जाना चाहें, जा सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : कोई सड़क नहीं बन रही, यह आपने जवाब दिया। यह आपने किस आधार पर कहा ? वहां काफी दिनों से सड़क के लिए मार्क हो चुका है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिए पुछवाया था; उन्होंने कहा नहीं, कि बन रही है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : शक्ति केन्द्र बन रहा है, इसमें शक्ति कब आयेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

श्री पी० के० चौधरी : When will this 'Shakti' come, Sir ?

श्री अध्यक्ष : He wants notice for that.

सिरोही जिले में बारलूथ नदी पर उच्चमार्ग (Causeway) का निर्माण

८१२. **श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही)** : Will the public Works Minister be pleased to state :-

Does the Government contemplate to construct causeway on Barlooth river in Sirohi district ? If so, what is being done in this connection ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : Yes. The estimate is under technical scrutiny.

श्री मोहब्बतसिंह : Since when it is under technical scrutiny and how long will it take more ?

श्री हरिश्चन्द्र : The entire estimated cost for the project is 2 lacs 14 thousand and the work amounted to 42.895 has already been taken and plan for the construction of causeway for the amount of one lac ninety thousand three hundred twenty has been prepared and it is under technical scruitny and I hope the work will be started early.

श्री मोहब्बतसिंह : Does the Government contemplate to complete the work by the end of the Second Five Year Plan ?

श्री हरिश्चन्द्र : No.

श्री अध्यक्ष : श्री गोवरधनसिंह केन ।

भरतपुर शहर में हरिजनों के मोहल्लों में पानी पीने के नल

८१३. **श्री गोवरधनसिंह केन**

Page No.4

(श्री गोवरधनसिंह)

(बयाना-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) भरतपुर शहर में हरिजनों के कितने मोहल्ले हैं और उनकी कितनी कितनी आबादी है ? जातिवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(ख) हरिजनों के मोहल्लों में पानी पीने के कितने नल लगवाये गये हैं ? मोहल्ले वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। शहर में कुल कितने नल लगवाये जा रहे हैं और इनको कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पत राम) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब देने के लिए बहुत डिटेल्स में जाना पड़ेगा, इसमें हरिजनों के मोहल्ले और आबादी की जातिवार सूची मांगी गई है। तो कम से कम १५ दिन और देने चाहिए।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : १५ दिन में असेम्बली खत्म हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : (ख) पार्ट का उत्तर दे दीजिये।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : नल का बता दीजिये।

श्री सम्पतराम : वह एक साथ जवाब दिया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : कितने नल लगे हैं, यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप (ख) पार्ट का जवाब नेक्स्ट टर्न तक दे दीजिये।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के कर्मचारी, श्री जी० के० व्यास द्वारा गलत बिल बनाना

८१५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के कर्मचारी श्री जी. के. व्यास ने जनरल मार्केटिंग कम्पनी, जयपुर के प्रोफॉर्मा की एक रसीद बुक किसी प्रेस से लेकर उसमें गलत बिल बना कर संचालक के सम्मुख पेश किया था ?

(ख) क्या यह सही है कि यह बिल संचालक की आज्ञा से ट्रेज़री भेज दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि ऐसे प्रोफॉर्मा की बुक की जानकारी सेल्स टैक्स तथा एन्टी करप्शन विभाग को हो गई तथा उनकी जांच का सुराग संचालक को लगने पर वह बिल ट्रेज़री से वापिस मंगवा लिया गया ?

(घ) इस सम्बन्ध में विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) रसीद बुक के बारे में कोई सूचना नहीं

Page No.5

(श्री रामकिशोर व्यास)

है । एक बिल ऐसा अवश्य पेश किया गया था ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सम्बन्धित व्यक्ति को कड़ी चेतावनी दी गई ।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल पेश किया गया, यह जनरल मार्केटिंग कम्पनी का था या और किसी का था ?

श्री रामकिशोर व्यास : कहां से प्राप्त हुआ उनको, वह पता नहीं है । पर पेश जरूर किया, जैसा आप कहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल पेश किया, यह बिल जनरल मार्केटिंग कम्पनी, जयपुर का था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा जो सुरखी है, हैडिंग है, वह प्रिन्टेड है। हो सकता है, आपने जिसके लिए फर्माया वहां से लिया हो । मुझे यह पता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं नहीं पूछ रहा हूं । जिस बिल को पेश करना आप मंजूर करते हैं, उस पर 'जनरल मार्केटिंग कम्पनी, जयपुर', इस प्रकार की भाषा लिखी हुई थी या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मानना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में जानकारी की है कि जनरल मार्केटिंग कम्पनी से बिल प्राप्त किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें ऐसा है, आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं, यह मामला नोटिस में आया था और उस पर डी. ई. के ऑर्डर कर दिये ?

श्री भैरोंसिंह : यह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के ऑर्डर कब किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख मुझे मालूम नहीं है, महीने डेढ़ महीने में हुआ होगा; अन्दाज़ ऐसा लगता है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

श्री भैरोंसिंह : क्या एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट इन्क्वायरी कर रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां नहीं गया था । डिपार्टमेंट में इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मण हीरात ।

कोटड़ा, गोगूंदा, फलासिया, खेरवाड़ा तथा सराड़ा, जिला उदयपुर में सर्वेक्षण कार्य

८१५. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगूंदा सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) उदयपुर जिले के कोटड़ा, गोगूंदा, फलासिया, खेरवाड़ा तथा सराड़ा के किन किन स्थानों की सर्वे सन् ५२ से अब तक की

Page No.6

(श्री लक्ष्मण हीरात)

गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) खेरबाड़ा तहसील के अमरपुरा केनाल से अब तक कितनी आमद हुई ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त केनाल से रहटों द्वारा सिंचाई की जाती है और नहर की पीवल ली जाती है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार जो पिवल ली गई है, उसे किसानों को वापिस दिलाने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) अमरपुरा केनाल से सन् १९५७-५८ व सन् ५८-५९; यानि दो सालों में ६७६२) रु० की आमदनी हुई । सन् १९५९ ६० की पिलाई अभी तक हो रही है ।

(३) यह सही है कि अमरपुरा नहर से लिफ्ट इर्रिगेशन रहटों द्वारा भी होता है । जहां रहटों से पिवल होती हैं वहां लिफ्ट इर्रिगेशन की रेट ही चार्ज होती है । नहर की रेट नहीं ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात : नादेशना की सर्वे कब हुई और कितनी रकम मंजूर हुई ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, पर जिन जिन वर्क्स का सर्वे हुआ, सूची दे दी गई है ।

श्री लक्ष्मण हीरात : सावरा का कब हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख मेरे पास नहीं है, पर जिनकी सर्वे हो चुकी है उनकी सूची मैंने आपको दे दी है ।

प्रश्न संख्या ८१६.

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

बीकानेर नगरपालिका के कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का वेतन

८१७. **श्री दयाकृष्ण विजय** [छबड़ा श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जुलाई व अगस्त मास सन् १९५८ में बीकानेर नगरपालिका के कर्मचारियों ने कितने दिन हड़ताल की ?

(ख) क्या इन हड़ताल के दिनों का वेतन इन हड़तालियों को दिया गया है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) (क) जुलाई व अगस्त सन् १९५८ में

(श्री सम्पतराम)

निम्नलिखित कर्मचारियों ने २६ दिन तक हड़ताल की :—

(१) मिनिस्टीरियल स्टाफ १६ कर्मचारी

(२) चपरासी व जमादार ७६ कर्मचारी

(३) हरिजन ५४१ कर्मचारी

(ख) जी हां ।

प्रश्न संख्या ८१८.

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री सूबेदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

धौलपुर उप-जिले की नहरें

८१६. श्री सूबेदारसिंह [(बाड़ी-डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) धौलपुर उपजिले में पार्वती बंध की नहरों को छोड़कर कुल कितनी लम्बाई की नहरें है ?

(२) सन् १६५६ में उक्त नहरों की मरम्मत में कितना धन खर्च हुआ ?

(३) सरकारी नियमानुसार प्रति मील कितना खर्च नहरों को मरम्मतों पर करना चाहिये ? क्या यह खर्च पिछले १० साल से बराबर हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या इन नहरों से बेकार निकलने वाले पानी को रोका जायगा ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) धौलपुर सब-डिवीजन में पार्वती बांध की नहरों को छोड़ कर बाकी नहरों व माइनर्स की लम्बाई लगभग ५६ मील है ।

(२) सन् १६५६ में उक्त नहरों की मरम्मत में २०,४००) रु० के लगभग खर्च हुआ था ।

(३) खर्चा आवश्यकतानुसार किया जाता है । इसके लिये कोई दर नियुक्त नहीं की हुई है । पिछले सालों में भी जरूरत के मुताबिक मरम्मत पर खर्च होता रहा है ।

(४) इन नहरों से जो पानी झिराब (सीपेज) द्वारा खराब होता है उसको रोकने की योजना विचाराधीन है ।

डॉ० बहादुरसिंह : जब से नहरें बन रही हैं तभी से विचाराधीन है, अब सरकार इसको कब तक विचाराधीन रखेगी ?

श्री दौलतराम सारण : क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह : नहर से जो पानी जा रहा है ।

श्री दौलतराम सारण : इस वर्ष में स्कीम सीपेज को रोकने के लिए रखी गई है ।

Page No.8

(श्री दौलतराम सारण)

डॉ० बहादुरसिंह : सीपेज नहीं होता, डिपार्टमेंट काट कर कर देता है।

श्री दौलतराम सारण : काटने का प्रश्न नहीं, नहर से पानी भिरता-बहता है, उसका प्रश्न है।

डॉ० बहादुरसिंह : इसमें पूछा है न, क्या नहरों से बेकार निकलने वाले पानी को रोका जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : 'सीपेज' से मतलब है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

जौहरी बाजार, जयपुर, की सड़क व्यवस्था में परिवर्तन

८२०. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि जौहरी बाजार, जयपुर की सड़क व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

(ख) उक्त परिवर्तन में कुल कितना व्यय होने की संभावना है और इस व्यय को नगरपालिका वहन करेगी या राजस्थान सरकार ?

(ग) सार्वजनिक हित के अन्य जरूरी काम सामने होते हुए पहले इस तोड़-फोड़ कार्य को ही क्यों हाथ में लिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

१. दोनों तरफ से दरख्त हटाना।

२. दोनों तरफ की छोटी पटरी हटाना।

३. बिजली के खम्भे नये लगाना।

४. बीच सड़क में पटरी बनाना और टार रोड़ बनाना।

५. पहले वाली दोनों पटरी की जगह टार रोड़ बनाना।

(ख) ३८,३६३ रुपया, यह खर्चा नगरपालिका वहन करेगी।

(ग) अन्य काम भी हो रहे हैं और यह भी जरूरी समझा गया क्योंकि दोनों तरफ की पटरियों के रहने से सड़क की चौड़ाई कम हो कर एक्सीडेन्ट का सदा भय रहता था।

डॉ० चन्द्रकला : कहा गया कि अन्य काम हो रहे हैं, तो अन्य काम क्या क्या हो रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने भी सदन में कई बार विभिन्न बस्तियों के बारे में प्रश्न किये हैं। फिर भी महरबानी फरमायेंगी तो जबाब दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपकी योजना के अनुसार ये काम कब पूरे हो जायेंगे ?

श्री सम्पतराम : काम पूरे हो रहे हैं। आप जा कर देखिये, जौहरी बाजार में काम

Page No.9

(श्री सम्पतराम)

हो रहा है ! तारीख तो मैं नहीं दे सकता पर जल्दी ही पूरे करने की कोशिश की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : पटरियों को हटाया नहीं जा रहा है, पटरियों को तोड़ा गया है उसकी जगह सड़क बन रही है, इससे ट्रैफिक में बड़ी गड़बड़ रहती है, इसलिये पूछा है कि कब तक यह काम पूरा हो जायगा ?

श्री सम्पतराम : निश्चित तारीख तो नहीं दे सकता, पर इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश की जा रही है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि कई जगह सड़कें टूटी-फूटी और बहुत खराब हैं, कई गलियों में सड़कें नहीं हैं, रोड लाइट्स नहीं हैं, तो वहां प्रबन्ध करने से पहले यह जो पहले से है उसमें तोड़-फोड़ करना उससे ज्यादा आवश्यक क्यों समझा गया ?

श्री सम्पतराम : सभी को समान रूप से इम्पोर्टेन्स देते हैं। जौहरी बाजार में वन वे ट्रैफिक है, टूरिस्ट्स आते रहते हैं, इसलिये इसको भी ठीक करवाना उचित समझा गया। यों दूसरी जगह भी काम चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार गृह मन्त्रीजी की कॉन्स्टीटएयुन्सी में गंगापोल सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आपकी मेहरबानी होगी तो हो जायगी।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

महुआ से हिन्डौन तक डामर की सड़क

८२१. श्री उम्मेदीलाल (करौली सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि महुआ से हिन्डौन तक की सड़क का २३ मील का टुकड़ा बिल्कुल खराब हालत में है ?

(ख) क्या सरकार इस टुकड़े को डामर का बनवाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, कार्य चालू है।

श्री उम्मेदीलाल : कब पूरा होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : ८ मील सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में और १६ मील थर्ड फाइव इयर प्लान में।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पुलिस विभाग में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियां

८२२. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :

Page No.10

(श्री भैरोंसिंह)

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) १ अप्रैल, सन् ५७, से लेकर अब तक कितने हैड कॉन्स्टेबल व कितने सब-इन्स्पेक्टर्स व इनके बराबर के ओहदेदार आर. ए. सी. से ए. पी. में ए. सी. से वायरलेस सेक्शन में, वायरलेस से सी. पी. में तथा सी. आई. डी. से सी. पी. में स्थानान्तरित अथवा नियुक्त किये गये और कब २ से तथा कौन ? कृपया सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(ख) पुलिस विभाग के उपरोक्त सेक्शन्स में किस २ सेक्शन से किस २ सेक्शन में स्थानान्तरण किया जा सकता है और किस किस में नहीं और क्यों ? इस सम्बन्ध में बने नियम अथवा आज्ञाएं हों तो कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(ग) जिन जिन सेक्शन्स से इनका स्थानान्तरण हुआ है, इन सेक्शन्स में ऐसे ओहदेदारों की नियुक्ति किस किस पद पर, और किस २ प्रकार से हुई है ?

(घ) क्या यह सही है कि ऐसी हुई नियुक्तियां तथा स्थानान्तरण विभाग के प्रचलित नियमों अथवा व्यवस्थाओं के विपरीत हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन का और क्यों ?

(ङ) उपरोक्त स्थानान्तरण व नियुक्तियां किस २ अधिकारी द्वारा की गई हैं ?

(च) उपरोक्त एच० सी० अथवा एस० आईज़० की क्या क्या योग्यताएं हैं ? उन्होंने पुलिस सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण लिया हो तो किस २ कार्य का और कब २ ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल की सूचना इकट्ठा करने में काफी समय लगेगा। ५७,५८,५९ और ६० की हैड कॉन्स्टेबल, सब इन्स्पेक्टर व इनके बराबर ओहदेदारों की आर० ए० सी०, ए० पी०, ए० सी०, वायरलेस, सी० आई० डी० में ट्रान्सफर्स और नियुक्तियों के बारे में पूछा गया है।

श्री भैरोंसिंह : १० या १२ नम्बर हैं माननीय अध्यक्ष, ज्यादा नहीं हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने आर० ए० सी०, सी० आई० डी०, ए० पी०, ए० सी० और वायरलेस के ट्रान्सफर्स का पूछा है।

श्री अध्यक्ष : कितना समय लगेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक महीना भर।

श्री भैरोंसिंह : केवल दस-बारह केसेज़ हैं, ट्रान्सफर्स इल्लीगल हुए हैं, सबके ध्यान में है, मन्त्री महोदय के भी ध्यान में है।

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेसिफिक क्वेश्चन पुट अप करें तो उनकी फाइल्स निकलवा कर पेश कर दूं। ट्रान्सफर्स का अलग अलग तो रहता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : ऐसे केसेज हैं, जिनकी नियुक्तियां इस प्रकार हो नहीं सकतीं, पर नियुक्ति हुई है और गलत नियुक्तिय

Page No.11

(श्री भैरोंसिंह)

हुई है।

श्री अध्यक्ष : फिर जानकारी क्या चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह : मैं जानकारी चाहता हूं कि किन किन लोगों को दूसरे सेक्शन्स से दूसरे सेक्शन्स में ट्रान्स्फर किया है, जिनका कि ट्रान्स्फर किया नहीं जा सकता था, नियमों के खिलाफ हुआ है। वे नियम बता देवें, उनको बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ट्रान्स्फर्स के लिये पूछा है, उसके लिये कह रहे हैं कि लिस्ट देने में समय लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : आर० ए० सी० से पुलिस में, रेलवे में, वायरलेस में, वायरलेस से सी० पी० में कितने आये, सीविल पुलिस में डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट के अलावा इम्पोर्ट कितने हुए?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका सवाल है, "१ अप्रेल, सन् ५७ से ले कर अब तक कितने हैड कॉन्स्टेबल व कितने सब इन्स्पेक्टर व इसके बराबर के ओहदेदार आर० ए० सी० से ए० पी० में, ए० सी० से वायरलेस सेक्शन में, वायरलेस से सी० पी० में तथा सी० आई० डी० से सी० पी० में स्थानान्तरित अथवा नियुक्त किये गये और कब २ से तथा कौन?"

इसलिये इस इन्फोर्मेशन को गेदर करने में लम्बा टाइम लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : सी० आई० डी० से सी० पी० में कितने स्थानान्तरित किये गये?

श्री रामकिशोर व्यास : You will get that information, but time is required.

श्री भैरोंसिंह : मिलेगा कब? रूल्स तो दे दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : अगर क्वेश्चन को सीमित करें तो मन्त्री महोदय को जल्दी के लिये कहा जायगा।

श्री भैरोंसिंह : सीमित करता हूं, रूल्स दे दें।

श्री अध्यक्ष : रूल्स वाला तो जल्दी दे दें।

श्री रामकिशोर व्यास : इस क्वेश्चन को अमेंड करके पूछिये, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस क्वेश्चन को अमेंड करता हूं। रूल्स की कॉपी दे दीजिये और कह दीजिये कि रूल्स का वायोलेशन नहीं हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : पूछना चाहते हैं तो अलग से क्वेश्चन पूछ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : जवाब कब मिलेगा?

श्री रामकिशोर व्यास : आप पूछेंगे तब।

Page No.12

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप शोर्ट नोटिस क्वेश्चन दे दीजिये। इसी सेशन में जल्दी ही उत्तर मिल जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो सारा का सारा जवाब छोड़ता हूं। नियम क्या हैं, यही दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ज्ञानचन्द मोदी।

नीम का थाना तहसील के रायपुर पाटन बंध का निर्माण कार्य

८२३. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) नीम का थाना तहसील में रायपुर पाटन का बंध निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होने वाला है व कितने समय में पूरा हो जावेगा ?

(ख) इस कार्य में इतनी देरी किन कारणों से हुई ?

(ग) इसमें कुल कितनी लागत लगेगी ?

(घ) क्या इसका निर्माण कार्य सरकार स्वय अपनी देख-रेख में करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, सिचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) रायपुर पाटन बांध के निर्माण के क्रम में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन जारी हो चुकी है, टैक्निकल स्वीकृति होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

(ख) इस कार्य मे पंचाब सरकार की स्वीकृति न आने के कारण देरी हुई है।

(ग) इस कार्य के निर्माण में अनुमानिक लागत ६ लाख रुपया की होगी।

(घ) जी हां, सिंचाई विभाग की देख-रेख में हर एक सिंचाई कार्य होता है।

श्री शंकरलाल : कितनी भूमि की सिंचाई होगी इससे ?

श्री दौलतराम सारण : ये सिंचाई के आंकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं हैं।

जयपुर पॉवर हाउस के मीटर रीडर्स

८२४. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जयपुर पॉवर हाउस में कितने मीटर रीडर कार्य करते हैं।

(२) इन लोगों को अप्रेल सन् ५० के बाद में लगातार इस पद पर काम करते रहने पर भी परमानेन्ट न किये जाने का क्या कारण है ?

(३) अप्रेल सन् ५० के बाद भर्ती

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

होने वाले कुल कितने व्यक्तियों को मिनिस्टीरियल स्टाफ में परमानेन्ट किया गया ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) स्थाई ८ व अस्थाई १०; कुल १८।

(ख) १० अस्थाई कर्मचारी स्वीकृत नहीं होने पर परमानेन्ट नहीं किये गये।

(ग) एक भी नहीं।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : क्या यह सही है कि पहले से जो लोग काम कर रहे थे उनको न लेकर बाद के कितने लोगों को परमानेन्ट किया गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा, "जी नहीं"।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि मीटर रीडर जो मीटर रीडिंग का काम करते हैं वे रेगुलरली मीटर रीड नहीं करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : Next Question.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, I am asking a question,

श्री अध्यक्ष : This is a very vague question. जो उनकी डयूटी है उसके खिलाफ अगर काम करते हैं तो what information do you wish to get from the Hon'ble Minister ?

श्री पी० के० चौधरी : It is a common man's experience that every month we find they evade to read the meters in time.

श्री हरिश्चन्द्र : You can make a complaint about the individual, if so.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, जयपुर के ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही

८२५. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़, जयपुर, कार्यालय के ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट कई मामलों में कई बार सस्पेन्ड हो चुके हैं ? अगर हां, तो कब २ व किन किन मामलों में ?

(ख) उपरोक्त मामलों में क्या कभी विभागीय जांच उनके खिलाफ की गई ? अगर हां, तो उनमें उक्त व्यक्ति को क्या सजाएं मिलीं ?

(ग) क्या यह सही है कि इनको बार २ अपने ओहदे के लिए पी. एस. सी. से एक्सटेन्शन मिलता रहा है ? यदि हां, तो किसकी सिफारिश पर ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां, एक बार मुअत्तिल हुए थे। कारणों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री सम्पतराम)

(ख) जी हां। उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध होने पर सरकार ने उनको ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद से उच्च लेखक के पद पर डिमोट कर दिया व सस्पेन्शन पीरियड का वेतन ३/४ के हिसाब से दिया गया।

(ग) जन-सेवा आयोग द्वारा एक्सटेन्शन नहीं दिया गया है, निर्देशक स्थानीय निकाय द्वारा ही ६ महीनों का एक्सटेन्शन दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : काहे की प्रतिलिपि आप पूछते हैं।

प्रश्न संख्या ८२६

श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

(अनुपस्थित)

जिला पाली के दान्तीवाडा, राजपुरा, लाटाडा व पांचलवाडा के बांधों का निर्माण कार्य

८२७. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) : क्या सिंचाई विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला पाली के दान्ती वाडा, राजपुरा, लाटाडा व पांचलवाडा (उकटी) के बांधों पर सर्वे कार्य समाप्त होकर टेन्डस मंजूर हो चुके हैं? यदि हां, तो फिर कार्य चालू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) दांतीवाडा बांध का काम इस माह में चालू कर दिया है।

(२) राजपुरा बांध के टेन्डर्स २४. ४. ६० तक मांगे गये हैं और काम जल्दी ही शुरू कर दिया जावेगा।

(३) लाटारा बांध का तखमीना सरकार के विचाराधीन है और मंजूरी होने पर काम शुरू कर दिया जायेगा।

(४) पांचलवाड़ा योजना के लालगुढ़ा योजना के नाम से टेन्डर्स २४. ४. ६० तक मांगे गये हैं और कार्य जल्दी ही शुरू कर दिया जावेगा।

श्री शंकरलाल : यह कितने में मंजूरी हुई है।

श्री दौलतराम सारण : यह इन्फोर्मेशन मेरे पास इस समय नहीं है।

प्रश्न संख्या ८२८

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

Page No.15

भीलवाड़ा नगरपालिका के चुंगी के नाकेदार श्री फतेह मोहम्मद के विरुद्ध कार्यवाही

८२९. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगरपालिका के चुंगी के नाकेदार श्री फतेह मोहम्मद ने एक व्यापारी को चुंगी के ४८०० रु० की रसीद देकर डुप्लीकेट कॉपीज़ में केवल ८०० रु० दिखा कर नगरपालिका में केवल ८००) रु० जमा कराये ?

(२) क्या इस मामले की जांच हुई है ? यदि हां तो किसके द्वारा और इसका क्या परिणाम रहा तथा उक्त क्लर्क के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : This question has already been replied.

श्री भैरोंसिंह But not in this form

श्री सम्पतराम : This particular question was discussed on the floor of this House and it was properly replied by the Government.

श्री भैरोंसिंह : आप अब बता दीजिये, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुए हैं ?

श्री सम्पतराम : I have personally taken interest and asked the Municipal Board to dispose it of as early as possible.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८३०

श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

गंगापुर से बामनवास लिवाली होती हुई लालसोट तक बस सर्विस

८३१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तहसील बामनवास में यातायात के साधनों का पूर्णतया अभाव है ?

(ख) क्या सरकार का गंगापुर से बामनवास लिवाली होती हुई लालसोट के लिए बस सर्विस चालू करने का इरादा है ?

(ग) यदि हां, तो वह कब तक निकाल दी जावेगी ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) नहीं है; जयपुर से गंगापुर, दौसा से गंगापुर व गंगापुर से गढ़मोरा जाने वाली बसें बामनवास होकर जाती हैं।

(ख) जयपुर से गंगापुर व दौसा से गंगापुर जाने वाली बसें लालसोट तथा बामनवास होकर जाती हैं। अतः और गाड़ी चालू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लीवाली गांव बामनवास के पास ही है।

Page No.16

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : वह जो इलाका है वहां पर काफी अनाज पैदा होता है, इसलिए लाजमी है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने न किया कि नामनवास बस जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० बहादुरसिंह।

विद्युत की बकाया रकम की वसूली

८३२. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर पांच हजार से ऊपर की तथा पांच हजार से नीचे की विद्युत रकम बकाया हैं ? पांच हजार से ऊपर बकाया रकम वालों की सूची मय रकम के सदन में प्रस्तुत करें।

(२) उक्त बकाया रकम की वसूली की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र): अध्यक्ष महोदय, इसके लिए और समय की जरूरत है क्योंकि इसमें पांच हज़ार से ऊपर और पांच हजार से नीचे की बकाया रकम की लिस्ट मांगी है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, खड़े होकर यह कह देते हैं कि समय चाहिये। रूल्स में १५ दिन प्रोवाइड किये हैं। आप रूल्स में चेन्ज करा लीजिये। This practice has become common. It has assumed a sort of disease with the Ministry. हर दफा यही कहा जाता है कि समय चाहिये ; हर वक्त यही होता है और कहा जाता है कि समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष : You should have not used a word of that nature.

श्री हरिश्चन्द्र : It has to go down to the basic unit to collect.

श्री अध्यक्ष : इनके पास सूचना आई नहीं है, आएगी तब देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि खड़े होकर कह देते हैं कि समय चाहिये। मैं यह कहूंगा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा है। आप कहते हैं कि चेन्ज करा दीजिये। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में १५ दिन का प्रावधान है। मगर रूल्स में यह भी है कि लम्बा प्रश्न हो तो ज्यादा समय लगता है।

श्री हरिश्चन्द्र : इनफोर्मेशन कलेक्ट करने में देर हो रही है। इसलिए समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोवरधनसिंह केन।

बयाना, जिला भरतपुर, में नये बिजलीघर की योजना

८३३. श्री गोवरधनसिंह केन (बयाना मु०) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार की जिला भरतपुर के प्रमुख कस्बा बयाना में कोई नया बिजलीघर बनाने

Page No.17

(श्री गोरधनसिंह केन)

की योजना थी ? यदि हां, तो उस योजना में अब तक क्या प्रगति हुई ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी नहीं।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या कोई सर्वे कराई गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री गोवरधनसिंह केन : जब सर्वे कराया गया तो फिर किस कारण से वहां पर पॉवर हाउस नहीं लगाया गया। कॉमर्शियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था और किसी कारणों से नहीं लगाया गया।

श्री हरिश्चन्द्र : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोई योजना नहीं थी। पी. डब्ल्यू. पी. सी. ने इसकी सर्वे की और फेक्ट्स एन्ड फिगर्स बताये, उसकी रिपोर्ट आने पर....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सन् ५१ में बयाना में उसकी सर्वे हुई थी और प्रोपोज़ल मंजूर हुआ था। आप ५१ के पत्र देखें।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा है कि पी. डब्ल्यू. पी. सी. ने इसकी सर्वे की है। जब रिपोर्ट आवेगी तो उससे निश्चित कर सकेंगे कि खोला जा सकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सोहनलाल भटनागर।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों का निर्माण

८३४. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार ने सड़कों के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना का ढांचा बनाया है ?

(ख) क्या इसके लिये जिला विकास समिति अथवा जिला परिषद् से सुझाव मांगे गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या उदयपुर डिविजन (भवन एवं पथ) के सुझावों के लिये जिला विकास समिति अथवा जिला परिषद् से भी सुझाव मांगे गये थे ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) मुख्य अभियन्ता, भवन व पथ निर्माता विभाग के कार्यालय में कार्यवाही चालू है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इसके लिये मांगे जावेंगे या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : थर्ड प्लान है उसके लिये सोचा जा रहा है कि जिला परिषदों से विचार प्राप्त किये जावें।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि प्लानिंग विभाग ने अलग अलग वर्किंग ग्रुप बिठा दिये हैं और वे रोड वगैरह को स्क्रुटिनाइज़ कर रहे है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : जो २० साल के लिये सूची बनी है उसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन्क्ल्यूड किया जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : २० साल के बाद इस पर विचार किया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : हम यह चाहते है कि जहां तक हो सके जिला परिषद् से राय लें।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : जहां तक हो सकेगा, राय लेंगे या जरूर राय उनकी मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : राय लेंगे।

श्री मनोहर कोठारी : 'जहां तक हो सके' का मतलब यह कि, "नहीं भी ली जा सकती है" ?

श्री अध्यक्ष : संभव है। नेक्स्ट।

भरतपुर के आजान बांध के ऊपर के रास्तों में उपयुक्त व्यवस्था

८३५. **श्री गोवर्धनसिंह जैन** (बयाना सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि जिला भरतपुर के आजान बांध के ऊपर स्थान स्थान पर आम रास्ते हैं और वर्षा के समय व अन्य दिनों में रोजाना इन रास्तों के ऊपर होकर बैल गाड़ी व अन्य भारकस चलते रहते है ? यदि हां, तो क्या सरकार का इन सब मार्गों पर पत्थर की पीचन लगवाने का विचार है ?

उप मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : आजान बंध के उपर जाने वाले रास्ते विभाग के निरीक्षक के लिये हैं और अगर इनको आम रास्तों की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो यह अनाधिकृत है। इनको पक्का बनाने का सरकार का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

उदयपुर जयसमन्द सड़क

८३६. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर से जयसमन्द सड़क को डामर करने का कितने मील का ठेका किसको और कब दिया गया ?

(ख) इस ठेके के अनुसार कार्य सम्पूर्ण करने की मयाद कब तक की थी ?

(ग) उक्त ठेकेदार ने कुल कितने मील पर डामर का कार्य किया ?

(घ) उक्त कार्य कब से बन्द है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) मील १३ का ठेका मेसर्स हाजी मोहम्मद बक्स एन्ड सन्स को दिनांक १२–६–५७ को।

(ख) दिनांक १२–३–५६ तक की थी।

(ग) कुल ७ मील पर।

(घ) दिनांक ३०–१०–५६ से।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्यों बन्द है और अगर मयाद खत्म हो गई तो इसके लिए उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : हाजी मोहम्मद बख्श ने काम कम्प्लीट नहीं किया और वह चला गया। पता नहीं क्यों ?

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या कार्यवाही की गई फिर ?

श्री हरिश्चन्द्र : नोटिस इश्यू कर दिया गया ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : कितनी लागत का काम है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह मेरे पास इन्फोर्मेशन नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : नोटिस कब इश्यू किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह भी मेरे पास इन्फोर्मेशन नहीं है ।

श्री शंकरलाल : फिर आपके पास क्या है ?

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : नोटिस इश्यू किया गया यह भी डेट नहीं है तो क्या पता नोटिस इश्यू हुआ भी कि नहीं !

श्री हरिश्चन्द्र : नोटिस तो इश्यू हो गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित ।

नगरपालिका बारां द्वारा मैला ढोने में हाथ के ठेलों का उपयोग

८३७. **श्री धन्नालाल हारित (छबड़ा सु०)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) नकरपालिका बारां को मैला ढोने के हाथ के ठेले कब दिये गये थे ?

(ख) उन ठेलों का अब तक उपयोग न करने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) सरकार ने सन् १९५७-५८ में मैला ढोने के हाथ के ठेले खरीदने के हेतु नगरपालिका को ८०००)रु. सहायतार्थ दिये थे ।

(ख) कुछ गाड़ियां नगरपालिका के काम में आ रही हैं और कुछ गाड़ियां नगरपालिका ने अपने पास रखी हैं ।

श्री अध्यक्ष : एक स्थगित प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह : यह बाद में ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री भैरोंसिंह : सतीशचन्द्रजी का प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ ।

प्रश्न संख्या ८१६

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में नियुक्तियां

८१६. **श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार,

(श्री भैरोंसिंह)

जयपुर) की ओर से] : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का गठन २८ जून सन् ५७ को हुआ और विद्युत विभाग के तमाम कर्मचारियों की सेवायें १ जुलाई सन ५७ से अस्थायी तौर पर मंडल के अधीन कर दी गई ? यदि हां, तो उस सरकारी विज्ञप्ति को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह भी सही है कि मंडल ने कर्मचारियों की सेवाओं सम्बन्धी कोई नियम अभी तक नहीं बनाए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या इन कर्मचारियों के नियमों का नियमन राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों के नियमों के तहत बना हुआ होता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन नियमों के विरुद्ध रिटायर्ड अफसरान को मंडल की सेवाओं में लिया गया है। मंडल में इस समय जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी नियुक्त हैं, उनकी सूची मय उनके वर्तमान पदों के, तनख्वाह के तथा नियुक्ति की तारीख के तथा उनकी विशेष योग्यताओं के तथा पिछले निवास स्थान के(राजस्थान)बाहर के रहने वालों के सदन की मेज पर रखें।

(घ) इन पदों पर राजस्थान के बाहर के इन लोगों को नियुक्त करते समय यहां काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया।

(ङ) क्या मंडल के अधीन कार्य करने वाला कोई कर्मचारी जो पहले राजकीय सेवा में था अगर वह आज पुनः किसी राजकीय विभाग में अपना तबादला करा ले, तो उसकी सेवायें लगातार समझी जावेगीं।

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : इसके लिए मुझे और टाइम की जरूरत है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस सेशन में तो उत्तर मिल जावेगा ?

(विराम)

इस सेशन में उत्तर देने के लिए तय कर दिया जाय ताकि फिर हमको १५ दिन के लिए नोटिस न देना पड़े और पड़े और इस तरह से फिर अगला सेशन जो कि छोटा ही होगा, नोटिस देने में १५ दिन लगा दिये जावेंगे और उत्तर देते हुए १७-१८ दिन लग जावेंगे और समय नहीं रह सकेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं सेशन में ही उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

प्रश्न संख्या ८१८

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल (करौली सु०)।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८२६

श्री आनन्दसिंह कछावहा

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८२८

श्री शिवचरणदास

(अनुपस्थित)

Page No.21

(श्री उम्मेदीलाल)

प्रश्न संख्या ८३०

श्री मोहब्बतसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

एडवर्ड मिल ब्यावर में मजदूरों की छंटनी व मजदूर सदस्यों को हटाने-सम्बन्धी

स्थगन-प्रस्ताव

श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा, ने एडवर्ड मिल, ब्यावर में मजदूरों की छंटनी व मजदूर यूनियन के सदस्यों के हटाने आदि से सम्बन्धित एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर जो जानकारी मिली है इससे ज्ञात हुआ है कि टैक्सटाइल लेबर यूनियन, ब्यावर, के कतिपय मजदूरों को मोअत्तिल किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह मामला इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं रहता कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाय। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से मन्त्री महोदय अवश्य इसका पूरा स्पष्टीकरण कर देंगे।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई, श्रम मन्त्री की ओर से) : एडवर्ड मिल्स कं० लि०, ब्यावर, के प्रबन्धकों ने दिनांक २३-२-६० को ४२ मजदूरों को सस्पेन्ड किया। चूंकि इन मजदूरों ने २२-२-६० को मिल प्रबन्धकों को मिल के बाहर आने में रुकावट पैदा की तथा उन्हें मिल के अन्दर लगभग ४ घन्टों तक बिठाये रखा और बाद में पुलिस की सुरक्षा से उन्हें बाहर लाया गया। बाहर लाते समय भी कुछ मजदूर मोटर के आगे लेट गये। इन सब कारणों से प्रबन्धकों ने इन मजदूरों के विरुद्ध स्थायी आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की।

उक्त कार्यवाही टैक्सटाइल लेबर यूनियन, ब्यावर से संबंधित मजदूरों के विरुद्ध की गयी। मजदूरों के उक्त व्यवहार का मुख्य कारण मिल प्रबन्धकों द्वारा माह जनवरी सन् १९६० के वेतन का भुगतान न करना बताया गया है।

जनवरी सन् १९६० की बकाया तनख्वाह के दावे कारखाना निरीक्षक ब्यावर, द्वारा वेतन भुगतान अधिकरण के सम्मुख दायर किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अब जनवरी के बकाया वेतनों का मिल प्रबन्धकों द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है। इस समय केवल फरवरी, १९६० का भुगतान शेष है, जिसके लिए विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

यह सत्य है कि इस मिल द्वारा गत कुछ महीनों से मजदूरों का वेतन समय पर नहीं चुकाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण असंतोषजनक वित्तीय स्थिति है।

उपरोक्त ४२ मजदूरों के सस्पेन्ड करने के विषय को लेकर टैक्सटाइल लेबर यूनियन के प्रमुख कार्यकर्ता, स्वामी कुमारानन्द, ने भूख-हड़ताल का निश्चय किया। पहले यह

(श्री भीखाभाई)

भूख हड़ताल दिनांक १८-३-६० से होने वाली थी परन्तु कारणवश इस तिथि पर न जाकर अब दिनांक २८-३-६० की रात्रि के साढ़े आठ बजे से भूख हड़ताल पर गये हैं।

इस सम्बन्ध में यह प्रकट करना आवश्यक है कि सस्पेन्ड किये मजदूरों के विरुद्ध मिल प्रबन्धक जांच कर रहे हैं और जांच अभी भी जारी है।

श्रम विभाग की ओर से मालिक कारखाना की जांच शीघ्र समाप्त करने के संबन्ध में लिखित रूप से तथा रूबरू कहा जा चुका है। अभी हाल ही में विभाग के दो उच्च अधिकारी ब्यावर गये थे और प्रबन्ध तथा संगठन के अधिकारियों से बातचीत की तथा मालिकों को जांच शीघ्र समाप्त करने पर बल दिया और संगठन कार्यकर्ताओं को भी इस स्थिति में भूख हड़ताल पर न जाने की सलाह दी। इसके अलावा जांच के दौरान में सरकार कानूनन कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।

इसके उपरान्त भी संगठन ने हड़ताल की है, जो जांच के दौरान में अनुचित प्रतीत होती है, चूंकि जांच के दौरान में कोई विवादग्रस्त प्रश्न उपस्थित नहीं हो सकता। जांच के समाप्त होते ही विभागीय जांच व आवश्यक कार्यवाही शुरू की जायगी। इसका मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): क्या यहबात सही है कि आपने उस मिल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का तय किया है और उसको जांच करने का भी अधिकार दिया है। सस्पेन्शन के अन्दर में उनको जांच करने का अधिकार है। अधिकार और उनको देने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : जब तक टेक ओवर न करें तब तक मिल वालों का जुरिस्डिक्शन है।

श्री पी० के० चौधरी : जनवरी से तनख्वाह नहीं दी, मजदूरों ने आन्दोलन किया, ४२ मजदूरों को सस्पेन्ड कर दिया और मिल वालों को अधिकार दे रहे हैं, उनकी जांच करें।

श्री अध्यक्ष : कानूनन अधिकार है उनको?

श्री पी० के० चौधरी : Through their Labour Officer, they can conduct.

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय मन्त्री महोदय ने जो सूचना दी है कि उनको घेरे में रखा, मालिकों को बाहर नहीं जाने दिया और पुलिस की सहायता से बाहर निकले; तो यह सारा जो उन्होंने प्रकरण रखा है यह क्या सरकारी सूचना के आधार पर है या मिल मालिकों की सूचना के आधार पर?

श्री भीखाभाई : सरकारी आधार पर रखा है।

श्री भैरोंसिंह : किस किस आदमी ने जांच की ? आपने यह कहा कि सरकारी अधिकारी अब गया है। इस प्रसंग में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को स्वामी कुमारानन्द ने पहले पत्र लिख कर सूचना दी थी कि वे अनशन करने वाले हैं और मुख्य मंत्री महोदय ने पत्र लिख कर आश्वासन दिया था, जिस कारण स्वामी कुमारानन्द ने पहले अनशन नहीं किया। उस पत्र का जिक्र क्यों नहीं किया गया जिसमें मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था और जिस कारण आश्वासन पूरा नहीं हुआ और यह स्थिति पैदा हुई ?

श्री भीखाभाई : लेबर इन्स्पेक्टर, वेलफेयर इन्स्पेक्टर ने जांच की थी और हाल ही में रीज़नल असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर और लेबर कमिश्नर स्वयं गये थे और दो दिन से इन्क्वायरी करके लौटे हैं

श्री लच्छूराम : तारीख १. ३. ६० को यूनियन की ओर से मुख्य मन्त्री राजस्थान, लेबर कमिश्नर, लेबर मिनिस्टर, भारत सरकार के श्रम मन्त्री श्री नन्दा आदि को कहा गया था कि मिल में अव्यवस्था है और तीन-चार आदमियों को वेतन नहीं दिया गया और उनका वेतन रोक दिया गया, तीन चार आदमियों को सस्पेन्ड कर दिया गया। मैनेजर साहब को दुश्मनी है, वे इन्टक को बढ़ाना चाहते हैं इस यूनियन के मुकाबले में। एक आदमी ने उनके खिलाफ मुकदमा किया था, इससे मैनेजर साहब जल गये और वे चाहते थे कि इस यूनियन को तोड़ दिया जाय और टैक्सटाइल लेबर यूनियन को तरजीह दी जाय। इस कारण ४२ आदमियों को उन्होंने सस्पेन्ड कर दिया। ये लेबर यूनियन के कार्यकर्ता हैं और उनके साथ यह उनकी दुश्मनी है; यह कहना कि २२ तारीख को ....

श्री अध्यक्ष : स्थिति जो है वह आपको बतला दी गई है।

श्री लच्छूराम : १. ३. ६० को गवर्नमेंट को लिख दिया गया था कि अगर मामला सेटल नहीं हुआ तो १८ मार्च से भूख हड़ताल की जायगी।

श्री अध्यक्ष : लेकिन सरकार जो कानूनी तौर से कर सकती है वह कर रही है।

श्री लच्छूराम : सरकार को चाहिये यह था कि कोई इनफोर्मेशन नहीं मिलने की वजह से १८ मार्च से भूख-हड़ताल करने वाले हैं। यह जब उनको सूचना मिल गई तो कार्यवाही की जानी चाहिये थी।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्तर्गत जब तक मिल मालिक कोई एक्शन नहीं लेता है तब तक सरकार इसके अन्दर इन्टरवीन नहीं कर सकती। जब वे इस बात की इन्क्वायरी कर रहे हैं कि जो सस्पेन्डेड किये गये हैं उनका क्या कारण है ? दूसरा जहां तक वेतन के चुकारे का सवाल है वह चुका चुके हैं, केवल फरवरी का वेतन बाकी है। अभी हाल ही में मिल मालिक को हमारे श्रम मन्त्री महोदय ने बुलाया और उनको लिख कर दिया है कि आप इन्क्वायरी जल्दी करायें। उसके बाद में हमारी राज्य सरकार इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्तर्गत जो भी उचित कार्यवाही होगी करेगी। जहां तक

Page No.24

(श्री भीखाभाई)

विभागीय कार्यवाही का संबन्ध है मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि विभाग के दो बड़े अधिकारी जो बहुत जिम्मेदार हैं उन्होंने जांच की है, इसलिये और कोई जांच का प्रश्न नहीं उठता।

अब दूसरी बात यह कही गई कि यह इन्टक और अन्य लेबर यूनियन का झगड़ा है। इस मेरा संबन्ध में निवेदन है, हमारे सामने ये प्रश्न कोई महत्व नहीं रखते, आपसी झगड़े इसके पिक्चर में नहीं आते। ४२ मजदूरों के सामने यह कोई सवाल नहीं, इसमें किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है; यह तो उनकी ग्रीवान्सेज़ का सवाल है और हमें उसी को ध्यान में रखना है। जहां तक सस्पेन्शन का सवाल है इसके बारे में शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जायगी, यह में सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

जन लेखा एवं प्राक्कलन समिति के हेतु उम्मीदवार सदस्यों द्वारा नाम वापिस लेना

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य जन लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के लिये उम्मीदवार हैं, वे अपने नाम वापिस लेना चाहें तो ले सकते हैं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति की सदस्यता के लिये उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापिस लेना चाहता हूं।

श्री भोगजी भाई : मैं भी दोनो समितियों से अपना नाम वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : साढ़े बारह बजे तक का समय है जो माननीय सदस्य अपना नाम वापिस लेना चाहें उस समय तक ले सकते हैं।

श्री मोतीलाल : नोमिनेशन विथड्रॉ करने के लिये लिख कर दें, उनको मान लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : रूल्स इस तरह के हैं कि सदन में खड़े होकर उनको नाम वापिस लेना चाहिये।

श्री मोतीलाल : सदन इस तरह के रूल्स में रिलेक्सेशन कर सकता है। हाजिर नहीं होने की वजह से वे लिखकर भेज सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई प्रश्न हमारे सामने नहीं है।

राजस्थान भू राजस्व (अधिभार) विधेयक, १९६०

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

माननीय राजस्व मन्त्री उत्तर देंगे।

मेजर श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस स्टेज पर बहुत समय लग गया है। अभी तक क्लॉज़ वाइज़ कन्सीडरेशन बाकी है और इसको आज ही निश्चित तौर से पास करना है। यदि इस स्टेज पर ज्यादा समय लगा देंगे तो क्लॉज़ वाइज़ कन्सीडरेशन में कम समय मिलेगा। क्लॉज़ेज़ में कई माननीय सदस्यों

(श्री अध्यक्ष)

के अमेंडमेंट्स हैं वे भी उन पर बोलना चाहेंगे। हो सकता है, उसमें से किसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट को स्वीकार भी कर लिया जाय। यदि इसके उपरान्त भी समय कुछ बच रहता है तो थर्ड रीडिंग के अवसर पर बोल सकते हैं।

१२. ५ म० प०

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर दो प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये हैं, पहला प्रस्ताव यह है कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय और दूसरा प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। मैं इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं। इस संबन्ध में माननीय सदस्यों ने जो दलील दी है, कुछ ने तो विरोध में दी है और कुछ ने इन प्रस्तावों के समर्थन में दी है। मैं यह समझता हूं कि वे दलीलें न पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट करने के लिये काफी हैं और न सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिये ही काफी हैं। मैं इस संबन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत ही सिम्पल है और इसके क्लाजेज़ भी बहुत साधारण हैं, इसलिये सिलेक्ट कमेटी द्वारा छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें केल्कुलेट करने का मेथड है वह भी बहुत ही सिम्पल है। इसमें किसी तरह के कॉम्पलीकेशन्स नहीं हैं जिसके आधार पर सिलेक्ट कमेटी में बैठकर विचार किया जा सके। जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है यह सरचार्ज जो लगाया गया है उस सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकार किया है और उसी के आधार पर यह बिल प्रस्तुत किया है। इस संबन्ध में अलग अलग माननीय सदस्यों ने अमेन्डमेंट भी प्रस्तुत किये हैं उन पर अलग से विचार किया जा सकता है। जहां तक इन अमेन्डमेन्ट्स का सवाल है कौनसा कितना वाजिब होगा यह तो उस समय विचार कर लिया जायगा कि इनमें से कौनसा मानने योग्य है और कौनसा नहीं। इसके अलावा कुछ मुद्दे की बातें उठायीं, इस संबन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने इस टैक्स को कुछ ऐसा बतलाया है जिसके हिसाब से वे कहते हैं, ८० प्रतिशत किसानों पर इसका असर होगा। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पचास पर्सेन्ट से किसी भी हालत में कम पर असर नहीं होगा। एक माननीय सदस्य जो मसूदा से आये हैं उन्होंने अपने मैथेमैटिकल केल्कुलेशन के आधार पर न मालूम किस तरह से यह केल्कुलेट किया, वे मुझे समझा नहीं सके, मैं उसका भी जवाब दे देता यदि मुझको वे समझा देते। उन्होंने वह केल्कुलेशन अपनी ही तरह से किया, जिसको कम से कम मैं नहीं समझ सका। मैंने इतना जरूर उनको कह दिया था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में मेरी रिपोर्ट के आधार पर ३३ पॉइन्ट पर अफेक्ट होगा। आया उनका केल्कुलेशन क्या था वह मेरी समझ में नहीं आ सका; अतः उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने एक एकड़ प्रोडक्शन की कीमत का हवाला दिया और इर्रिगेशन रेट्स के बारे में कहा, लेकिन इस बिल से इर्रिगेशन रेट्स का क्या संबन्ध है, यह केवल सरचार्ज है और उन लोगों के लिये है जिनके पास होल्डिंग्ज़ बड़ी बड़ी हैं, उनकी इन्कम पर लगाया गया है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अब सवाल यह है कि दो-तीन तरीके हो सकते हैं इस सरचार्ज के लगाने के लिये। एक तो एग्रीकल्चर होल्डिंग पर लगा सकते हैं, एक तरीका जो कुछ स्टेट्स में है लार्ज होल्डिंग पर लगा दिया है। इससे ज्यादा लार्ज होल्डिंग जिनके पास हैं उन पर सरचार्ज लगेगा। दूसरा यह होता है कि रेन्ट रेट्स पर लगा दिया जाय। लार्ज होल्डिंग पर लगा देने से हमारे यहां पर डिफीकल्टी आ सकती है क्योंकि जहां डेज़र्ट एरिया है वहां पर बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग्ज़ हैं। लेकिन उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी उतनी बड़ी नहीं है; अगर हम यह आधार रखते हैं तो इसके लिये एरियाज़ अलग अलग करने होंगे, हर एक तहसील में अलग अलग एरियाज़ मुकर्रर किये जायं अमुक एरिया में लार्ज होल्डिंग है, यह बहुत मुश्किल चीज है और यह साइन्टिफिक नहीं हो सकता। इसलिये यह तरीका हमारे यहां एप्लाई नहीं हो सकता।

दूसरा काइटेरिया यह हो सकता है, हम इस लिहाज़ से लगाये रेन्ट रेट्स को और इसका आधार मुकर्रर करें। रेन्ट रेट्स के मामले में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ एतराज किया है। एक माननीय सदस्य ने जो सरदारशहर से आते हैं, जो आज उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने कहा कि सीलिंग बिल को वाइन्ड अप करते हुए मैंने जो कहा था कि रेन्ट रेट्स के बेसिस पर सीलिंग नहीं लगा सकते उन्हीं आर्ग्युमेन्ट्स को उन्होंने आज भी दिया। उनका कहना यह है कि जब वे आर्ग्युमेन्ट्स उस समय सही थे तो आज छः महीने बाद गलत कैसे हो सकते हैं? यह बात ठीक है कि हमारे यहां राज्य के अन्दर सैटलमेंट पुरानी रियासतों के समय से चला आ रहा है, राजस्थान बनने के बाद बहुत सा सैटलमेंट हमने करवाया है। इसके साथ साथ यह भी सही है कि यहां चाही जमीन की दरें एक सी नहीं और न बारानी जमीन की दरें ही समान है। मगर इसके साथ यह भी ठीक है कि चाहे बारानी हो, चाहे नहरी हो कैसी भी कहीं की जमीन हो, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी एक जगह की दूसरी जगह से भिन्न है, बराबर नहीं है। एक बारानी जमीन एक जगह १५ मन प्रति बीघा पैदा करती है तो वही दूसरी जगह ३ मन पैदा करती है। इसलिये यह कहना कि रेन्ट रेट राशनेलाइज़ हो जाने चाहिये, यह कैसे ठीक हो सकता है। यह गैर मुमकिन है और इसमें किसी तरह की भी ऐसी बात हो नहीं सकती, क्योंकि सब जगह की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो भिन्न भिन्न है; वह भी तो एक नहीं है।

यह सही है कि जयपुर सर्कल का ४०)रु. है। पर यह सर्कल कौनसा है? जो जयपुर के आसपास मिली हुई जमीन है और जहां की प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसके लिये मार्केट नजदीक होते हुए क्या वेल्यू हो सकती है उसको देखते हुए यह ४०)रु. भी ज्यादा नहीं है। तो और जगह कहीं भी आप देखेंगे तो एक सर्टेन प्रिन्सिपल है रेंट रेट फिक्स करने का, उसके आधार पर रेन्ट रेट हमने डिटर्मिन की हैं।

रहा सवाल सारी जगह सैटलमेन्ट का। करीब करीब सारी जगह सैटलमेंट हो चुका है। कई जगह रिवीज़न सैटलमेंट भी हो चुका है। जागीर एरिया में नया भी हुआ है और यह सब राजस्थान बनने पर हुआ है। लैंड

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रेवेन्यू एक्ट में जो प्रोवीज़न है उसके आधार पर कुछ फैक्टर्स, कुछ प्रिन्सिपल ले डाउन किये हैं और उसी के ऊपर हम रेन्ट रेट मुकर्रर करते हैं। अब यह मुमकिन नहीं कि हम बारानी का सब जगह एक ही तरह का रेन्ट रेट का रेशनेलाइज कर दें हम, तो इन प्रिन्सिपल से गाइड होते हैं।

इसमें दो चीजें मेन फैक्टर हैं। एक तो किस टाइप की वह सोइल है, और दूसरी प्राइस ऑफ प्रोड्यूस है। प्राइस ऑफ प्रोड्यूस बड़ा इम्पोर्टेन्ट फैक्टर है। यह सही है कि पिछले जमाने में १।३ पर सैटलमेंट हुआ था, ५०।५१ में १।४ पर हुआ और इसके बाद हमने १।६ पर भी किया। तो इस प्राइस ऑफ प्रोड्यूस के फैक्टर को साथ में रखेंगे तो कोई भी रेन्ट रेट कम मालूम होने का सवाल नहीं है। प्राइसेज़ सभी के ज्यादा बढ़ गये हैं। अब जहां १।३ है वहां भी अगर दुबारा वर्क आउट करेंगे तो भी ज्यादा फर्क नहीं नजर आयेगा, इसलिये यह जो दलील है कि १।३, १।४ और १।६ करने में बड़ी डिस्पेरिटी है, यह ठीक नहीं रहती।

मैं आपको यह अर्ज कर दूं कि राजस्थान में कितना एरिया रह गया है जिसका सैटलमेंट नहीं हुआ है। अनसैटलमेंट तो कोई रहा नहीं, सैटलमेंट किसी न किसी रूप में सब जगह हो गया है और अभी राजस्थान बनने के बाद में जयपुर एरिया का दुबारा हुआ है। कोटा डिविज़न का मैं और जिक्र करूं। वहां कोटा स्टेट का सारा हो चुका है कोटा में जो पहले से रेंटें थी उनको देखेंगे तो वहां के किसानों पर इससे बोझा नहीं पड़ने वाला है। सारा एरिया सैचुराइज्ड हो गया है। वहां सैटलमेंट किया जावेगा तो रेंट रेट इन्क्रीज़ ही होंगी डिक्रीज़ नहीं। तो जब हम यह कहते हैं कि किसान पर बोझा नहीं पड़ना चाहिये तो हमें इन फेक्टस को भी मालूम करना चाहिये। बूंदी का देखेंगे तो वहां भी यही पोज़ीशन है। वहा भी इन्क्रीमेन्ट की तरफ ही होगा। इसी तरह फोर्मर जयपुर स्टेट में सारा एरिया सैटल्ड है। जागीर एरिया भी अभी हाल में हुआ है। इन जगहों पर हाई कोर्ट के डिसीज़न से भी रेवेन्यू ऑफ रेन्ट रेट्स हुई हैं तो वहां १।६।,१।४।,१।३ की डिस्पेरिटी का सवाल पैदा नहीं होता।

करौली का सैटलमेंट अभी हाल में खत्म हुआ है, इसलिये इसमें डिस्पेरिटी नहीं आती।

सवाई माधोपुर का और है। जयपुर के जमाने का सैटलमेंट है। वहां भी ठीक है, ज्यादा डिस्पेरिटी नहीं है। मैं नहीं कहता कि बिलकुल नहीं है, ज्यादा नहीं है; पर ऐसा नहीं कि जिससे ख्याल करें कि काश्तकार को कोई नुकसान पहुँचता हो।

इसी तरह अलवर का है। और माननीय सदस्य अलवर से आने वाले जानते हैं कि अभी अभी वहां पर सैटलमेंट हुआ है। बाकी रेंट रेट सैटल्ड थीं जमींदारी एबोलिशन एक्ट में। कल जावली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही वे अगर उसमें रेन्ट रेट और रेट की जो डेफिनिशन दी है उसको देख लेते तो ज्यादा फर्क मालूम होने का सवाल नहीं उठाते। जब भी री-सैटलमेंट होगा वे खुद जानते हैं और अलवर वाले भी जानते हैं कि वह रेट इन्क्रीज़ की तरफ ही आने वाली है, डिक्रीज़ की तरफ

जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। और कई एरिया हैं जिनमें जाने की जरूरत नहीं। उदयपुर ....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : टौंक का बता दीजिये।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : टौंक तो जयपुर डिविजन में आ गया।

श्री भैरोंसिंह : टौंक डिस्ट्रिक्ट का बता दीजिये। आप बता दें, वहां की रेट्स इन्क्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां अभी अभी सैटलमेंट हुआ है, इसलिये २० साल तक वहां दुबारा होने की सम्भावना नहीं है। आपको वहां की बहुत फिक्र है तो आप उणियारा की पूछते, मैं बता देता। पर आप वहां की जानना चाहते नहीं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वहां का जानना अच्छा नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : और उदयपुर के लिये फर्स्ट सैटलमेंट कम्पलीट हो चुका। तो इस तरह मैंने दोनों बातें अर्ज कर दीं।

सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, पर मैं समझता हूँ वे बाद में जानकारी कर लेंगे कि उनके लिये क्या कहा था। मेरा मतलब यह है कि डिस्पेरिटी को लेकर यह सोचें कि किसानों पर कोई सख्ती हो रही है या वजन पड़ रहा है, यह नहीं है। कहीं १।३, कहीं १।४, कहीं १।६; आप चाहें तो देख सकते हैं कि इसी प्रकार की रेन्ट रेट्स वर्क आउट हुई हैं, इनमें वही दो फैक्टर्स हैं जो हमें सामने रखने हैं, एक प्रोडक्शन कैपेसिटी और दूसरा सोइल। ये दो फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर रेन्ट रेट्स डिटर्मिन करते हैं।

इसके अलावा कुछ सदस्यों ने इस प्रकार की दलीलें दीं कि मैंने जैसा कहा, ८० पर्सेन्ट ५० पर्सेन्ट वाली बात। वह तो ऐसा फैन्टास्टिक फिगर है; मैंने पता लगाने की कोशिश की, पर नहीं लगा सका। मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य देखें कि उसका कितना असर पड़ता है।

राजस्थान कैनाल को लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने दलील दी कि राजस्थान कैनाल में जो एरिया फ्लो में आवेगा उन पर मालिकाना लगा दिया गया है और उन पर फिर बैटरमेंट लेवी भी अलग से ली जावेगी। तो मैं निवेदन करूं कि यह बैटरमेंट का मकसद बिलकुल अलग है, मालिकाना अलग चीज़ है और रेंट रेट थर्ड चीज़ है और सरचार्ज बिलकुल फोर्थ, अलग चीज़ है। वहां बैटरमेंट लेवी किस बात की ली जाती है, इसका रेन्ट रेट्स से कोई सम्बन्ध नहीं। बैटरमेन्ट लेवी से केवल जमीन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है. There is absolutely no contribution from the cultivators सारा का सारा इन्वेस्टमेन्ट स्टेट गवर्नमेन्ट का होता है और उसके लिए सदन का बनाया हुआ अलग कानून है और उसके तहत ही बैटरमेन्ट लेवी इम्पोज़ की जाती है। फिर वहां के रेण्ट को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आम तौर पर मैंने बीकानेर के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कुछ विलेजेज़ का वर्क आउट कर लिया था तो वह बहुत ज्यादा नहीं आता है । उस लिहाज़ से भी ऐसा है । सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यान चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए आकर्षित करना चाहता हूं, उनको बहुत ज्यादा फिक्र उनकी जमीन की और किसानों की थी, कुछ सिम्पल सर्वे कराने से it comes to about 7 percent.

श्री चन्दनमल वैद : मैं तो फिर भी यह चैलेन्ज करता हूं कि इतनी फिगर्स नहीं हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : लेकिन it comes to that. राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट है चूरू डिस्ट्रिक्ट से और उनके इलाके से कोई पूरा स्टेट थोड़ा ही बन जाता है । इसको तो हमारे वित्त मंत्री महोदय ने पहले ही बता दिया है कि हम इससे केवल १० लाख रुपये रेज़ करना चाहते हैं और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को रिपील कर रहे हैं । तो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि हम तो पिछले साल का रिकॉर्ड ही देखते रहेंगे । इसको तो हम १ अप्रैल, १९६० से लागू कर रहे हैं और बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी यह राय जाहिर की है कि इससे बहुत इनकन्वींनियेन्स रहेगी । पर मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के असेस कराने में बहुत दिक्कतें आती थीं और इसीलिए गवर्नमेन्ट ने महसूस किया कि इस दिक्कत का मुकाबिला सरकार को करना पड़ता है । इसलिए ही इस एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को रिपील करने की आवश्यकता पड़ी । इस सरचार्ज के आने से कैल्कुलेशन में और असेसमेन्ट में कहीं काश्तकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा और यह बिल्कुल सिम्पल मैथड है कि १ आना रुपया लैण्ड रेवेन्यू के ऊपर ५० रुपये से ज्यादा लैण्ड रेवेन्यू जो देता होगा उसके ऊपर असेस कर दिया जायेगा । इससे ज्यादा सिम्पल वाला और कोई प्रोवीज़न नहीं हो सकता और इसलिए यह आवश्यकता थी कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को किसी न किसी सिम्पल मैथड से रिप्लेस करते और जिससे इसको रिप्लेस किया है वह बिल हमारे सामने है ।

फ्रेग्मेन्टेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ के लिए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा और कहा गया कि इससे फ्रेग्मेन्टेशन ज्यादा होगा और कन्सोलिडेशन का जो हमारा मकसद है वह खत्म हो जायेगा । तो माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करूंगा कि हमने ऑलरेडी टिनेन्सी एक्ट की धारा ५६ में रख दिया है कि इससे फरदर लिमिट में फ्रेग्मेन्टेशन नहीं हो सकता । जिसको हमने अनइकॉनॉमिक होल्डिंग समझा और कहीं पार्टीशन से फ्रेग्मेन्टेशन हो गया तो वह लिमिट को (अश्रव्य) करना पड़ेगा । इसलिए कन्सोलीडेशन के ऊपर तो इसका असर पड़ने का सवाल ही नहीं होता ।

इसके अलावा सबमर्ज लैण्ड के लिए कहा और कहा कि नहरी जमीन को क्यों नहीं किया गया ? कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो लैण्ड सबमर्ज है उसके ऊपर भी लगान रखते हैं और इस तरह उसके ऊपर भी सरचार्ज लगेगा, तो मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि उसमें यह प्रोवीज़न है कि अगर कोई जमीन जिसके ऊपर किसान का काबू नहीं है, अगर वह जमीन पड़त रहती है और खेती नहीं होती

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तो उसको अधिकार है कि वह लगान को माफ करा सकता है । अब किसान उसका फायदा नहीं उठाता है तो यह उसकी गलती है । कोई पैसे लुटाये तो इसका हम क्या कर सकते हैं ? अगर वह समझता है कि उसकी जमीन में काश्त नहीं होगी इसलिए वह पानी में डूबी रही है और तालाब का पानी नहीं निकला तो उसके लिए प्रोवीज़न है कि वह एप्लाई करके माफ करा सकता है । ऐसी सूरत में जब असेसमेन्ट ऑफ रेंएट होगा तो सरचार्ज की वसूली नहीं होगी । एनुअल डिमाण्ड के ऊपर तहसीलदार प्रिपेयर करेगा इसलिए जिस ज़मीन का रेंएट अबैट हो जायेगा तो उसके ऊपर सरचार्ज का सवाल पैदा नहीं होता ।

इसी तरह से बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी वसूली में बहुत गड़बड़ी होगी । मैं बताऊं कि इसमें गड़बड़ी के लीस्ट चान्सेज़ हैं । एनुअल डिमाण्ड हर किसान को मिलता है और जहां ५१ रुपये लगान हुआ नहीं कि उसके अन्दर सरचार्ज देना पड़ेगा । इसमें ऑप्शन ही नहीं है और न किसी को डिस्क्रिशन ही है, फिर कहां से गड़बड़ी होगी ? यहां तो खतौनी के ऊपर जो रकम कायम होगी उसके ऊपर सरचार्ज लिया जायेगा । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अच्छा असेसमेन्ट का तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता था, किसानों की सहूलियतों को देखते हुए भी ।

इसके अलावा और बहुत सी बातें कही गई हैं जो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर अलग अलग अमेन्डमेन्ट्स पेश होंगे, उनके ऊपर जब बहस होगी तो उस समय उनका जवाब दे दिया जावेगा । तो जहां तक उनियारा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाये तो इसका जवाब तो बहुत से माननीय सदस्य पहले ही दे चुके हैं । मैं समझता हूँ कि अब उनकी समझ में आ गया है कि यह इतना साधारण बिल है, मैं इसको इन्नोसेन्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि अनोपसिंह जी को बुरा लगता है, यह बहुत ही साधारण बिल है । मुझे आशा है जिन माननीय सदस्यों के अमेन्डमेन्ट्स हैं उनको वापिस लेकर विचारार्थ लेने के लिए जो प्रस्ताव है उसको पारित किया जाये ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगी कि जहां सेटिलमेन्ट नहीं हुआ है क्या वहां इसको नहीं लागू करेंगे और दूसरी बात यह है कि जैसा कि माननीय सदस्य, श्री मनोहर कोठारी, ने कहा कि कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो पीढ़ियों से अलग रहते हैं लेकिन उनका लगान एक जगह होता है तो वह बहुत ज्यादा होता है ; ऐसी परिवार-प्रथा होगी और उनको ज्यादा देना पड़ता होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे ? इसके लिए इस कानून में क्या प्रावधान है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सवाल किसी और कोर्नर से आता तो अच्छा रहता, पर चूंकि महिला की तरफ से प्रश्न आया है इसलिए जबाब देता हूँ, शायद आप कह रही हैं कि सैटलमेन्ट नहीं हुआ, पर उनकी जानकारी में नहीं है कि हमारे राजस्थान में एक एरिया भी ऐसा नहीं है जिसका सैटलमेन्ट न हुआ हो....

Page No.31

डॉ० चन्द्रकला : आपने अभी अभी ही कहा कि सैटलमेन्ट कुछ एरिया का नहीं हुआ है !

श्री दामोदरलाल व्यास : री-सैटल मेन्ट नहीं हुआ है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : यह शहर का मामला नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा है कि २० साल की मयाद गुजर जाती है तो उसका रिवीज़न करते हैं । तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, २० साल के ३० साल भी गुजर जाते हैं । तो वह तो कैश रेण्ट के ऊपर वसूल होता है । आपने कहा कि ज्वॉइन्ट फैमिली हो....

डॉ० चन्द्रकला : ज्वॉइन्ट फैमिली नहीं। रहते अलग अलग हैं, पर लगान एक साथ देते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग रहते हैं और लगान साथ देते हैं तो यह तो कानून का सवाल है । अगर उनका पार्टिशन हो गया तो अलग होगा....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, यह जानना चाहते थे कि इस टैक्स के लगाने से कुल कितनी आमदनी आंकते हैं और इसका कितने नम्बर ऑफ टिनेन्ट्स के ऊपर असर पड़ेगा ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : अध्यक्ष महोदय, यह १० लाख रुपये की इन्कम दूसरी जगह से भी ली जा सकती है; माइन्स हैं, ज्योलोजी है और राजस्थान में हीरे-पन्ने की खानें हैं, उनसे ली जा सकती है; लेकिन जहां हमारे यहां ६० प्रतिशत किसान हैं उनके ऊपर यह टैक्स नहीं लगाया जाये....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि हम ज्यों ज्यों तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और हमारा थर्ड फाइव इयर प्लान आ रहा है तो हमें हर सूरत से टेप करना पड़ेगा चाहे माइन्स हों, चाहे इन्डस्ट्रीज़ हों । हमें रिसोर्सेस को पूरा टेप करना पड़ेगा इसलिए this is one of the sources. अभी एक माननीय सदस्य ने यहां सदन में समझाया था कि जितने टैक्सेज़ लगा रहे हैं लैण्ड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगे । किसानों को हम ओवर बर्डन नहीं करना चाहते लेकिन जो चीजों के भाव हैं और जो किसानों का प्रोडक्शन है उसको देखते हुए और जितना इन्क्रीज़ हो रहा है उसको देखते हुए, रूरल डेवलपमेन्ट जितना हुआ है उसको देखते हुए यह गैर वाजिब नहीं होगा और मेरा ख्याल है कि किसान इसको खुशी खुशी देंगे ।

यह जो सोचते हैं कि किसानों पर कोई बहुत बड़ा वजन पड़ने वाला है तो एक क्षेत्र में २, ४, या ५ पर्सेन्ट किसान ऐसे हैं जो कि लार्ज होल्डर्स हैं। जो स्माल होल्डर्स हैं, जिनके पास में छोटे होल्डिंग्स हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा । लार्ज होल्डिंग्स वाले हैं, जिनके पास लैण्ड ज्यादा होगी उन पर लगाते हैं । सरचार्ज ऑर्डिनरीली १ आना पर रूपी, मैं समझता हूं कोई ज्यादा नहीं है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैंने

Page No.32

(श्री भीमसेन)

जो सूचना चाही थी उसका जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जो आप सूचना चाहते हैं कि राजस्थान के हर गांव में ऐसे कितने आदमी हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा उसके लिए सूचना रेडीमेड नहीं हो सकती थी। आप प्रश्न देंगे तो भी ६ महीने में तैयार नहीं हो सकेगी। यह ६ महीने में भी पॉसिबल नहीं है कि हर गांव की सूचना दे सकें। कुछ जगह की जानकारी कर सका हूं, अपने खुद के काम के लिए उसमें से पूछते तो बता देता। कुछ इसमें बतलाया कि इन्कम कितनी होगी। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बतलाया था और बजट में भी है कि १० लाख रुपये की इसमें इन्कम मानते हैं, और वह १० लाख रुपये होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय मंत्रीजी ने यह फरमाया कि १९६० से लागू होगा और जो नया सेटलमेंट....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मेरे ख्याल से मेरे जवाब देने के बाद कोई तरीका नहीं है कि आप जवाब दें। या तो विथड्रा करें, otherwise that may be put to vote.

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : स्पष्टीकरण पहले दे चुका हूं और वह भी दे चुका हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनको ज्यादा नुकसान होगा और नये वालों को लाभ होगा। कानून हमेशा रहता है और कानून बार बार नहीं बनता है। उनको ज्यादा नुकसान होगा और नये सेटलमेंट वालों को फायदा होगा, इसलिए मैं प्रेस करना चाहता हूँ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इनफार्मेशन, सर, क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की पोज़ीशन में हैं कि कम से कम कितने एकड़ पर लगेगा।

श्री. अध्यक्ष : अभी कहा है कि इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको यह अर्ज कर दूं कि यह नामुमकिन है बताना कि राजस्थान में कितने एकड़ पर लगेगा? मैं कहता हूं कि इस प्रकार का प्रश्न वे इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है। इतनी देर मैंने आपके सामने बहस की। मैं समझता हूं कि शायद वे या तो होंगे नहीं, या समझे नहीं होंगे। राजस्थान के अन्दर कोई एकड़ कायम नहीं हो सकता। डिफरेन्ट टाइप्स, डिफरेन्ट क्लासिफिकेशन्स और डिफरेन्ट प्रोडक्टिव केपेसिटी की लैण्ड्स हैं।

श्री अध्यक्ष : वे यह नहीं पूछ रहे हैं कि कितनी खेती पर, कितने एकड़ पर टैक्स लगेगा। मेरे ख्याल से यह मतलब है उनका।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कैसे कहा जा सकता है? राजस्थान के अन्दर अलग अलग जगह अलग अलग टैक्स लगेगा।

श्री अध्यक्ष : Total area affected by this.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not available at this time.

श्री अध्यक्ष : That is what I say.

श्री दामोदरलाल व्यास : That will take about 6 months.

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने पहले बता दिया कि ५०) रु० कम से कम है। इससे ऊपर वाली पर टैक्स लगेगा। तो ५०) रु० तक लगने वाली कितनी जमीन हो सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यही कह रहा हूँ कि एकड़ मेरे पास नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : अभी अभी आपने बताया कि बड़े बड़े फार्म्स होंगे, ज्यादा जमीन होगी उन पर ही लगेगा। तो किस आधार पर लगेगा ? हम यह मानते हैं कि बड़े बड़े फार्म्स पर लगेगा तो वह कितनी जमीन है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पब्लिक ओपीनियन के लिए सक्युंलेट किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री दयाकृष्ण विजय : 'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : वापिस जोर से बोल कर देख लें।

(हंसी)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पब्लिक ओपीनियन के लिए सरक्यूलेट किया जाय।

(पुन: मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री दयाकृष्ण विजय : 'Ayes' have it, Sir. Division...

श्री अध्यक्ष : You cialm division... या यहीं खड़े होकर गिन लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह एवं अन्य माननीय सदस्य : नहीं साहब।

(विभाजन के पूर्व की घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १९६० को २ मास के अन्दर जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

(पुन: मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य : 'Ayes' have it, Sir.

सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य : 'Noes' have it, Sir.

श्री अध्यक्ष : 'हां' पक्ष वाले हां पक्ष की लॉबी में जायं और 'ना' पक्ष वाले ना पक्ष की लॉबी में जायं।

(मत-दान सूचियों के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के निम्नलिखित सदस्य हैं :

'हां' पक्ष

१. श्री अनोपसिंह
२. श्री अर्जुनदास तुलसीदास
३. श्री बाल मुकुन्द
४. श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
५. श्री चन्दरसिंह यादव
६. श्री दलपतसिंह
७. श्री दयाकृष्ण विजय
८. मेजर श्री फतेहसिंह
९. श्री गज्जा पटेल
१०. श्री हीरा भाई
११. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
१२. श्री कालूराम
१३. श्री लच्छूराम
१४. श्री लादुराम बुलाणिया
१५. श्री लक्ष्मीचन्द
१६. श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व)
१७. श्री मोगजी भाई
१८. श्री मोहरसिंह
१९. श्री मुक्तिलाल मोदी
२०. श्री नरपतसिंह
२१. श्री नाथूलाल करौल मीना
२२. श्री पृथ्वीराज
२३. ठाकुर श्री रघुवीरसिंह
२४. श्री रामकरणसिंह
२५. श्री रामकिशन भाम्भू
२६. श्री रामनारायण वर्मा
२७. श्री रिद्धिचन्द
२८. रावराजा श्री सरदारसिंह
२९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
३०. श्री वीरका
३१. श्री वेनाराम गहलोत

'ना' पक्ष

१. श्री अब्दुल गफ्फारखां
२. श्री अमरा मीना रावत
३. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया
४. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
५. डॉ० बहादुरसिंह
६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
७. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला
८. श्री भंवरलाल शर्मा
९. श्री भवानी शंकर नन्दवाना
१०. श्री भीखाभाई
११. श्री भीमसेन
१२. श्री भोगीलाल पंड्या
१३. श्री भोलानाथ
१४. श्री बृजमोहनलाल शर्मा
१५. श्री चन्दनमल वैद
१६. डॉ० चन्द्रकला
१७. श्री छोटूसिंह
१८. श्री दलीपसिंह
१९. श्री दामोदरलाल व्यास
२०. श्री दौलतराम सारण

Page No.35

(श्री अध्यक्ष)

२१. श्री देवा गिरासिया
२२. श्री देवीलाल
२३. श्री धन्नालाल हारित
२४. श्री धर्मपाल पंवार
२५. श्रीमती गंगादेवी डाटा
२६. श्री गनपतिलाल वर्मा
२७. श्रीमती गौरी पूनिया
२८. श्री घासीराम यादव
२९. श्री गोकुलचन्द जाटव
३०. श्री गोपी सहाय
३१. श्री गोवर्धनसिंह केन
३२. श्री गुलाबसिंह
३३. श्री अमृतलाल यादव
३४. श्री हरिदेव जोशी
३५. श्री हरिप्रसाद यादव
३६. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
३७. श्री हरिश्चन्द्र
३८. श्री जयचन्द मोहिल
३९. श्री जयसिंह राणावत
४०. श्री जनार्दनराय नागर
४१. श्री जेठमल बरवाड़
४२. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
४३. श्रीमती कमला श्रोत्रिय
४४. श्री काना रेगर
४५. श्री किशनसिंह बढ्ढ़
४६. श्री लल्लूराम टाटावत
४७. श्री लालसिंह शक्तावत
४८. श्री लक्ष्मण हीरात
४९. श्री माणकचन्द कोठारी
५०. श्री मांगीलाल
५१. श्री मनोहर कोठारी
५२. श्री मोहुलाल मीना
५३. श्री मोहब्बतसिंह
५४. श्री मोतीलाल
५५. राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)
५६. कु० श्री नारायणसिंह (टोंक)
५७. श्री नाथूराम मिर्धा
५८. श्री निरंजननाथ आचार्य
५९. श्री फूला भाई
६०. श्री पी. के. चौधरी
६१. श्री पूनमचन्द बिश्नोई
६२. श्रीमती प्रभा मिश्रा
६३. श्री प्रभुलाल पुरोहित
६४. श्री रामचन्द्र
६५. श्री रामदान चौधरी
६६. श्री रामदेव सिंह
६७. श्री रामेश्वर दयाल
६८. श्री रामलाल बंसीवाल
६९. श्री रामप्रसाद लड्ढा
७०. श्री रिखबचन्द धारीवाल
७१. श्री सहदेव
७२. श्री सज्जनसिंह
७३. श्री सम्पतराम
७४. श्री शंकरलाल
७५. श्री रामचन्द्र चौधरी
७६. श्री श्रीनिवास शारदा
७७. श्री सोहनलाल भटनागर
७८. श्री श्रीमानसिंह
७९. श्री सुगनचन्द जैन

(श्री अध्यक्ष)

८०. श्रीमती सुमित्रा देवी

८१. श्री तेजाराम गहलोत

८२. श्री तेजमल बापना

८३. श्री तेजपाल

८४. श्री छुट्टनलाल

८५. श्री विद्यासागर

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव के पक्ष में ३१ वोट और विरोध में ८५ वोट आये हैं। प्रस्ताव गिर गया।

(करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंहजी अपना प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं क्या ?

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस नहीं ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह का प्रस्ताव है, राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १६६० को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय (जिसके सदस्यों की नामावली बाद में बताई जायगी), जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव विचारार्थ लिया जाता है।

जन-लेखा समितियों के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार किया जाय, उसके पहिले पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी एस्टीमेंट्स कमेटी के बारे में साफ कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : और माननीय सदस्य एस्टीमेट कमेटी से अपने नाम वापिस लेना चाहें तो बता दें।

(विराम)

मैं मानता हूँ कि बहुत से माननीय सदस्य नाम वापिस नहीं लेना चाहते।

(विराम)

जन-लेखा समिति में निम्नांकित सदस्य निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :

१. श्री भीमसेन

२. श्री परसराम

३. श्री ज्वालाप्रसाद

४. श्री हरिदेव जोशी

५. श्रीमती सुमित्रा

६. श्री श्रीमानसिंह

७. श्री भवानीशंकर नंदवाना

८. श्री लच्छूराम

६. श्री तनसिंह

१०. श्री भैरोंसिंह (विभाजन संख्या १४)

एस्टीमेट्स कमेटी में अब १७ उम्मीदवार हैं।

श्री तेजाराम गहलोत।

राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १६६०

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के क्लॉज़ २ के ऊपर मेरा एक संशोधन है। वह है चाही लैंड की परिभाषा के ऊपर। जो कि प्रस्तावित बिल के अन्दर 'चाही' की परिभाषा रखी है, उसके अन्दर वे सब भूमियां शामिल नहीं होती हैं जो कि वास्तव में चाही ज़मीन हैं। क्योंकि सेटलमेंट होने के बाद भी कुछ ज़मीनों में कुंए खुदते हैं लेकिन बन्दोबस्त के रेकॉर्ड में चाही भूमि रेकॉर्ड नहीं हैं। ऐसी हालत में जो फायदा, या जो कन्सेशन बिल के अन्दर चाही भूमि को दिया जाता है वह उस भूमि का प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा कुछ भूमि ऐसी है जो वास्तव में चाही भूमि रेकॉर्डेड नहीं है लेकिन उसके अन्दर नहरी दर्ज है। उसमें एक साल के अन्दर एक बार नहरी पानी से सिंचाई होती है, बाकी के चार-पांच बार कुंए से सिंचाई होती है। तो जब हम चाही भूमि को इस कानून से कन्सेशन या फायदा देना चाहते हैं तो ऐसी हालत में वे सब ज़मीनें चाही रेकॉर्ड हैं या नहीं, चाही दर्ज हैं या नहीं? कुंए से सिंचाई होती है तो उनको चाही में सम्मिलित कर लेना चाहिए जिससे कि वास्तव में जो चाही भूमि रेकॉर्ड में दर्ज है, और दूसरी भूमि जो रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उनमें भेदभाव नहीं हो और एक काश्तकार जिसकी जमीन चाही रेकॉर्ड है उसको बेनिफिट मिले और जिसकी दर्ज नहीं है उसको नहीं मिले; तो सबको न्याय नहीं मिलेगा। इस मन्शा से मैं संशोधन पेश करता हूं कि पहला भाग, जो परिभाषा में है, वह वैसा ही रहे और दूसरा भाग यह हो....

"(i) Chahi land, shall mean land irrigated from the waters of a well and recorded as such in the Assessment Purcha and the Current Annual Registers.

(ii) or land brought under well irrigation after the issue of Assessment Purcha by constructinga pucc a well, or

(iii) Land, the watering of which has been by well irrigation in the preceding 5 years." एक जमीन ऐसी भी होती है : पहले उसमें कुआ था, अब कुआ बेकार है या गिरने के लिये है। ऐसी सारी जमीन को इसमें इनक्लूड कर लेना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि राजस्व मंत्रीजी मेरे इस संशोधन पर गौर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज़ २ के सब-क्लॉज़ (१) के अंत में यह इबारत जोड़ देने की तरमीम पेश की है :— "and it shall also include such Nahari and/or Talabi land of which the land reveue includes the water rate".

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिये जो टैक्स लगाया जा रहा है, वह सरचार्ज ऑन लैंड-रेवेन्यु है, इसलिए जिस जमीन का लगान दर्ज है, निश्चित है, और एनुअल रजिस्टर या पानड़ियों में लिखा हुआ है, वहां तो इस टैक्स को लगाने या असेस करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उस जमीन के सम्बन्ध में दिक्कत आती है कि

Page No.38

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जिसका लगान और वाटर रेट दोनों शामिल में दर्ज हैं पानड़ियों में और यह नहीं कह सकते कि वाटर रेट कितनी है और लैंड रेवेन्यू कितनी है। इस तरह की हमारे यहां दो तरह की जमीन हैं। एक तो वह जो कुंए से सिंचित होती है और उस जमीन का लगान और वाटर रेट दोनों एनुअल एजिस्टर या पानड़ियां में दर्ज होता है। यह नहीं कह सकते कि वाटर रेट कितनी है और लैंड रेवेन्यु कितनी है और उनकी दरें बहुत ऊंची है, तीन रुपये एक एकड़ से लेकर ४० रुपये एकड़ तक दरें हैं। दूसरी तरह की वे जमीनें हैं जो नहर या तालाब से सिंचित होती हैं और उसमें वाटर रेट और लैंड रेवेन्यू दोनों शामिल है और उस जमीन की दरें भी काफी ऊंची है डेढ़ रुपया प्रति एकड़ से लगा कर पच्चीस रुपया प्रति एकड़ तक है। चूंकि यह सरचार्ज लैंड रेवेन्यू पर वसूल होना चाहिए और ये जो दो तरह की जमीनें बताई हैं इनमें लैंड रेवेन्यू और वाटर रेट दोनों शामिल हैं और दोनों को मिला कर जो रकम पड़ती है, उस पर सरचार्ज लगाने का तरीका सिद्धान्तत: गलत है। इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए इस बिल में धारा दो की उप धारा १ रखी गई है, जिसमें चाही लैंड की परिभाषा दी गई है। लेकिन चाही लैंड की जो परिभाषा दी गई है उसमें केवल उस जमीन को लिया है जो कुंए से सिंचित होती है और इस कुंए से सिंचित होने वाली जमीन को ही बिल की धारा तीन के प्रोवीजो का लाभ मिल सकेगा यानि जो सरचार्ज लगेगा वह लैंड रेवेन्यू, जो ऐसी जमीन का एनुअल रजिस्टर या पानड़ियों में दर्ज है उसके वन-थर्ड पर लगेगा और टू थर्ड भाग पर नहीं। लेकिन इस परिभाषा से वह जमीन कवर-अप नहीं होती है जिस जमीन की सिंचाई नहर या तालाब से होती है और जिसकी वाटर रेट और लैंड रेवेन्यू दोनों शामिल दर्ज है। ऐसी जमीन जिसकी नहर या तालाब से सिंचाई होती है और उसकी वाटर रेट और लैंड रेवेन्यू दोनों शामिल है वह भी इस प्रोवीजो का लाभ उठा सके, इसलिए मैंने चाही की परिभाषा में उक्त इबारत जोड़ने की प्रार्थना की है। इसको जोड़ने से चाही लैंड, नहरी या तालाबी लैंड एक स्तर पर आ सकेगी। सिद्धान्तत: सही भी है कि दोनों का आधार एक है, दोनों में वाटर रेट शामिल है, तो चाही लैंड के वन-थर्ड ऑफ़ लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज असेस करना और नहरी तालाबी लैंड जिसमें लैंड रेवेन्यू और वाटर रेट शामिल है, इस पर सरचार्ज वसूल करना क्या न्यायसंगत है? माननीय मंत्रीजी इसका जवाब दे सकते हैं कि अभी कुछ समय हुआ जब मंत्री मंडल की बैठकें भीलवाड़, चित्तौड़ जिले में हुई, वहां पर उनके सामने इर्रिगेशन डिफिकल्टी रखते वक्त यह रखा गया कि वह जमीन जिसकी सिंचाई कुंए से या नहर या तालाब से होती है और उस जमीन के लगान में वाटर रेट शामिल है, अब चूंकि उस हल्के में नहर बन गई है, इसलिए उसकी कुंए से सिंचाई न करके नहर से सिंचाई करते हैं, तो नहर के इर्रिगेशन चार्जेज हैं वे भी देने पड़ेंगे और जो लैंड रेवेन्यू मुकर्रर है उसमें वाटर रेट और लैंड रेवेन्यू दोनों शामिल है वह भी देना पड़ेगा। इस तरह दोहरा वाटर रेट वसूल हो जाता है। उसको दूर करने के लिए मंत्री मंडल ने निर्णय लिया कि ६० पर्सेन्ट तो लैंड रेवेन्यू मान लिया जाय और ४० पर्सेन्ट की छूट दी जाय। और जब तक लैंड रेट

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ऑफ़िसर मुकर्रर करके वे निर्णय न करें उस समय तक इस रेट से लिया जाय, बाद में जो डिसीजन हो, उसकी तामील की जाय। यह मान लिया गया है कि यह डबल वाटर रेट नहीं लिया जाना चाहिये। अब उस आधार पर अगर मंत्री महोदय कहें कि यह फैसला हो गया है, उसमें लैंड रेवेन्यू फिक्स होगा, उस पर यह सरचार्ज वसूल होगा। उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि एक तो यह निर्णय लिया गया यह इन्टरीम चीज है। दूसरे जो परिभाषा दी गई है उसमें उसको फिटइन नहीं कर सकते। तीसरे जिस पर्पज़ के लिए निर्णय लिया है कि इर्रिगेशन चार्जेज डबल होते हैं, इसलिए उसको रिमूव करने के लिए डिसीज़न लिया गया है। यह पर्पज़ दूसरा है, इसलिए किसी भी तरह यह निर्णय है, इसमें अधिक मदद नहीं करता है और थोड़ी देर के लिए जब कि चाही ज़मीन और नहरी ज़मीन दोनों एक लेवल पर हैं, जब चाही जमीन की परिभाषा दे दी गई है तो फिर नहरी और तालाबी जमीन की परिभाषा एड कर देने में हानि नहीं है। इसके बावजूद भी यदि मेरे तथ्यों और ऐतराजातों से माननीय मंत्रीजी संतुष्ट नहीं होते हैं तो एक बात और है। फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने इस संबंध में एक सिफारिश की थी :

" As the rates of assesment on Chahi lands in this State are already high and as the assessment on Nehri lands includes an element of water rate also, some adjustments have to be made to secure, as far as possible, a fair basis of aseessment on all classes of land. It may, therefore, be provided that only one-third of the assessment payable on Nehri and chahi lands shall be taken into account for the purpose of calculating the total land revenue on which Surcharge is to be levied." तो फाइनेन्स एन्क्वायरी कमेटी की भी यह रिपोर्ट है और दूसरे तथ्यों से भी यह रीज़नेबल प्रतीत होता है कि दोनों को एक लेवल पर ट्रीट किया जाय। इसलिये चाही लैंड की परिभाषा में मैंने जो तरमीम पेश की है वह स्वीकार की जाय ताकि नहरी चाही ज़मीन वाले भी सेक्शन ३ के प्रोवीज़ो का लाभ उठा सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज पर मेरा अमेंडमेंट है : "In part (1), the word 'Irrigated' be substitute in place of the word 'chahi' in the first line, and the words 'tanks and canals' be inserted after the word 'well' in the second line." माननीय अध्यक्ष, जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट है कि चाही लैंड कि जो डेफिनिशन दी है उससे सरकार की मंशा है कि खाली १।३ पर ही सरचार्ज लिया जायगा और केल्कुलेशन के लिए १।३ माना जायगा। पर मेरा निवेदन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना में काफी टैक्स का निर्माण हुआ और री-सेटलमेंट नहीं हुआ है, फिर भी सरकार ने नये लगान लगा दिये है जो बारानी के लगान से दुगुना तिगुना है।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

गुलाबपुरा से आने वाले माननीय सदस्य का भी अमेंडमेंट है कि वाटर रेट लगान में इन्क्लूड हो तो लगाया जाय। मेरा निवेदन है कि बारानी से नहरी लगान बहुत ज्यादा है इसलिए केल्कुलेशन हो तो १/३ समझ कर केल्कुलेशन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का एक संशोधन है इसमें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें एक अमेंडमेंट मेरा भी है : "In sub-clause (2), for the words 'to it' the words 'to the term revenue' be substituted;" और दूसरा है इसमें : " After the words 'the said Act', the words 'and payable directly to the State Government but shall not include assigned land revenue' be inserted." इसमें सिर्फ मतलब यह है कि असाइन्ड लैंड रेवेन्यू है और गवर्नमेंट को डाइरेक्ट पे नहीं की जाती है उस पर सरचार्ज लगाने की मंशा नहीं। टिनेन्सी एक्ट में जो डेफिनिशन दी है उसी के माफिक, जो लैंड रेवेन्यू डाइरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है उसी पर सरचार्ज होगा।

श्री अध्यक्ष : दूसरों ने जो संशोधन रखे हैं उनके भी उत्तर दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अन्य माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं उनका उत्तर भी दे दूं। सोजत से आये हुए माननीय सदस्यों ने चाही की डेफिनिशन के लिए संशोधन दिया है, मैं उसे ठीक नहीं समझता। उन्होंने कहा कि रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में एन्ट्री होती है वही 'चाही' नहीं होती, कुछ दूसरी भी 'चाही' होती है जो बाद में इर्रिगेशन में आती है। रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में जिस अमीन को 'चाही' दर्ज किया है, इसको मानने में किसको ऐतराज है? पांच साल का एवरेज बताया है, इर्रिगेशन हुआ है उसे 'चाही' माना जाय, सेटलमेंट के रूल्स कहते हैं कि लास्ट फोर फाइव इयर का एवरेज इर्रिगेशन का हुआ, उसको 'चाही माना जायगा। सेटलमेंट के रेकॉर्ड में असेसमेंट चाही का है और चाही का लगान पे करता है तो उनका यह अमेंडमेंट आवश्यक नहीं है। जो यह कहा कि बारानी लैंड में बाद में जाकर कुआ खुदवा लिया जाता है तो इसके लिये तो ऑलरेडी लॉ है। इसमें तब्दीली करने की जरूरत नहीं तो ओरीजिनल बिल में जो जो डेफिनिशन दी है वही रखना ठीक है।

जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा और सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा वह एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं। इसलिये दोनों पर अलग अलग कहूंगा। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें वह नहरी, तालाबी जमीन भी दर्ज कर दी जाय : Irrigation by canals and irrigation by tanks को include कर दिया जाये, उसका सवाल नहीं उठता।

राजस्थान में कुछ तालाबी नहरी, जमीनें ऐसी हैं कि वाटर रेट्स और लैंड रेवेन्यू दोनों शामिल हैं। जो सरचार्ज लगेगा लैंड रेवेन्यू और वाटर रेट दोनों पर जोइन्ट लग जायगा, जो माननीय सदस्य ने आर्ग्युमेंट्स दिये हैं मेरे आर्ग्युमेंट्स की ताईद करते हैं।

कुछ उदयपुर डिविजन का एरिया और कुछ कोटा डिवीजन का एरिया ऐसा है कि वहां ये दोनों जोइन्ट हैं, पर केबिनेट ने ऑर्डर इश्यू

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कर दिया है कि सेपरेट कर दिये जायं । तो ४० परसेन्ट कम करने के बाद ६० परसेन्ट लैंड रेवेन्यू रह जायगी, उसी के ऊपर सरचार्ज लगेगा। इसलिये इस अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं । अब यह आउट डेटेड हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस सम्बन्ध में फैसला कर दिया है और वह इम्प्लीमेंट हो गया है । अब उनके लिए डर की बात नहीं। प्योर लैंड रेवेन्यू होगा उसके ऊपर ही सरचार्ज वर्क आउट किया जायगा ।

सलूम्बर से आनेवाले माननीय सदस्य हैं वे यह चाहते हैं कि सारी चाही लैंड है सब को एग्जेम्प्ट कर दिया जाय । वैल इर्रिगेशन को एक्सक्लूड करने के कारण सीलिंग का बिल जिस समय पेश हुआ और उस पर बहस हुई उस वक्त मैंने बताये थे । इस समय मैं वे सब न बता कर मुख्य दो ही कारण बताऊंगा कि जो चाही वैल इर्रिगेटेड है उसको बारानी तसव्वर करने की क्या जरूरत है ? वैल इर्रिगेटेड जो चाही लैंड है उसमें सारे के सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं वे सब काश्तकार के लिये हुए इम्प्रूवमेंट्स हैं और दूसरा कारण यह कि उस लैंड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हैवी होता है । इसीलिये वैल इर्रिगेटेड चाही लैंड को बारानी शुमार किया है । १।३ किया है उसका मतलब भी वही है । वह कन्सेशन केनाल इर्रिगेशन में नहीं आता क्योंकि मेन्टीनेन्स, कन्सट्रक्शन वगैरह सारा का सारा खर्चा इसमें गवर्नमेंट करती है, काश्तकार कुछ नहीं करता । इसलिये इरगेशन जहां टैंक से है, नहर से है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता ।

मैं समझता हूं, मैंने जो जवाब दिया है उससे माननीय सदस्य सेटिस्फाइड होंगे और अपने अमेंडमेंट वापिस ले लेंगे । फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने अपना एमेंडमेंट पेश नहीं किया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि जो संशोधन श्री तेजाराम गहलोत ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन सर्व श्री सोहनलाल भटनागर और रामप्रसाद लड्ढा ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my amendment.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I withdraw my amendment.

Page No.42

श्री दामोदरलाल व्यास : My amendment, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजस्व मन्त्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २ स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३

श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस क्लॉज़ पर एमेंडमेंट है : "After the word 'Surcharge' occuring first, the word 'calculated' be inserted."

यह एमेंडमेंट लैंग्वेज को ठीक करने के लिये किया है और सहूलियतों के लिये है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

डॉ० बहादुरसिंह :

11. (1) Rate of Surcharge के कॉलम में शब्द 'Six and quarter' के स्थान पर शब्द 'Five' प्रतिस्थापित किया जाय।

(2) शब्द "Twelve and half" के स्थान पर शब्द "Ten" प्रतिस्थापित किया जाय।

13. Substitute "One hundred" for "fifty" in item (i) and (ii), column one of the Table.

रावराजा श्री सरदारसिंह :

१२. (१) सारणी के आइटम (i) और (ii) स्तम्भ एक में शब्द 'पचास रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ रुपये' प्रतिस्थापित किया जाये।

(२) खंड के परन्तुक में 'एक तिहाई' के स्थान पर 'एक चौथाई' प्रतिस्थापित किया जाय।

श्री भीमसेन :

16. Substitute the words "rupee one hundred" for the words "rupee fifty," occurring in items (i) and (ii), column one of the table.

36. Add the following further proviso to the clause:-

"Provided further that no such Surcharge shall be leviable on any land Revenue payable by a Co-operative farming Society."

श्री पी० के० चौधरी :

17. (a) In column one, items (i) and (ii) replace the word "fifty" by the words "one hundred."

(b) Add the following new proviso:-

Page No.43

(श्री पी. के. चौधरी)

"Provided that no Surcharge will be levied if the total value of Surcharge together with the land Revenue is equal to or more than one-fiftieth of the gross value of produce from the cultivated area of the holding."

श्री सोहनलाल भटनागर:

18 (a) the word "May" be Substitute in place of the word "April".

(b) In items (i) and (ii) of column one of the table, the words "Seventy-five" be Substituted for the word "fifty."

(c) In the second Column against item (ii) of the Table the words "Five Naya Paisa per rupee" be Substituted for the words "Six and quarter percent."

(d) Against item (iii) in the Second Column of the table, the words "Ten Naya Paisa per rupee" be substituted for the words "Twelve and half percent."

(e) Proviso:

In the proviso to the Clause, the word "irrigated" be substituted in place of the word "Chahi."

श्री रामप्रसाद लड्ढा:

19. Substitute "One hundred" for "fifty" in items (i) and (ii), Column One of the table.

20. In the Second Column of the table-

(a) Replace the words "Six and quarter percent" occurring in .item (ii) "Six Naya paisa per rupee."

(b) Replace the words "Twelve and half percent" occurring in item (iii) by the words "Twelve Naya Paisa per rupee."

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

21. (1) In item (i) of the table—

Substitute the words "one hundred" for the word "fifty" in the Column of "Amont of land Revenue."

(2) In item (ii) of the table— in the Column (a) Subsititute the words "one hundred for the word "fifty."

(b) Substitute the words "four hundred and fitty" for the words "two hundred and fifty."

(c) Substitute the word "four" for the word "Six" in the Column of "Rate of Surcharge."

(3) In item (iii) of the table—

(a) Substitute the words "four hundred and fifty" for the words "two hundred and fifty" in the Column of "Amount of land Revenue."

(b) Substitute the word "Eight" for the word "Twelve" in the Column of "Rate of Surcharge,"

श्री श्रीभानसिंह :

32. Replace the table Showing the rate of Surcharge by the following:—

Amount of Land Revenue.	Rate of Surcharge.
(i) Where the amount of Land Revenue payable is less than Rs. 250/- per annum-	Nil
(2) Where the amount of Land Revenue is 250/- or more but less than Rs. 500/- per annum.	$6\frac{1}{4}$% on the total amount of land revenue.
(3) Where the amount of land Revenue payable is Rs. 500/- per annum or more.	$12\frac{1}{2}$% on the total amount of land revenue.

श्री दयाकृष्ण विजय :

श्री रामनारायण वर्मा :

(३३) सारणी के स्तम्भ एक, आइटम (i) और (ii) में 'पचास रुपया' के स्थान पर 'एक सौ पचास रुपये' प्रतिस्थापित किये जावें ।

श्री अनूपसिंह :

34. Against items (i) & (ii) in the first Column of the Table in place of the words "Rupees fifty" Substitute the words "rupees one hundred and fifty."

१ म. प.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे दो संशोधन हैं और वे रेट्स के बारे में हैं। पहला ज्यादा उपयोगी है और विशेष कर जब हम दश मलव प्रणाली को मानते हैं। इसलिये ६। का क्या हिसाब होगा ? मैंने इसलिये यह रखा है कि इसके स्थान पर शब्द ५ प्रतिस्थापित किया जाय और शब्द १२।। के स्थान पर दस प्रतिस्थापित कर दिये जावें ।

दूसरा मेरा संशोधन है, "Substitute 'one hundred' for 'fifty' in items (i) and (ii), column one of the Table." जहां सरकार ने ५०) तक एग्जेम्शन रखा है उसके स्थान पर १००) तक बढ़ाना चाहिये और १००) तक यह सरचार्ज वसूल नहीं किया जावे तथा रेट्स के बारे में हम दशमलव प्रणाली को काम में ले रहे हैं इसलिये ५ प्रति शत या १० प्रति शत रेट लेना चाहिये। इस हिसाब से रेट मुकर्रर करनी चाहिये और अगर फिर कभी रेट बढ़ गई तो वह भार किसानों पर पड़ेगा । इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप ५ रखें तो ५ प्रति शत या १० प्रतिशत, जो भी होगा हो जावेगी। यह दशमलव पद्धति से ठीक रहेगा। इसलिये मैंने यह रखा है । मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री रामचन्द्र (डग–सु.) : इसमें दश मलव प्रणाली नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है : (१) सारणी में आइटम (१) और (२), स्तम्भ एक में शब्द 'पचास रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ रुपये' प्रतिस्थापित किये जायें। (२) खंड के परन्तुक में 'एक-तिहाई' के

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

स्थान पर 'एक-चौथाई' प्रतिस्थापित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय राजस्व मन्त्री ने चाही के लिये कुछ स्पष्टीकरण फरमा दिया लेकिन एक बात उनके भी ध्यान में होगी और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कानून तो हमेशा रहते हैं और जो रेट बन जाती है वह हमेशा रहती है। मगर इस बात को भी ध्यान में लिया है कि जिनका सेटलमेंट पहले बारानी जमीन में हो गया और अब उस पर छोटे छोटे तालाब बन गये और जब तालाब बन गये तो उनकी रेट में रिविज़न होना चाहिये मगर नहीं हुआ है। उनके लिये तब तक रिविज़न न हो जावे, सेटलमेंट की तारीख मुकर्रर न हो जावे पानी भी दिया जावे ताहम भी पुरानी रेट शुमार करनी चाहिये। लेकिन आजकल क्या होता है कि जहां तालाब से पानी नहीं दिया जावे, सेटलमेंट ड्यू नहीं है, उनसे बारानी रेट से लगान नही लिया जाता है। बारानी रेट २।१४ आ० और पिलाई की रेट ६।) है। इसी तरह से १।१४ के हिसाब से ५ रु० पड़ते हैं। इस तरह से ११।४ पड़ते हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि चाही की जमीन है उसका लगान लिया जाता है उसमें किसानों को सरफा करना पड़ता है। उन लोगों का यह कहना है कि हमारा सेटलमेंट ड्यू नहीं है। उनियारा में अलीगढ़ वगैरा में, आपने यह फरमाया कि नया सेटलमेंट होगा तब....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): On a point of order, Sir, when this point has been decided in the definition of 'Chahi' I think in this clause he should not come with the same arguments.

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तो डिसाइड हो गया है, लेकिन मेरा मतलब आप नहीं समझे। राजस्व मन्त्रीजी जानते हैं चाही तो रेट में शामिल है। लास्ट इयर गलवानिया के बांध से पानी दिया है। उनसे ६।) नहीं लेते उनसे ११ रु०, ७ आ० पड़ती है। तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब यह है कि उसी रेट से लिया जावेगा तो किसानों पर ज्यादा भार पड़ेगा। मैं तो पहले ही अर्ज़ कर चुका हूं कि अगर यह स्वीकार कर लेते हैं तो माल की जमीन है उस पर काश्तकार को ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। गलवानिया के यहां का इन्जीनियर और एस. डी. ओ. है उन्होंने कुछ किया होगा और मुक्त किया होगा और लोगों को उससे रीलीफ मिला होगा; मगर मुझे इसके संबन्ध में मालूम नहीं है। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में मेरे दो संशोधन हैं : "Substitute the words 'rupees one hundred' for the words 'rupees fifty' occuring in items (i) and (ii), column one, of the table." अध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री ने अभी जो बहस हुई थी उसके जबाब में बताया कि जिस टैक्स के द्वारा १० लाख की आमदनी संभावित है लेकिन राजस्व मंत्री को पूछा गया कि इस टैक्स का प्रभाव कितने

(श्री भीमसेन)

काश्तकारों पर पड़ेगा तो इस बारे में निश्चित रूप से सूचना नहीं दी। जब हम कोई कानून बनाने जा रहे हैं और यह कानून तो ऐसा है जिसमें रुपये पैसों का हिसाब है तो यह जानना जरूरी होता है कि इससे कितनी आमदनी होगी और कितनों पर इसका असर पड़ेगा। ऐसी हालत में बिना किसी निश्चित रूप-रेखा के कोई चीज़ बनाते हैं तो वह वाजिब नहीं होती है। तो इस तरह से जो कानून हम बनाने जा रहे हैं जिसमें अन्दाजा नहीं है कि इससे कितनी आमदनी होगी और कितने काश्तकारों पर इसका असर पड़ेगा तो मैं चाहूंगा कि छोटे २ काश्तकार हैं जिनके होल्डिंग्ज बहुत छोटे हैं उनको ज्यादा रीलीफ दें, इस मंशा से मैंने यह एमेंडमेंट रखा है कि ५० के बजाय १०० कर दिया जाये।

दूसरा मेरा एमेंडमेंट है : "Add the following further proviso to the clause:-

"Provided further that no such Surcharge shall be leviable on any land revenue payable by a Co-operative Farming Society."

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो राजस्थान सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोत्साहन देना चाहती है, राजस्थान सरकार चाहती है कि गांवों में जो छोटे २ होल्डिंग्ज़ हैं, अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ हैं, वे काश्तकार अपने लैंड को पूल करें, रिसोर्सेज़ को पूल करें और अगर उनके पास रिसोर्सेज़ कम हों तो गवर्नमेन्ट दे। इस तरह से सरकार एक तरफ चाहती है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज को प्रोत्साहन दे, लेकिन अगर यह कानून पास कर देते हैं तो इसका सीधा असर यह होगा कि कोई भी काश्तकार इस स्थिति में अपने लैंड को पूल नहीं करना चाहेगा। काश्तकार यह सोचेगा कि ज्यों ही ५०) से अधिक लैंड रेवेन्यू होगा तो उसको सरचार्ज देना पड़ेगा, अधिक टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए वह नहीं चाहेगा कि अपने लैंड को पूल करे, रिसोर्सेज़ को पूल करे। इस दृष्टि से इसके द्वारा आप कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को निरुत्साहित कर रहे हैं। आपकी यह पॉलिसी है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को प्रोत्साहन मिले। यदि यह सच्ची भावना है तो इन परिस्थितियों को देखते हुए इसके लिए इस एक्ट द्वारा इनको एक्जम्पशन दिया जाय। इस दृष्टि से ही मैंने यह दूसरा अमेंडमेंड प्रस्तुत किया है। आशा है राजस्व मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट है क्लॉज ३ में। सरचार्ज का रेंट स्ट्रेक्चर प्रोपोज़ किया उसमें है "In column one, items (i) and (ii) replace the word "fifty" by the words "one hundred".

And add the following new proviso:-

"Provided that no Surcharge will be levied if the total value of Surcharge to-gether with the land revenue is equal to or more than one-fiftieth of the gross value of produce from the cultivated area of the holding."

अध्यक्ष महोदय, जो ओरिजिनल बिल

(श्री पी. के. चौधरी)

है, इसमें ५०) से ज्यादा और २५०) रु० तक लैंड रेवेन्यू है वहां पर ६। पर्सेन्ट सरचार्ज लगाया है और २५० से ऊपर १२।। मैं पर्सेन्ट लगाया है। मेरा अमेंडमेंट यह है कि १००) रु० से २५०) पर ६। पर्सेन्ट और २५० से ऊपर १२।। पर्सेन्ट उनका है, वैसा रह जाता है। जो प्रोवीजो दिया है उसका मतलब यह है कि लैंड रेवेन्यू और सरचार्ज दोनों मिला कर जमीन की टोटल प्रोड्यूस वैल्यू का १।५० से ज्यादा हो तो सरचार्ज क्या लिया जाय। यह बताऊंगा कि किस आधार पर यह अमेन्डमेन्ट दिया है। सरचार्ज प्रोपोज़ किया। गवर्नमेंट की फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी थी उसने रिकमन्ड किया है। कमेटी ने पेज 111 में कहा है :

" For these reasons we recommend that in place of the agricultural income-tax a surcharge on land revenue may be levied as indicated below :-

Where the amount of land revenue payable exceeds Rs. 100-but does not exceed Rs. 250/- 6¼ percent. "

मेरा जो अमेन्डमेन्ट है फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की उस सिफारिश से सम्बन्धित है। और फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने यह जो रेट प्रोपोज़ किया है उसके फन्डामेन्टल रीजन्स दिये हैं। पैरा १२.४ पर कहा है : "A Surcharge is the easiest expedient for increasing receipts from an existing source of revenue but it cannot be applied indiscriminately. When the basic rates are uneven, the Levy of a Surcharge would only accentuate the inequalities of incidence already existing. "

अब इन्इक्विलिटी ऑफ इन्सीडेन्ट्स इस प्रकार आते हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कल कहा था कि हमारा लैंड रेवेन्यू स्टेन्डर्डाइज्ड नहीं है, डिफरेन्ट एरिया में डिफरेन्ट है, साइन्टिफिक बेसिस पर नहीं हुआ है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी यह कहा था : " The Taxation Enquiry Committee have pointed out the inadvisability of superimposing Surcharges on the existing rates of land revenue assessments until these rates are standardised and placed on a common basis of commutation rates, as has been done in Madras and Andhra Pradesh. "

अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को देखते हुए कहीं जाकर फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने १००) जो लैंड रेवेन्यू पे करता है उसको एक्जम्प्ट करने की सिफारिश की है। मेरा अमेन्डमेंट भी उसी से सम्बन्धित है। उसके ग्राउन्डस क्या हैं? १००) से २५०) तक ६।) पर्सेन्ट क्यों कहा था? टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को रेफर करेंगे तो पता चल सकेगा। उसका मेन आरग्युमेंट यह है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज़ काफी बढ़ गई हैं और इसलिये जरूरी हो गया है कि एग्रीकल्चरिस्ट को इन्क्रीज्ड प्राइसेज से फायदा होता है उससे टेप करना चाहिये गवर्नमेंट के लिए। किस हद तक किस रेशो से करना चाहिये, उसके लिए टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने एक उसका स्केल दिया है। मैं

(श्री पी. के. चौधरी)

मानतीय मंत्री महोदय का टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के वोल्यूम ३, पेज २३०, पैरा २२१ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसमें शिड्यूल दिया है :

"We may now outline our scheme of changes in land revenue with reference to price movements. Having regard to the first consideration mentioned in paragraph 17 above, we suggest that a change in prices by 25 percent in either direction may be treated as not calling for any adjustment in the land revenue demand. If prices rise by more than 25 percent, we suggest that increases in land revenue should be effected as in the scale given below :"

अब प्राइसेज मूवमेन्ट दे दिया है वह इस प्रकार से है : "Rise in prices upto 25 percent: Nil.

Rise in prices above 25 pencent, but not above $31\frac{1}{4}$ percent: $3\frac{1}{8}$ percent.

Rise in prices above $31\frac{1}{4}$ percent, but not above $37\frac{1}{2}$ percent : $6\frac{1}{4}$ percent."

अब यह जो प्राइस मूवमेंट है वह किस आधार पर प्राइसेज़ मूवमेंट को केल्कुलेट करना चाहते हैं वह २२६, पेज पैरा २० में दिया हुआ है :

"The second point refers to the periods, current and base, as between which price changes are to be measured."

उस पीरियड में उन्होंने कहा कि जिस डेट को प्राइसेज चेन्ज करती है, १० टू २० इयर्स का उन्होंने बेस लिया है और लेना चाहिये। जब १० टू २० बेस लेते हैं तो ५२-५३ में क्या प्राइस लेवल थी वह आधार आता है। जब लेते हैं, कल कोट किया था कि ५२-५३ की सीरियल प्राइस लेवल को लेते हैं। Then on the week ending 5 th March, 1960 "the index is 103 and something." प्राइस राइज़ होती हैं ३ पर्सेन्ट उसका इन्डेक्स नम्बर ३ and something आता है। फूड ग्रेन्स की प्राइसेज़ रेज्ड हुई हैं, ३॥ पर्सेन्ट आती हैं। यदि इसका एवरेज लेते हैं सन् ४० से ६० तक तो ६ पर्सेन्ट से फूड में प्राइसेज़ ज्यादा नहीं होंगी और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की यह सिफारिश थी : इस लैंड रेवेन्यू में बढ़ावा होना चाहिये और इसके साथ साथ यह भी कहा था कि यदि ३६ में असेसमेंट हो गया हो तो वहां बढ़ने और घटने का सवाल नहीं आता है, चाहे कितनी ही प्राइसेज़ राइज़ कर दी जावें। In that there is no question of revision. यदि ३६ के बाद असेसमेंट हुआ हो तो उसका रिविज़न करें। यह शिड्यूल दिया है प्राइसेज़ चेन्जेज़ में मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिये। इन फेक्ट्स को सामने रखते हुए जो फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने मिनिमम एग्जेम्पशन लेवल रखा था उसको एक्सपर्ट तरीके से जांच करके रिकमन्ड किया होगा। उसी को मेन आधार माना और उसका सपोर्ट टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन से भी मिलता है।

दूसरी एक बात, अध्यक्ष महोदय, हमने एक जनरल प्रिन्सिपल माना है १६ लैन्ड रेवेन्यू का। पैदावार से जो इन्कम आती है

(श्री पी. के. चौधरी)

उससे १।६ से ज्यादा नहीं लेना चाहिये, यह मामूली उसूल माना गया है। १।६ का मतलब होता है १६ पर्सेंट। इस हिसाब से १।३० की प्राइस जाकर लगभग १६ पर्सेंट पड़ती है। १।३० जिसकी ग्रोस प्रोड्यूस होती है उससे उनकी इन्कम हाफ पड़ती है और इससे भी कम पड़ती है। इन सब बातों का खयाल रखते हुए मैंने कहा कि सरचार्ज जो इम्पोज़ करते हैं उसमें लैंड रेवेन्यू और जिसकी टोटल प्रोड्यूस उस प्रोड्यूस से १।५८ ज्यादा होता है वहां पर चार्ज नहीं करना चाहिये। जैसे उदयपुर और जयपुर डिविजन हैं। जयपुर में १६ रुपये, १५ रुपये पर-बीघा लगान का है, उदयपुर में २० रुपया बीघा तक लैंड रेवेन्यू है। इससे जिस व्यक्ति के पास तीन, चार बीघा जमीन हो जाती है उस पर भी लैंड रेवेन्यू ६०,६५ रुपया तक हो जाता है। लेकिन जहां तक इकोनोमिक होल्डिंग का सवाल है तीन, चार बीघा जमीनवालों को इकोनोमिक होल्डिंग नहीं मान सकते। जब इन्डियन नेशनल कांग्रेस का जो ३६ का प्रस्ताव था वह भी मैंने कल कोट किया था। कांग्रेस इस बात को मानती है कि जो अन-इकोनोमिक होल्डिंग्ज हैं उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू इनसिस्ट नहीं करना चाहिये। उनको लैंड रेवेन्यू से एक्जेम्प्ट कर देना चाहिये। अन-इकोनोमिक होल्डिंग्ज को जहां डिफाइन किया गया है वहां इस प्रकार की होल्डिंग है उससे एक काश्तकार की फेमिली का गुजारा नहीं हो सकता। उसका जो रोज-ब-रोज का खर्चा है वह उससे मिल नहीं सकता। ऐसी हालत में जो सरचार्ज लगा रहे हैं जरूर इस बात को नोटिस में रखना है। इस सरचार्ज की वजह से अन-इकोनोमिक होल्डिंग पर इसका असर पड़ जाय, यह मन्शा नहीं होनी चाहिये। सरचार्ज का प्रिन्सिपल यह होना चाहिये, the more they are well off, the more should be the incidence. इसका मतलब यह नहीं कि अन-इकोनोमिक होल्डिंग्ज पर भी सरचार्ज लगाया जाय। मैं समझता हूँ यह सरकार की भी मन्शा नहीं हो सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां मैंने १।५८ का संशोधन रखा है वहां १।३८ का अमेन्डमेंट भी माननीय मंत्री महोदय रखते हैं तो उसे स्वीकार करने के लिये मैं तैयार हूं। इससे ज्यादा लैंड रेवेन्यू सरचार्ज मिला कर हो जाता है वह वसूल नहीं कर सकते। या तो आप १०० रुपये का अमेन्ड-मेंट स्वीकार करें नहीं तो जो प्रोवीजो मैंने एड करने के लिये कहा वह स्वीकार करलें ताकि जो इन्सटान्सेज़ स्पेसिफिक तौर से साइट किये थे उदयपुर और जयपुर के उन पर इफेक्ट होगा। मैं समझता हूं माननीय राजस्व मंत्रीजी भी जयपुर डिविजन के रहने वाले हैं, मालपुरा के हैं....

एक माननीय सदस्य : अब तो सारे राजस्थान के हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मालपुरा पर भी इसका इफेक्ट होगा। मैंने इन्सटान्सेज दिये हैं, उसके आधार पर प्रोवीजो जो एड करने को कहा है उसको तो मन्जूर करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मालपुरा पर आपकी बहुत महरबानी है।

श्री पी० के० चौधरी : मालपुरा में बहुत सड़कें बना रहे हैं।

Page No.50

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन इस प्रकार हैं : The word 'May' be substituted in place of the word 'April." यह तो बड़ा ही मामूली सा अमेन्डमेंट है, क्योंकि १ अप्रेल तो निकल गई इसलिये जहां १ अप्रेल से लागू करने का लिखा गया है वहां १ मई कर दिया जाय। उससे कोई फर्क पड़नेवाला नहीं है। लैंड रेवेन्यू तो आपकी वसूल होती रहेगी वैसी हालत में इस संशोधन को मंजूर करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस बिल को पास करने में इसकी सेंक्शन लेने के लिये देर होगी इसलिये १ मई कर दिया जाय तो कोई ऐतराज़ की बात नहीं होगी।

दूसरा मेरा संशोधन है कि ५० की जगह ७५ कर दिया जाय। इस संबन्ध में दो-तीन प्रस्ताव आये हैं। किसी में १०० रुपये करने की मांग की गई है, किसी ने ७५ के लिये कहा है। मेरा निवेदन है, कि यह टैक्स लगाते वक्त कहां तक हमें एक्जेम्प्शन देना चाहिये, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। इन्कम टैक्स के एक्जेम्प्शन के बारे में भी एक, दो वर्ष में तब्दिली होती रहती है। यह एक्जेम्प्शन का पॉइन्ट है वह क्रूशियल पॉइन्ट है। माननीय मंत्री महोदय ने जो ५० रुपये का रखा है वह किस दृष्टिकोण से रखा है, यह तो वे ही बतायेंगे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में १०० रुपया रखा है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बतलाया है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रेन्ट रेट्स हैं, इस दृष्टिकोण से देखते है तो चार, पांच बीघा और सात बीघा ज़मीनवालों पर भी यह लागू हो जायगा। गरीबों पर इसका असर न हो, इसलिये मैंने ७५ रुपये लगान तक का एक्जेम्प्शन के लिये प्रस्ताव किया है वर्ना मामूली काश्तकार पर भी यह लग जायगा। जब कि हमारा लक्ष्य इससे १० लाख रुपये की आमदनी करना है। अगर हम ७५ रुपये तक के लगान तक माफ करते हैं तो भी हमारा टार्गेट जो है वह पूरा हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने जहां १०० रुपये तक माफ करने को कहा है वहां हम ७५ तक भी कर देते हैं तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने जब रिपोर्ट दी थी उस वक्त सीलिंग का कोई सवाल नहीं था। अब जब कि सीलिंग लागू हो रहा है वैसी हालत में १०० रुपये के बजाय कम रह जाय तो उसका बाया मीडिया ७५ रह जाता है। जिस समय फाइनेन्स बिल आता है उस समय फाइनेन्स मिनिस्टर राहत देते हैं वैसी हालत में रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय यह छोटी सी राहत डिक्लेअर कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा भार पड़ने वाला नहीं है।

इसके अलावा जहां तक डेसीमल प्रणाली का सवाल है उसके बारे में संशोधन है, वह भी मान्य हो जाना चाहिये। जब कि हम दूसरे एक्ट्स में डेसीमल कॉइनेज के सिस्टम के अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा होगा अगर हम इस बिल में डेसीमल कोइनेज की प्रणाली अपना लें, यही मेरा निवेदन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे चार संशोधन हैं वे इस प्रकार हैं:—

Substitute 'one hundred' for 'fifty'

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

in items (i) and (ii) column one of the table.

2. In the second column of the table—

(a) Replace the words 'six and quarter percent' occuring in item (ii), by 'six Naye Paise per rupee'

(b) Replace the words 'Twelve and half percent' occuring in item (iii) by the words 'Twelve Naye Paise per rupee."राजस्थान की चहुमुखी उन्नति और इसके विकास के लिये यह आवश्यक है कि धन प्राप्त किया जाय और धन उपलब्ध करने की दृष्टि से ही हमने एग्रीकल्चर इनूकम टैक्स लगाया जिसको अब समाप्त किया जा रहा है और उसके स्थान पर सरचार्ज ऑन लैन्ड रेवेन्यू लगाया जा रहा है ताकि अधिक लोगों पर अधिक भार न पड़े और राज्य को अधिक आय मिले और किसानों को ज्यादा सुविधा हो। लैन्ड रेवेन्यू जो सरकार वर्षों से लेती आ रही है उसमें अभी तक किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई थी और जब कि लैन्ड रिफॉर्म्स व जागीरी रिज़म्प्शन के बाद और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कीमतें बढ़ जाने से इनकी आय में वृद्धि हुई है इसलिये सरचार्ज लगाने की सोचना आवश्यक था। लेकिन राजस्थान की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। विभिन्न रियासतों में अलग अलग प्रकार से लैन्ड रेवेन्यू लिया जाता था वहां की दरें भी अलग अलग थीं। हम देखते हैं कि दरों की इतनी असमानता थी कि कहीं दो रुपया एकड़ जमीन लगान है तो कहीं ४० रुपया। चाही और बारानी लैन्ड की लगान दरों में भी इसी प्रकार की असमानता है! इस तरह से लगान की दरों में असमानता होते हुए भी जहां सरचार्ज लगाते हैं उसका नतीजा यह निकलता है कि जो पहले लैन्ड रेवेन्यू कम देते आये हैं उन पर सरचार्ज का भार भी कम पड़ेगा और जो लैन्ड रेवेन्यू ज्यादा देते थे उन पर सरचार्ज का भार भी ज़्यादा पड़ेगा। मतलब यह कि सरचार्ज के लगाने से असमानतायें और अन-इक्वीलिटीज़ और बढ़ेंगी।

इसलिये रेट और लिमिट क्या रखी जावे, इसका विचार करते वक्त इन सब परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन और फाइनेन्शियल इन्क्वायरी कमेटी ने इन सबको ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की थी कि जब तक स्टेन्डर्डाइजेशन ऑफ रेन्ट नहीं हो जावे तब तक सरचार्ज वसूल नहीं किया जाना चाहिये।

१. ३६ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी, राजस्थान, ने एक विशेष प्रकार का सरचार्ज..

श्री अपनूसिंह (बालोतरा): There is no quorum.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रोग्रेसिव रेन्ट रेट पर लगाने की बात कही है। और वह प्रोग्रेसिव रेंट रेट १००) बताई।

श्री उपाध्यक्ष : The quorum is there.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १००) से नीचे लैण्ड रेवेन्यू देने वाले से सरचार्ज वसूल न किया जावे। ऐसा करने से रेंट रेट की असमानताओं का असर कम हो सकता है। अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो सौ से नीचे का लगान देते हैं। तो इस लिमिट को पचास के बजाय सौ कर देंगे तो वह असमानता का असर दूर हो सकता है। दूसरा यह सरचार्ज है जो स्पेशल टाइप के और अधिक लार्ज लैंड ओनर्स से ही वसूल किया जाना चाहिये। सौ से नीचे देने वाला लार्ज लैंड ओनर की तारीफ में नहीं आता; सौ से अधिक देने वाला ही आता है। इसलिये मैंने इस तरमीम में पचास के बजाय सौ की बात कही है।

इसके पीछे एक दलील और है। अभी अभी हमने राजस्थान पंचायत और जिला परिषद् एक्ट पास किया और पंचायत समितियों को अधिकार दिया कि वे अपने क्षेत्र में लैंड रेवेन्यू पर पांच नया पैसा प्रति रुपया Cess on land Revenue लगा सकते हैं। इसके फलस्वरूप कई पंचायत समितियों ने टैक्स लगा भी दिया और कई लगाने-वाली हैं। उसमें कोई लिमिट भी नहीं है, जो एक रुपया भी लैंड रेवेन्यू देता है तो उससे भी एक पांच नया पैसा ले लेंगे और सौ देता है तो पांच सौ नया पैसा उससे भी ले लेंगे। अब अगर आप भी छः नये पैसा और कर देंगे तो उनको ११ नये पैसे और देने पड़ जावेंगे हालांकि आपका यह छः पैसा का असर पचास रुपया से अधिक वालों पर पड़ेगा। इसलिये भी मेरा निवेदन है कि पचास के बजाय सौ कर दिया जावे तो उनको काफी सहूलियत हो जावेगी।

वैसे हिन्दुस्तान के अन्य भागों में भी यह टैक्स लगाया गया है। मिसाल के तौर पर पंजाब की दलील दूँ। वहां १०) तक ही एग्जेम्पशन है, आन्ध्र में भी है और मद्रास में २५०) तक एग्जेम्पशन लिमिट है। अब वहां की परिस्थितियों का हमारी यहां की परिस्थितियों से मिलान करेंगे तो मालूम होगा कि पंजाब की परिस्थिति हमारे से बिल्कुल भिन्न है। एक तो वहां असमानता रेंट रेट्स में नहीं होती है। वहां लैंड रेवेन्यू इतना ही नहीं; वहां हाइएस्ट पांच रुपया एकड़ है जब कि हमारे यहां ४०) एकड़ तक है। तीसरी बात यह है कि उन जिलों में ही सरचार्ज लगाया गया है जहां सेटलमेंट ड्यू है और नहीं हुआ है। जहां हो गया है और ड्यू नहीं है वहां सरचार्ज नहीं लगाया गया है।

इसी तरह आन्ध्र में भी price level पर Rate of Rents को Standardise कर यह टैक्स लगाया गया है और मद्रास में वैसे ही ज्यादा है लिमिट। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह जो एग्जेम्पशन पचास का है इसके बजाय सौ रुपया कर दें तो बहुत ठीक रहेगा।

दूसरा प्रस्ताव मेरा सवा छः पर्सेन्ट के बजाय छः नये पैसे और १२॥ के बजाय १२ नये पैसा कर देने का है। हमने डेसिमल पद्धति अपना ली है। और इसमें सवा छः पर्सेन्ट रखने से केल्कुलेशन में डिफिकल्टी होगी। अगर अब सवा छः के बदले सात पैसा लेंगे तब भी पाव पैसे के बदले में पौन ज्यादा देना पड़ेगा या पूरा पैसा देना पड़ेगा। फ्रेक्शन भी इससे बढ़ जाता है। तो इस

Page No.53

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

डिफिकल्टी को दूर करने के लिये और फिर सारे टैक्स आप इस हिसाब से लेने वाले हैं तो इसलिए यह संशोधन मैंने रखा है। आशा है उसे आप स्वीकार करेंगे।

अन्त में दोनों मेरे संशोधनों को स्वीकार करने की प्रार्थना के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अमेंडमेंट्स मैं मूव करता हूँ जो इस प्रकार हैं :—

1. In item (i) of the table, substitute the words 'one hundred' for the word 'fifty' in the column of 'Amount of land Revenue'.

2. In item (ii) of the Table (a) substitute the words 'one hundred' for the word 'fifty'; (b) substitute the words 'four hundred and 'fifty' for the words 'two hundred and fiffty'; (c) substitute the words 'four' for the word 'six' in the column of 'Rate of Surcharge'.

3. In item (iii) of the table—

(a) Substitute the words 'four hundred and fifty' for the words 'two hundred and fifty' in the column of 'amount of land revenue.'

(b) Substitute the word 'Eight' for the word 'Twelve' in the column of 'Rate of Surcharge.'

मेरा पहला संशोधन है पचास के बजाय सौ की लिमिट कर देने का। उपाध्यक्ष जी, सदन में एक बार इस प्रकार का गैर सरकारी संकल्प आया था। संकल्प तो अस्वीकृत हो गया था पर उसके पीछे व्यक्त भावना सदस्यों की यह थी कि जो सौ से कम लगान देते हैं उनसे नहीं लिया जावे। वह किन्हीं कारणों से से स्वीकृत नहीं हो सका। पर उस भावना को दृष्टिगत रखते हुए जब सरचार्ज का प्रश्न आता है तो मैंने यही संशोधन इस बार इसके लिये भी रखने का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए उधर से भी ऐसा ही संशोधन आया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सम्भवतः सरकार इसे मान लेगी। यह सौ की लिमिट अच्छी लिमिट है। तो इस तरह से ये मेरे दो संशोधन हैं।

वैसे तो माननीय मन्त्री ने केल्कुलेशन करके बजट में भी एस्टीमेट कर लिया होगा कि इतने पर्सेन्टेज से इतनी आमदनी होनेवाली है। अब इसमें रद्दोबदल करते हैं तो कुछ न कुछ बजट एस्टीमेट में घाटा आने की सम्भावना बढ़ती है। पर यह रफ आइडिया पर ही एस्टीमेट हुआ करते हैं। इस प्रकार का एस्टीमेट आप एक्साइज़ में भी और और जगह भी लगाते हैं पर अगर थोड़ा अन्तर भी इससे पड़े, ठीक ढंग से अगर वसूली होती है तो अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा यह मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। इस तरह से यह आप पर भी भार नहीं पड़ेगा और किसान भी राहत लेगा। इससे चोरी की जो मनोवृत्ति वाले लोग हैं उन पर भी अंकुश रहेगा। ये ऊंचे स्तर वाले लोग हैं जो सौ से अधिक देने वाले हैं और वे ही अधिक बचत करते हैं, तो इस तरह से सौ की लिमिट कर

Page No.54

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

देने पर वे आपकी निगाह में भी रहेंगे और इस तरह चोरी होने की सम्भावना भी कम रहेगी और अधिक लोगों में यह फैलेगी नहीं।

पचास रुपये करने से अधिक लोगों में यह फैलेगी, व्यवस्था में भी आपको अधिक मशीनरी रखनी पड़ेगी। पचास से नीचे साधारणतया गरीब काश्तकार ही है, वह इससे राहत की सांस लेगा! सौ तक देने वाले काश्तकारों की हालत भी अच्छी है वे दे सकते हैं। इस तरह से आप इस शिड्यूल को मान लें और सौ रुपया रख कर मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष, पहले तो यह प्रश्न आता है कि राजस्थान में सरचार्ज लगाया जाये। या नहीं लगाया जाये? दूसरे, सरचार्ज लगाने से सरकार को और जिसके ऊपर यह बोझ पड़ेगा उसको क्या फायदा है, इस दृष्टि से भी हमको देखना होगा और तीसरे, मतभेद जिसमें है वह यह है कि पहली स्लेब कौन सी हो कि जिसके ऊपर सरचार्ज लगाया जाये। जहां तक सरचार्ज लगाने का प्रश्न है उसमें तो सदन यह फैसला कर चुका है कि सरचार्ज लगना चाहिये क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जो फायदा पहुँचा है या जो आज मार्केट प्राइस हैं उनसे जो फायदा काश्तकारों को पहुँचा है और डवेलपमेंट की वजह से जो फायदा पहुँचा है उससे कुछ एक्स्ट्रा इन्कम जनरेट हुई है जिस इन्कम पर गवर्नमेंट सरचार्ज लगा कर डवेलपमेंट या प्लानिंग के काम में लगाना चाहती है। यही नहीं, बल्कि हम सोर्सेज को देखें तो मालूम होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इतने रिजिड सोर्सेज हैं कि अब शायद कोई नया सोर्स एक्स्प्लॉइटेशन के लिए नहीं रहा। अब सिर्फ यही हो सकता है कि हम सरचार्ज लगायें और अपने प्लान में तेजी से प्रगति करने के लिए रिसोर्सेज़ प्लान के लिए लायें। वह टैक्स या सरचार्ज ऐसा हो कि जिससे हरेसमेंट न हो, जिसको लोग इवेड न कर सकें और जो साथ ही डाइरेक्ट हो मगर उसमें यह भी सिद्धान्त होना चाहिये कि कोई टैक्स हो या सरचार्ज हो वह हमेशा टैक्सपेयर या असेसी की पेइंग कैपेसिटी नहीं है; तो कितना भी आप टैक्स लगाइये उस टैक्स को वह पे नहीं कर सकते। और वह एक बर्डन के रूप में मानेंगे और जब किसी टैक्स को जनता बर्डन के रूप में माने तो यह ऑबवियस है कि उसमें रिजेन्टमेंट होगा और रिजेन्टमेंट होकर चाहे वह पे न करें वे एजीटेशन का रूप धारण कर लेंगे। यह सरचार्ज लगाने की जो रेट्स रखी हैं वह इसलिए रखी है कि हमारे राजस्थान की जो इकॉनॉमिक कन्डीशन है उसको ध्यान में रखें और राजस्थान की जो आर्थिक दशा है वह कम से कम मुझको अच्छी नहीं मालूम पड़ती और वह अच्छी इसलिए नहीं है कि सबसे पहले हम देखें तो मालूम होगा कि हमारे यहां राजस्थान के अन्दर कोई भी साल ऐसी नहीं रही जब कि लैंड रेवेन्यू एरियर्स एक्यूमुलेट न हुए हों। यही; नहीं बल्कि बैटरमेंट लेवी, इर्रिगेशन रेट्स बहुत से किसानों ने पे नहीं किये हैं। लोन्स एन्ड एडवान्सेज़ की हालत देखें तो उसको भी किसानों ने पे नहीं किया। इससे मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि वे पे नहीं करना चाहते हैं। आज भी राजस्थान के किसानों में यह निश्चित ओपीनियन है

(श्री श्रीमानसिंह)

कि राज्य के पैसे को रखना खराब है। मगर राजस्थान में किसानों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी नहीं है और पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी या यह कहा जाये कि उनके पास सेविंग नहीं रही। उसका नतीजा यह हुआ कि लैंड रेवेन्यू एरियर्स एक्यूमुलेट होते रहे, लोन्स एन्ड एडवान्सेज़ को किसान पे नहीं कर सके, तकावी को री-पे नहीं कर सके। जिस चीज़ के लिए भी किसान ने पैसा ले लिया वह उसको पे नहीं कर सका। जब किसान आपके लोन्स एन्ड एडवान्सेज़ को, लैंड रेवेन्यू को और इन चीजों को पे नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से यह मान कर चलना पड़ेगा कि उसकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वह पे कर सके और जब उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो हमको सरचार्ज इस रेट के ऊपर लगाना पड़ेगा जिसको वह पे कर सके। अगर आप सरचार्ज लगायें और वह पे नहीं नहीं हुआ तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इन्कम टैक्स से आमदनी ५ लाख होती थी और जिस ग्रुप से ५ लाख की आमदनी होती थी वह रूरल एरिया में आज भी मौजूद है। तो हमें यह मान कर चलना चाहिये कि वह ग्रुप तो अभी भी सरचार्ज पे करेगा। इसमें जो रेट रखी है, ५० रुपये की स्लैब रखी है उससे मेरा मतभेद यह है कि जो टैक्सेशन का या रेट का सिद्धान्त है वह सिद्धान्त यह है कि उसमें एलीमेंट ऑफ़ फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिये। टैक्स उस हद तक लगना चाहिये कि हो सकता है नेक्स्ट इयर हमें जरूरत पड़े कि इसी सरचार्ज के द्वारा राज्य की आमदनी बढ़ायें तो या तो लोअर स्लैब से स्टार्ट कर दिया है तो आगे भविष्य के अन्दर उस रेट को बढ़ाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती और आप यह नहीं देख सकते, अभी फ्यूचर को विजुएलाइज़ नहीं कर सकते कि थर्ड प्लान के अन्दर हमको कितने पैसे की जरूरत पड़े और अभी से टैक्स की रेट को लोअर रख दिया है। तो फ्यूचर यह कह देता है कि आगे सरचार्ज से कोई इन्कम नहीं बढ़नी है। तो जब आप टैक्स की रेट में रिजिडिटी ला देते हैं तो फ्यूचर एक्सप्लॉइटेशन के लिए हम इसको नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने जो फर्स्ट स्लैब रखा है वह २५० रुपया रखा है। हमको यह भी देखना है कि ५० रुपये से ऊपर टैक्स लगाने से जो गवर्नमेंट ने केल्कुलेट किया है कि १७ लाख की आमदनी होगी उससे निश्चित ज्यादा आमदनी होने की है। उसका बर्डन किसानों के ऊपर भी पड़ेगा, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जिनकी अनइकॉनोमिक होल्डिंग है और उसकी वजह से जैसा कि मैंने बजट सेशन में भी कहा था कि हमारे यहां रेन्ट रेट्स जो हैं वह इनइक्वैल हैं उनके अन्दर इतनी डिस्पेरिटी है कि जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि उनको रेशनेलाइज़ नहीं कर सके और जब ऐसा नहीं कर सके तो ५० रुपये की लोअर स्लैब रखने से बर्डन उन आदमियों के ऊपर पड़ेगा जो कि इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम उनके सामने यह समस्या नहीं रख सकते कि वह हमारे प्लानिंग के लिए सेक्रिफ़ाइस करें, वह कन्ट्रीब्यूशन करें। पर राजस्थान के डवेलपमेंट के लिए जिन आदमियों के पास कन्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है वह प्लानिंग के लिए कन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सबसे पहला यह होना चाहिए था कि जिससे हम कन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं उनके पास आप सेविंग रखें और सेविंग

(श्री श्रीमानसिंह)

रखनी है लोअर ग्रुप के पास और जब आप उनके ऊपर ५० रुपये पर टैक्स लगा देते हैं तो हम साफ उनको एजीटेशन के लिए मौका देते हैं। तो इन सब सर्कमस्टेन्सेज़ को देखते हुए हमको ऐसा स्लैब रखना है जिसमें फ्यूचर के एक्सपलॉइटेशन के लिए स्कोप छोड़ दें। जो अननेसेसरी आदमियों को बर्डन न करें, ऐसा स्लैब रखना है। कहा यह जा सकता है कि ५० रुपये बहुत कम किसानों को टच करेगा लेकिन मैं डिटेल्स में यह बताऊं कि माननीय मंत्री महोदय जिस जगह से आते हैं वहां २५ रुपया पर-एकड़ रेण्ट रेट्स हैं। टोंक के अन्दर कोई बरसी तहसील है उसके अन्दर तो जहां २५ रुपये हुआ करें वहां पर कितने किसानों पर इफेक्ट किया जायगा। वही रेन्ट रेट्स ब्यावर के अन्दर शायद ४) रु० के तकरीबन आ जाती है। इसी तरह से मैंने बताया कि जो बारानी लैण्ड है वह ८) रु० टोंक के अन्दर है और कुछ आने ब्यावर की तरफ जाकर हो जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): ८) रु० टोंक में ?

श्री श्रीमानसिंह : जी हां, ८) रु० टोंक में।

श्री दामोदरलाल व्यास : खैर, सारी बात बता दें।

श्री श्रीमानसिंह : जो आपने फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी में फीगर्स दिये हैं उसमें इतना है। इतनी डेस्पेरिटी रेट्स के अन्दर हैं। कहीं २५) रु० और कहीं ५) रु० है। कहीं ८) रु० है, तो कहीं पर १) रु० आ जाती है। जिन लैण्ड्स को बंजर क्लास कहते हैं उस पर कहीं १) रु० है और कहीं पर निल है। इस तरह से डेस्पेरिटीज़ होने से कुछ नहीं कह सकते कि सरचार्ज का इफेक्ट होगा, जो टैक्स सरचार्ज है वह एक मेजर ऑफ इक्विटी करेगा। सेक्रिफाइस उन आदमियों से कराइये जो आदमी एफोर्ड कर सकते हैं। इस सरचार्ज की रेट से क्या होगा कि जो बड़ा आदमी है, जिसके पास ज्यादा आमदनी है, जो दे सकता है, जो कन्ट्रीब्यूट कर सकता है वह भी उतना ही कर पाये और जहां पर एक गरीब आदमी नहीं कर सकता है वहां उसको भी उतना ही कन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसी जगह पर गरीब आदमी पर काफी बोझ पड़ेगा, और किसी जगह जहां पर बड़े आदमी हैं, जो कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उन पर बहुत लाइट बर्डन होगा। जो सेक्रिफाइस करने वाले गरीब आदमी हैं उनसे सेक्रिफाइस कराना चाहते हैं। उनसे जो लोअर गरीब हैं और सेक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं तो इसका हाइअर स्लैब रखें जिससे वह बिल्कुल एक्जेम्प्ट हो जाय। जैसे एक माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि जो अनइकोनोमिक होल्डिंग्स कहीं हो जाय, कर जाय उनको सरचार्ज के ज़रिये कन्ट्रीब्यूट करना पड़ जाय; यही अगर लोअर स्लैब रखें तो एक दिक्कत जो शायद मंत्री महोदय के सामने भी आयेगी वह यह है कि सरचार्ज का नतीजा अल्टिमेटली फ्रेगमेन्टेशन्स ऑफ होल्डिंग हो जायगा और उस फ्रेगमेन्टेशन को आप रोक नहीं सकेंगे। एक तरफ राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए लोअर स्लैब रखते हैं और दूसरी

(श्री श्रीमानसिंह)

तरफ जो इकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनको अनइकोनोमिक होल्डिंग्स बनाने में प्रोत्साहन देंगे। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी फ्रेग्मेन्टेशन की वजह से। तो इकोनोमिक होल्डिंग्स के फ्रेग्मेन्टेशन को रोकने के लिए, राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए और दूसरा अननेसेसरी बर्डन भी न दें; इन सब चीजों को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने जो २५० का स्लेब रखा है वह इतना रीज़नेबल, रेशनल और इक्वीटेबल स्लेब है कि जिससे एक एसेसी की कैपेसिटी को लिन्क कर सकते हैं जिससे माननीय मंत्री महोदय से, सदन से निवेदन करूंगा कि उस स्लैब को एक्सेप्ट किया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १६६० की धारा ३ के अन्दर मेरे दो संशोधन हैं और दोनों संशोधन इस प्रकार हैं कि जो भू-राजस्व की देय राशि रखी गई है वह ५०) रु० से बढ़ा कर १५०) रु० कर दी जाय और इसी प्रकार दूसरे खण्ड के अन्दर १५०) रु० से २५०) रु० तक किया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने संशोधन के विषय में निवेदन करूंगा उससे पहले जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था कि हमारे विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में इस प्रकार बताया गया है कि यह अधिभार जो लोग एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स देते थे उनके अलावा नहीं लगाया जायगा। तो मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करूं उससे पहले माननीय मंत्रीजी से एक बात जानना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर सबसे कम एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स देने वाला कौन व्यक्ति है? उसके पास में कितनी ज़मीन है? केवल उसको आधार माना जाय कि जो राजस्थान में सबसे कम एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स देता है और उसके पास में इतने एकड़ ज़मीन है यदि वह ५० एकड़ से कम है तो मैं समझूंगा, इस तरह से ५० एकड़ या ५०) रु० लगान देने वाली उसकी ज़मीन है तो मैं समझूंगा कि रीज़नेबली ५०) रु० रखे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति ५०) रु० तक लगान देता है वह व्यक्ति इन्कम टैक्स पेअर्स में कभी नहीं रहा और न रहेगा। बल्कि मेरा तो यहा तक विश्वास है, हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की भूमि है, अलग अलग तरीके का लगान है, सारी बातें बिल्कुल भिन्न हैं, आप यह कहेंगे कि भिन्नता पहले से पुराने सेटलमेंट के कारण चली आ रही है, या ज़मीन की पैदावार की शक्ति के अनुसार अलग अलग है, लेकिन मैं यहां निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर एक ही तहसील में जहां पर एक सी ज़मीन है अलग अलग रेट से उनकी लैण्ड रेवेन्यू वहां पर कलेक्ट की जाती है, वसूल की जाती है। मुझे खुद को ख्याल है कि जो इलाके जागीरी इलाके थे वे लोग ज्यादा लैण्ड रेवेन्यू वसूल किया करते थे और राजस्थान बनने के बाद ऐसे इलाके में लैण्ड रेवेन्यू बराबर वही की वही वसूल की जा रही है बल्कि उससे एक, दो मील की दूरी पर जो काश्तकार हैं उनसे राजस्थान की रेट्स के अनुसार वसूल किया जाता है, हालांकि राजस्थान में बहुत से कानून बने हैं काश्तकारी के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर विजय, आपके संशोधन हैं तो एक ही!

श्री दयाकृष्ण विजय : जी हां। वे एक से ही हैं। पहली क्लॉज़ में १००) रु० बढ़ाये जायं। हां, एक ही हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर एक ही तहसील के अन्दर इस तरह से अलग अलग लगान हैं। अब यदि कुछ हो सकता है कि स्लैब सिस्टम इसमें रखें और उसमें यह कहने की गुन्जायश रहे कि हमने एक तरीके से सबके ऊपर अधिभार नहीं लगाया है ताकि आप कह सकें कि सोशियल नहीं है, सामाजिक नहीं है। हमने सब के साथ में सामाजिक न्याय करते हुए ज्यादा लैण्ड रेवेन्यू देते हैं उन पर ज्यादा लगाते हैं और कम देते हैं उन पर कम लगाते हैं। यह तरीका ठीक है। मैं इस तरीके की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जहां तक मुक्ति देने का था, जहां तक छूट देने का था कि इतने लगान पर नहीं लगायेंगे उस विषय में माननीय मंत्रीजी ने गम्भीरता से विचार नहीं किया; ऐसा मैं अपना विचार रखता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जिस समय सीलिंग का कानून बनाया था उस समय उस कानून के वक्त ऐसा हमने रखा कि ३,६००) रु० की इन्कम होती है तो वह ३,६००) रु० की इन्कम कैसे हो सकती है तो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से हो सकती है। जिसकी इन्कम ३,६००)रु० है वह एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स नहीं देता है। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स में अभी कुछ दिनों पहले हमने एक संशोधन पास किया है उसमें ६,०००) रु० से घटा कर ४,०००) रु० तकला दिया था कि ४,०००) रु० जिसकी इन्कम हो वह एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स देगा। सीलिंग के बिल में कहा कि ३,६००) रु० की आमदनी वह ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से मिलती है, जिन लोगों पर सीलिंग आयेगी। सीलिंग जिन लोगों को प्राप्त हो चुकी है और सीलिंग के अनुसार जिनकी ज़मीन है उनसे यह सरचार्ज वसूल नहीं किया जायगा। सरचार्ज आपके उद्देश्य और कारणों के अनुसार उन्हीं व्यक्तियों से वसूल किया जायगा जो व्यक्ति पहले एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स देता था। मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों पर सीलिंग लागू हो चुकी है, जिनके पास सीलिंग से अधिक ज़मीन नहीं है वे लोग किसी तरह से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। यही एक सामाजिक न्याय है। यही जनता की मांग है। आपने ५०) रु० तक का जो लगान देते हैं यह रखा है तो सीलिंग एरिया से कम ज़मीन इसमें आ गई है। अपने यहां की लगान की दरों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माल की ज़मीन जिसे बारानी ज़मीन कहते हैं, तो बारानी ज़मीन का लगान एक ही तहसील के अन्दर कहीं पर १।), कहीं १॥), कहीं १॥।) और कहीं २) रु० तक मिलता है। यदि दो रुपये का अन्दाज़ रख लेते हैं एक बीघे पर जो कि मैं खुद पेमेंट कर रहा हूं तो निवेदन करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के पास कुल २५ बीघा ज़मीन रहती है बारानी। उस बारानी ज़मीन पर २) रु० प्रति बीघा के हिसाब से देते हैं और २५ बीघे की आमदनी लगाई जाय तो कितनी उस व्यक्ति की आमदनी होती है? आपके अनुसार २ मन प्रति बीघा यानि ५ मन एक एकड़ के हिसाब से यदि उसी बात को उसमें रखा जाय तो उसमें ५० मन अनाज़ पैदा हुआ और उस अनाज़ की कीमत १२) रु० से गुणा करते हैं

Page No.59

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तो ६००) रु० बनता है । तो जो ६००)रु० आमदनी वाला व्यक्ति जिसकी मास इन्कम ६००) रु० है उसके ऊपर इस तरह से सरचार्ज ड्यूटी लगेगी ; यह कहां का न्याय है ? मैं निवेदन करूंगा कि तहसील बड़ौद के अन्दर जहां कि मैं रहता हूं उसके अन्दर २) रु० प्रति बीघा लगान बाराड़ी ज़मीन का दे रहा हूं, और २) रु० के हिसाब से सारा अन्दाज़ लगा लें तो ६००) रु० की ग्रॉस इन्कम है। उन लोगों को सरचार्ज करना पड़ेगा । तो लैण्ड रेवेन्यू की जो बात है वह इसमें हो जाती है ।

तो इसमें मेरा सुझाव है कि आप कम से कम जो सीलिंग एरिया है उसके ऊपर-वाली थोड़ी ज़मीन छोड़ें और यदि सीलिंग एरिया लिया जाता है तो कम से कम ७५ बीघा तक, ३० स्टेन्डर्ड एकड़ को नहीं लें तो ३० एकड़ ही समझ लिया जाय तो ७५ बीघा हमारे एकड़ के अनुसार आता है और उसका लगान यदि २ रुपया बीघा से रखा जाता है तो १५० रु० आता है । कम से कम सीलिंग एरिया की आमदनी ३,६०० रु० समझी है, केल्कुशन के आधार पर । इस आधार पर जो १५० रु. तक लगान देता है उसको मुक्त रखिये ताकि जो पहले एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स नहीं देते थे उन पर सरचार्ज का भार न पड़े । आप व्यावहारिक रूप से और रीज़नेबल रूप से विचार कीजिये ताकि उन पर अतिरिक्त कर भार नहीं पड़े । आप एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को सरचार्ज से रिप्लेस करना चाहते हैं । एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया है इसलिये आप यह टैक्स लगा रहे हैं ! लेकिन आज काश्तकारों को जब से स्वतंत्रता मिली है तब से आप काश्तकारों पर टैक्स पर टैक्स लगा रहे हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : काश्तकारों पर टैक्स लगा रहे हैं क्या ?

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने डाइरेक्ट टैक्स नहीं लगाया तो क्या हुआ, आपने पंचायत समितियों को अधिकार दिये हैं जो मुनाफा काश्तकार लेते हैं सबटिनेन्ट्स से उस मुनाफे पर लगाते हैं । कितनी ज़मीन है, उस पर आपने टैक्स लगाया है ? आपके नियम इस प्रकार के हैं कि तीनों टैक्स पंचायत समितियां एक साथ लगायेंगी, अलग अलग नहीं लगायेंगी । आपने नियम निकाले हैं उनके अनुसार तीनों एक ही काश्तकार पर लगाये जायेंगे । यह पंचायत समिति पर छोड़ा है कि किस काश्तकार को एग्जेम्पशन देना है, किसको नहीं देना है...

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात है क्या ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप शायद गलत समझ रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो ठीक समझ रहा हूं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आप बता दीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे जब बताना होगा तब बताऊंगा ही ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : तीनों कर एक साथ लगायेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने ५ नये पैसे की दर लगाई है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को कॉमर्शियल क्रोप पर कर लगाने का पहले से ही अधिकार है। पंचायत समितियां अलग टैक्स लगायेंगी। इसके अलावा वे लगान देते हैं। चाही पर अलग रेट से देते हैं। इसके अलावा नहरों की सुविधा दी है तो बैटरमेंट लेवी अलग लगा दी है। फिर भी आप कहते हैं कि काश्तकारों का जीवन ऊंचा उठा है क्योंकि अनाज़ के भाव बढ़ रहे हैं। आपने गेहूं के भाव का तो हिसाब लगाया लेकिन काश्तकार की दैनिक आवश्यकता की चीज़ों के भाव कितने बढ़ गये हैं उनको नहीं देखा। कपड़ा और लोहा जो उनके जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में से हैं उनके भाव कितने बढ़ गये हैं ? आज आप बैलों की तरफ देखिये। जिस बैल की जोड़ी के उनको पहले ५० रुपये देने पड़ते थे आज उनको ५०० रु० देने पड़ते हैं। इन बातों में आपने उनका कभी खयाल नहीं किया। आप तो उनकी बढ़ी हुई इन्कम की ओर ध्यान देते हैं। खेतों पर मजदूर लगाने की तो उनको कम जरूरत पड़ती है लेकिन फिर भी मजदूरी कितनी बढ़ गई है, इस ओर आपका ध्यान शायद नहीं है, काश्तकारों का मुनाफा आपको दिखाई देता है। मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकारों से यदि आप सारे टैक्सेज लेना चाहते हैं तो अलग अलग सोर्सेज से काश्तकारों की एवरेज इन्कम ले लीजिये। जितने भी फैक्टर्स उनकी इन्कम के अलग अलग सोर्सेज से दिखाई देते हैं उनको लेकर आप एक अलग फॉर्मूला बना लीजिये कि इतनी ग्रोस इन्कम होगी तो इतने रुपये टैक्स के कुल मिला कर लिये जायेंगे। आपको यह दिखाई नहीं देता कि अलग अलग सोर्सेज़ से अलग अलग स्थानों पर उनको कितना पेमेन्ट करना पड़ता है, उनसे उनको मुक्ति मिल जाय। काश्तकार पढ़े लिखे नहीं हैं। आपका टैक्स पे करने के लिये उनको हिसाब-किताब, खाते रोकड़ बही रखनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें। उनकी आमदनी को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रोडक्शन को और दैनिक खर्चे को ध्यान में रखते हुए ५० के बजाय १५० रु० पर सरचार्ज लगायेंगे तो यह लोजिकल और व्यावहारिक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के खण्ड ३ में मेरा संशोधन है कि ५०) रु० के बजाय १५० रु० के प्रतिस्थापित किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : सभी संशोधन एक से हैं, आप तो समर्थन में बोल जाइये।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान में लगान की दर भिन्न २ है लेकिन फिर भी ५० रु० का लगान देनेवाले किसान की स्थिति में विशेष अन्तर नहीं है। ५० रु० जो किसान सरकार में जमा कराते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की है, उसके सम्बन्ध में कोटा जिले के ऐसे किसानों की क्या स्थिति है उसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कोटा जिले में अच्छी जमीन है। उसकी लगान

(श्री रामनारायण वर्मा)

की दर २। रु० पर-बीघा है । इस हिसाब से जो किसान ५० रु० लगान के देता है उसके पास लगभग २२ या उससे कुछ अधिक बीघा जमीन है । यह २२ बीघा जमीन एक किसान के परिवार के पास है । इस तरह के किसान को निम्न श्रेणी का किसान समझा जाता है, अनआर्थिक समझा जाता है । अब उसकी आमदनी किस प्रकार की है, इस पर विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि उसकी स्थिति किस प्रकार की है । जिस किसान के पास २२ बीघा जमीन है वह गेहूँ, चना, अलसी और धनिया पैदा करता है । अब अगर देखा जाय तो वह इतनी जमीन से ५० मन से अधिक पैदा नहीं कर सकता । ५० मन गेहूं की कीमत १५ रु० प्रति मन के हिसाब से लगाई जाय तो उसकी कुल आमदनी ७५०) रु० होती है । अब एक किसान जिसके पास २२ बीघा जमीन होती है वह स्वयं अपने हाथ से काम करता है, उसको दूसरे मजदूरों की कम आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी हल वगैरह का खर्चा १५० रु० का निकालते हैं तो उसके पास ६०० रु० की आमदनी साल भर की रहती है जिस पर उसके परिवार का जीवन निर्भर करता है । इस तरह से उसको ५० रु० महीने की आमदनी होती है । ५० रु० माहवारी इन्कम-वाला आदमी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की श्रेणी में आता है । सरकार भी महसूस करती है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह कम है, इससे उनकी प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती इसलिये उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये। सरकार भी यह अनुभव करती है तो जो किसान आमदनी के हिसाब से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में आता है उस पर टैक्स लगाते हैं तो मैं समझता हूँ यह बिल्कुल उचित नहीं होगा । सरकार यह कहती है कि हम विकास के कार्य कर रहे हैं, किसानों को सहायता पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार जितनी सहायता किसानों को देती है, कर्जा वगैरह मिलता है वह छोटे किसानों को नहीं मिलता । जिनके पास अनार्थिक जमीन है उनको कोई फायदा नहीं होता । जितने भी जोतनेवाले किसान होते हैं अधिक से अधिक मिडिल क्लास तक को सहायता कार्य पहुंच सकता है । जो अच्छे किसान होते हैं उन्हीं को सहायता मिलती है । लेकिन छोटे किसान जिन पर आप टैक्स इम्पोज कर रहे हैं वे आपकी सहायता से महरूम रह जाते हैं । तो जो इस प्रकार की बात करते हैं कि हम उनको सहायता पहुँचाते हैं, वह गरीबों की झोंपड़ी तक नहीं पहुँच पाते हैं । जो किसान अनार्थिक जमीन जोतनेवाला है वह अब भी गांव के बोहरों के चंगुल में है, वह अब भी सवाई, बाढ़ी और २ रु० सैकड़ा ब्याज देता है । सरकार कहती है कि विकास के कार्यों से हम किसानों को लाभ पहुँचा रहे हैं लेकिन ये छोटे किसान विकास के लाभ से अब भी महरूम हैं । इसलिये जो किसान चतुर्थ श्रेणी में आते हैं उन पर जो सरचार्ज लगा रहे हैं मैं उसका विरोध करता हूं । इस कर को १५०) रु० की श्रेणी में लाया जाय ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर से हमारे सदन में जो कुछ भी चर्चा हो रही है और जितने भी माननीय सदस्य इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं उनको देखते हुए तो

(श्री अनूपसिंह)

मुझे इस बात का आभास पक्का ही हो गया है कि सभी माननीय सदस्य करीब करीब इस बात के ऊपर एकमत हैं कि जो यह शिड्यूल रखा गया है, जो स्लैब रखा गया है कि ५० रुपये तक वाले किसानों को इस कर से मुक्ति मिलेगी और उससे ऊपर-वालों से यह टैक्स वसूल किया जायगा, सरचार्ज वसूल किया जायगा। पर माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं उससे वे एकमत मालूम होते हैं कि शिड्यूल से या स्लैब से कोई इत्तफाक नहीं करते हैं। अब यह दूसरी बात है कि माननीय राजस्व मंत्री इस जिद्द पर रह जायं क्योंकि उन्होंने यह बिल पायलट किया है, इसलिए उनको टिका रहना चाहिए, तो दूसरी बात है, अन्यथा मैं देखता हूं कि यह सदन करीब करीब एकमत है कि ५० रुपये का जो स्लैब है उससे इत्तफाक नहीं करते। खैर, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का निर्णय करना फिर भी बाद में सदन के हाथ में ही रहेगा कि क्या लिमिट रखी जाय। पर एक बात मैं जरूर अर्ज करूंगा कि राजाओं के वक्त में, जागीरदारों के वक्त में, जिनके ऊपर कि यहां टीका-टिप्पणी, चर्चायें हुआ करती हैं उस वक्त के किसान में और उसकी जो लायेबिलिटीज थीं, उन किसान और लायबिलिटीज और आजके किसान की लायेबिलिटीज में क्या फर्क रह गया है? उस वक्त क्या जो कुछ भी लगान जागीरदार या राजा वसूल करते थे, उस वक्त क्या होता था, कुछ लगान के अलावा भी वसूल किया जाता था; लाग, सेसेज़, कहीं लाग कहा जाता था, कहीं सेसेज़ कहा जाता था और कहीं और नाम से पुकारा जाता था। जो कुछ भी लगान होता था, ऑर्डिनेरिली, नॉर्मल कोर्स में, उसके अलावा सेस, छोटा नुक्ता और लिया जाता था, उसी तरह का नुक्ता सदन में पास होने जा रहा है और शायद पास हो जायगा। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा, उस वक्त और इस वक्त में क्या फर्क रहा है? उस वक्त जो मोडेस्ट थिंकिंग था वह आज भी है। मैं समझता हूं the same old wine is there in the new bottles. अर्ज कर दूं तो इसमें कोई गल्ती नहीं होगी ..

श्री उपाध्यक्ष : Still there is a change.

श्री अनोपसिंह : Bottles are changed but not the wine. I feel the same old wine is there.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): खूबसूरती आ गई है।

श्री अनूपसिंह : उसको नये रंग में रंग कर, खटाले की दूकान में रख कर कह दिया, उससे ग्राहक अट्रेक्ट हो जायं; तो दूसरी बात है, या इस तरह की तड़क-भड़क बतला कर और डेमोक्रेटिक एरा का नाम लेकर, वैलफेअर स्टेट का नाम लेकर किसी तरह कहा जाय, same old wine in new bottles, सिवाय इसके मैं देखता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। अब इतनी बात सदन में माननीय सदस्यों ने इत्तफाक की है, उसके बाद देखेंगे और शायद देखेंगे कि थोड़ी देर में यह हो जायगा और यह पास होकर थोड़े दिनों में लागू होगा, उस वक्त इसका री-एक्शन या एक्शन देहातों में मालूम होगा। मैं

Page No.63

(श्री अनूपसिंह)

माननीय राजस्व मंत्री से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अर्ज करना चाहूंगा आपने यह सरचार्ज या लाग लगाया, मैं इसे लाग ही कहूंगा। पहले जो लाग जागीरदारों के वक्त में थी उसको अबोलिश किया था, लेकिन आज वही लगा रहे हैं, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं, जो अबोलिश हो चुकी है। अब मैं अर्ज करूंगा कि जो टैक्स की जनरल थ्योरी है वह यह है कि आज आपका टैक्स पेअर टैक्स देने के लिए वाकई काबिल हो गया है, उसका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग, उसकी पर्चेजिंग केपेसिटी बढ़ गई है, उसका लिविंग इन्डेक्स बढ़ गया है और जनरल वैल बीइंग है, उसको देख कर देखते हैं कि वह बढ़ गई है, तो सिद्धान्तत: यह हक हो जाता है कि और ज्यादा वसूल करें और राष्ट्र निर्माण के वास्ते वे और सेक्रिफाइस करें, वे कॉन्ट्रीब्यूशन दें। मैं मानता हूँ कि यह बहुत जरूरी चीज है, टैक्स के सिद्धान्त के लिए मैं नहीं कहता कि यह गलत हुआ, किन्तु यह वैलफेअर स्टेट के लिए टैक्स और जरूरी है। सवाल यह है कि जो टैक्स वसूल करने जा रहे हैं, उसके साथ देखें कि जो स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग है, जो पर्चेजिंग केपेसिटी है, जो लिविंग इन्डेक्स है, उसमें क्या वृद्धि हुई है ? यह नहीं देखें और यह मान कर एडहॉक टाइप से अनाउन्स कर दें, बिना इस बात को सोचे कि हमारा टैक्स पेअर इस हालत में हो गया है, उसकी केपेसिटी को देखे बिना कर दें, तो आपकी मर्जी है। हमारा फर्ज है, और मैंने देखा है कि माननीय सदस्यों ने अपना अपना फर्ज अदा किया है, सुझाव पेश किये हैं, उनको मानना या न मानना आपके हाथ की बात है। खैर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अर्ज करूंगा कि प्रेक्टिकल तौर पर हमको देहातों में देखने को मिलता है, आज तहसीलदार के पास, सिवाय इसके और कोई काम नहीं रह गया है कि वह रिकवरी करे, एरियर्स की रिकवरी करे और रिकवरी के बेसिस पर तहसीलदार का ग्रेड बनता है, उस पर ही इन्क्रीमेंट होता है, सर्विस रेकॉर्ड बनता है। तहसीलदार की सर्विसेज के लिए जो कुछ रिमार्क लगाया जाता है वह इसी बेसिस पर होता है कि अमुक तहसीलदार ने इतनी रिकवरी की। अगर ज्यादा रिकवरी की, तो आपका सर्टिफिकेट जाता है, उसकी ग्रेड बढ़ा दी जाती है, "good words or gestures of good work"; आपने काफी अच्छा काम किया, एरियर्स वसूल कर दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि एरियर्स आये कहां से, क्यों किसान एरियर्स रखते हैं, क्यों नहीं पे कर सकते हैं, एरियर्स रहने का क्या सवाल है ? उसके बाद इतनी नौबत आती है कि उस पर कुड़की लगाई जाती है, पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही शुरू हो जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उपाध्यक्ष महोदय, दर्दनाक हिसाब से देखा है, दुःख के साथ देखा है कि उसका बैल, उसकी जोड़ी, उसकी गाड़ी और उसकी खास खास चीजें तक, धांधली में, कोई कानून नहीं है, बल्कि धांधली में छीन ली जाती है और किसान दर दर भिखारी की तरह भटकते फिरते हैं। वह आपके तहसीलदार को, कोर्ट को, कानून को समझता नहीं है। वह समझता है बर्बाद हो गया। इस तरह पी० डी० आर० की कार्यवाही और कुर्की की कार्यवाही होती है। हमने समझ

(श्री अनूपसिंह)

लिया है कि उसकी केपेसिटी बढ़ गई है, वह टैक्स ज्यादा दे सकता है, हम ज्यादा टैक्स लगायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप कुछ जिम्मेदारी के साथ अपनी बात समझ कर और देहातों की हालत समझ कर आगे बढ़िये। आपके तहसीलदार के वास्ते जो कुछ भी ऑर्डर गये हैं और उनकी तारीफ के लिए जो पुलन्दे बांधे जा रहे हैं उससे जनता को राहत नहीं मिल रही है। आप चाहते हैं कि आपके एक्सचेकर्स से ज्यादा अमाउन्ट आये, वे आपके डेफीसिट बजट को ऊंचा उठायें तो आपके पास बहुत बड़े सोर्सेज हैं, उनको टेप-अप कीजिये, आप मिल पर लगायें, जिनके लिए समझें कि ज्यादा होल्डिंग कर रहे हैं, उन पर लगाइये, जिनके लिए समझते हैं कि कि ये ऊंचे स्टेन्डर्ड से रह रहे हैं उन पर लगायें, कुछ धन्धों पर लगायें, जिनमें मार्जिन ऑफ प्रोफिट ज्यादा हो। आज १०, १२ वर्ष हुए हैं आजादी को मिले, लेकिन आपको किसान ही दिख रहा है, जिससे ज्यादा वसूल करना चाहते हैं। आपने उनके लिए क्या कर दिया, जिससे आप हकदार हो गये टैक्स वसूल करने के लिए ? मैं मानता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हाल सुधरेगा, लेकिन आज हालत ऐसी है नहीं कि एक पैसा भी ज्यादा टैक्स वे दे दें। यह हो सकता है आप उससे वसूल करने के लिए पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही करें, कुर्की करें और वे बेचारे मारे मारे फिरते हुए कर्जा लाकर, बनिये के पास से एक दो, पर ब्याज पर रुपया लाकर आपको पैसा दें। तो आज देखने की बात यह है कि उनकी आर्थिक हालत सुधरी है या नहीं ? खैर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि ५० रुपये लैंड रेवेन्यू देने वाले किसान सबसे ज्यादा हैं, १०० रुपये लैंड रेवेन्यू देने वाले उससे कम हैं और १५० रुपये लैंड रेवेन्यू देने वाले उससे भी कम हैं और और ५०० या १,००० रुपये लैंड रेवेन्यू के देने वाले काश्तकार कुछ चन्द हैं। अब सवाल रह गया कि आपकी यह लिमिटेशन जब कि काश्तकारों के ऊपर लगेगी, जो इन्सीडेंस ऑफ टैक्स लगेगा, वह ज्यादा से ज्यादा किसान पर लगेगा........

श्री दामोदरलाल व्यास : कितने ऐसे लोग हैं आपके खयाल से ?

श्री अनूपसिंह : खयाल मेरा यह है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह रखना चाहिए था, यह बात आप क्लेरीफाई करते, उसमें रखना चाहिए था कि ५० रुपये देने वाले कितने हैं, उनका नम्बर कितना हो सकता है। सडनली, एकदम मेरे लिए यह कहना मुश्किल है........

श्री दामोदरलाल व्यास : रफली बता दीजिये, आपको तो मालूम है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): गवर्नमेंट बताये

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बतायें, गवर्नमेंट क्यों बताये ?

श्री अनूपसिंह : आप जितना शायद मैं वैल इन्फोर्म्ड नहीं होऊंगा, पर यह ५० रुपया देने वालों पर लगेगा, यह मैं पक्के तौर पर अर्ज कर सकता हूं।

मैं एक इन्सटान्स देकर अर्ज करूंगा।

(श्री अनूपसिंह)

एक काश्तकार के पास ६६ बीघा जमीन है। वह १२० रुपया चाही जमीन का देता है। ४७ रुपया तो चाही के लिहाज से आ जाता है, ५० बीघा बारानी है उसका ६ आना बीघा के हिसाब से माना जाय, ६ आना मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे वहां बारानी का ८ आना बीघा भी है, ६ आना बीघा भी है और दो आना बीघा भी है, तो एवरेज ले कर अर्ज कर रहा हूं ६ आना बीघा के हिसाब से वह १८ रुपया देगा और उस किसान की हालत आप देखें तो आपके फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉइज हैं, चौकीदार, चपरासी हैं, उनसे भी बदतर है। उस किसान के बच्चे नंगे भूखे हैं, कोई पढ़ाई का प्रश्न नहीं, किसी प्रकार की मेडिकल फेसीलिटी का प्रश्न नहीं, फिर आप उसको कहें कि हमें हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करना है इसलिये तुम हमें टैक्स दो, रुपया दो, नहीं दोगे तो तुम पर कुर्की लायेंगे। तहसीलदार पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसकी प्रेक्टिकल नॉलेज आपको भी है और मुझे भी है कि उससे वसूली के लिये उस पर कितना जोर डाला जाता है। तो आप उस किसान पर और ज्यादा जोर डालना चाहते हैं। जो पहले आप उससे ले रहे हैं वह देने में वह अपने आपको असमर्थ पा रहा है, वह भी वह नहीं दे सकता है उससे आप और लेना चाहते हैं और कहते हैं कि सेक्रिफाइस होनी चाहिये। तो इस काश्तकार पर ही ठेका है सेक्रिफाइस का, केवल काश्तकार ही सेक्रिफाइस के लिये दिखता है आपको, सेक्रिफाइस के लिये और कोई नहीं दिखता ? टैक्स, सीलिंग, सरचार्ज सब इसी पर और कुछ दिनों बाद कोई टैक्स आयेगा तो वह भी इसी पर। क्या यही आपकी वैलफेयर स्टेट है, जहां एग्रीकल्चरिस्ट्स की कन्डिशन्स इतनी बुरी हों, जिनको किसी प्रकार की सुविधा आपकी ओर से नहीं उन पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं इस तरह टैक्स से दबाना चाहते हैं। क्या आपने उन काश्तकारों के लिये बरसात लाने के लिये आर्टीफिशियल रेन का प्रबन्ध कर दिया है कि बारिश नहीं आयेगी तो भी आर्टिफिशियल रेन करके उसकी फसल को तैयार कर देंगे और इतनी पैदावार तो करवा ही देंगे ? यह मानसून स्टेट है, आज जिसकी फसल अच्छी हुई उसके यहां ३ साल तक अच्छी फसल नहीं हो सकती, बैड रेन्स के लिये, हर तीसरे साल काल पड़ता है, उसके लिये उसको रिजर्व रखना पड़ता है यह एनेमोली है। माननीय उपाध्यक्ष, इसको आप सोचेंगे। इसलिये इस बैक ग्राउन्ड में मैंने अपना संशोधन रखा है और मैं समझता हूं मैंने इस बारे में अपने साथ, अपने किसान भाइयों के साथ पूरी हमदर्दी नहीं बताई, जितनी हमदर्दी बतानी चाहिये, उतनी नहीं बताई है ! जितना जस्टिस उनके साथ करना चाहिये उतना नहीं किया है पर जो कुछ मैंने आपके सामने रखा है, कन्सीडरेट ओपिनियन के साथ, इम्पार्शियल होकर सारे फैक्ट्स एण्ड फीगर्स देख कर अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स से पूछ कर एक्ट बनाइये।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा, शायद वही संशोधन मैं रखता या उसका सपोर्ट करता तो अच्छा रहता पर आप मेरे संशोधन को नहीं मानते तो उनका तो मानेंगे ही क्या ?

एक माननीय सदस्य : वे वापिस ले लेंगे।

श्री अनूपसिंह : क्योंकि उस संशोधन को मानने वाले नहीं हैं इसलिये विथ्ड्रॉ कर लेंगे, पर है वह नेक सजेशन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह सवाल रहेगा कि हम आंकड़े पेश करें, आंकड़े पेश करने की जिम्मेवारी माननीय राजस्व मंत्रीजी की है....

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आपने पहले फरमा दिया।

श्री अनूपसिंह : तो भी थोड़ा याद दिला दूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अब रिपिटिशन की क्या आवश्यकता?

श्री अनूपसिंह : ५० रुपये की जगह १५० करने का मेरा संशोधन है, इसको मन्त्री महोदय मान जायं। इसके साथ साथ अर्ज करूंगा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का आपके दिमाग में है तो काश्तकारों को छोड़ कर उधर उन लोगों की तरफ ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा जिनके पास कि होल्डिंग है। किसानों के पास होल्डिंग कुछ नहीं है। हमारा प्रान्त कृषि प्रधान होते हुए भी कृषि में पिछड़ा हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : I think, you are coming to the beginning once again?

श्री अनूपसिंह : I mean the end is always likely the beginning.

श्री उपाध्यक्ष : Is that?

श्री अपनूसिंह : Yes Sir सदन का और ज्यादा समय नहीं लेते हुए सदन के माननीय सदस्यों से और माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मैंने जो सुझाव अपने हिसाब से, अपने एरिया को देखते हुए और सारे राजस्थान के जनरल व्यू को रखते हुए रखे हैं, उन्हें माननीय राजस्व मंत्रीजी स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष, भीमसेनजी ने क्लॉज ३ में संशोधन रखा है; मैं उसके पक्ष में बोलना चाहता हूं। सरचार्ज के लिये ५० रुपया लैंड रेवेन्यू रहा है उसकी बजाय १०० रुपया कर दिया जाय, यह वाजिब है। ५० और १०० रुपया तक लगान देने वाले काश्तकारों की स्थिति बहुत सोचनीय है। १।२ के हिसाब से १०० रुपया लगान देने वाले किसान की सालाना आय ६०० रुपया होती है और खास तौर से झुंझुनूं इलाके में तो १।६ हिस्सा है इसलिये १०० रुपया लगान देने-वाले किसान की आय ३०० रुपया ही होती है। और इस प्रकार हिसाब लगाने से २८ रुपया महीने से कम आमदनी उसकी होती है। आखिर ५, ६ आदमियों का कुनबा होता है, वह कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, कैसे शिक्षा देगा, कैसे मकान बना सकेगा? यह सारी चीजें देखते हुए आये दिन आप इन पर टैक्स लगाते जा रहे हैं, वह उचित नहीं है। कुछ दिनों पहले पंचायत समिति एक्ट बनाया, उसमें ५ नये पैसे पर रुपया लगाने का किया, वह हर पंचायत समिति लगा रही है। इन किसानों पर हर सेशन में कोई न कोई टैक्स लगा देते हैं। कोई नकली बारिश का, नहरों का प्रबन्ध कर रखा हो या और किसी प्रकार की सुविधाएं हमें दे दी हों, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ५० रुपया

(श्री शीशराम ओला)

लगान पर जो सरचार्ज रखा है वह १०० रुपयों पर होना चाहिये। इसके पक्ष में इतना ही कहना था। मैं आशा करता हूं सारे सदन की करीब करीब यही मंशा है, इसलिये यह बात जरूर स्वीकार की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेजर फतेहसिंह।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के क्लॉज ३ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान्, राजस्थान सरकार एक बनिया मनोवृत्ति से चल रही है। जिस तरह कि एक बनिया केवल ब्याज वसूल करना अथवा पैसा इकट्ठा करना ही अपना कर्त्तव्य समझता है उसी प्रकार से हमारी सरकार भी येन केन प्रकारेण अपने पैसे को बढ़ाना चाहती है और जहां तक मैं समझ पाया हूं पैसा जोड़ना ही सरकार का खास उद्देश्य है। उनके द्वारा धन की प्राप्ति हो ताकि पंचवर्षीय योजना सफलता पूर्वक पूरी हो सके। लेकिन श्रीमान्, मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह हमारी पंच वर्षीय योजना Cross Country Race के समान है। जो कोई इस Cross Rountry Cace को जीतना चाहता है उसको Slow and Study Race दौड़ना चाहिए लेकिन हमारी सरकार बहुत तेज रफ्तार से जा रही है और इसका नतीजा यह होगा कि आगे चल कर हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी; इस विधेयक के पारित होने पर किसानों पर करों का भार बढ़ जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और इससे हमारी सरकार के सामने हो सकता है कि किसानों की ओर से आर्थिक समस्या पैदा हो और उस कारण से हमारी सरकार के सामने कठिनाई पैदा हो सकती है। श्रीमान्, इसलिए मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को वचन कहे थे उनको मैं हमारे राजस्व मंत्री के सामने दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जो धन का लोभ राजा....

श्री उपाध्यक्ष : संस्कृत का क्या कोटेशन है, वह कहिये।

मेजर श्री फतेहसिंह : इसके बारे में चेम्बर में बात करूंगा। जो धन का लोभी राजा मोह वश प्रजा से अधिक कर वसूल करके कष्ट पहुँचाता है वह अपने हाथों अपना विनाश करता है। इसलिए हमारे राजस्व मंत्री को याद रखना चाहिये कि इस विधेयक को पारित करने से किसानों में असंतोष बढ़ेगा और जहां असंतोष बढ़ता है तो असंतोष का बढ़ना किसी राज्य के लिये अच्छी बात नहीं कही जा सकती।

श्रीमान्, इस विधेयक में यह बताया गया है कि जो ५० रु० से कम लगान देते हैं उन किसानों से कुछ भी सरचार्ज नहीं लिया जावेगा और जो ५० रु० से ज्यादा लगान देते हैं उनसे सरचार्ज वसूल किया जावेगा। अगर इसको हम अच्छी तरह से पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि इस विधेयक में इक्विटी और जस्टिस की भावना नहीं है। श्रीमान् यदि हम राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १११ को पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि लगान निर्धारित करने का एक नियम बनाया गया है और इस सेक्शन में अच्छी तरह से लिखा है कि कोई भी लगान किसानों

(मेजर श्री फतेहसिंह)

से जो वसूल किया जावेगा वह उस भूमि से पैदावार होगी, उसकी कीमत से १।६ भाग से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो कुछ लगान वसूल किया जाता है वह उसकी आमदनी का १।६ भाग होता है। इसलिये मिसाल के तौर पर समझाऊं कि एक किसान है जो ५० रुपये लगान देता है उस किसान की आमदनी हमारे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को आधार मानते हुए हमको ३००) माननी पड़ेगी और क्योंकि आजकल कुछ मंहगाई बढ़ गई है इसलिये ज्यादा से ज्यादा उसकी पैदावार की आमदनी ४००) सालाना आप समझ लें। जिस किसान की ४००) सालाना आमदनी है उससे आप अधिक सरचार्ज टैक्स के तौर पर या कर के तौर पर वसूल करते हैं; यह तो कोई उचित बात नहीं है। अब देखना यह है कि कितना सरचार्ज वसूल किया जावेगा? आपने ५० रुपये पर ३ रु०, १२ नये पैसे और अधिक वसूल किया जावेगा, यह प्रावधान रखा है। जब ५० रुपयों से कम जो लगान देता है यानि ४६ रुपया लगान देता है उससे कुछ भी वसूल नहीं किया जावेगा। जो किसान एक रुपया अधिक लगान देता है उस पर आप ३ रु०, १२ न० पै० अधिक लेंगे। यह टैक्सेशन की किसी भी पॉलिसी से ठीक परीक्षण में नहीं आ सकता।

दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि आखिर यह विधेयक लाया क्यों गया है? यह इसलिये लाया गया है कि....

श्री उपाध्यक्ष : I think we are discussing the amendment on clause 3 and not the whole 'Vidheyak' as such.

मेजर श्री फतेहसिंह : I am supporting the amendment moved by Hon'ble Shri Shribhan Singh.

श्री उपाध्यक्ष : It will not cover the whole range of the Bill.

मेजर श्री फतेहसिंह : But where I am opposing a particular clause I must give certain reasons for that.

श्री उपाध्यक्ष : I wanted to make you cautious about this issue.

मेजर श्री फतेहसिंह : एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ४ हजार से ऊपर की आमदनी पर लगता और अब आपने आधार बनाया है ३००) पर वसूल करने का। अब यह ३००) की आमदनी पर वसूल किया जावेगा यह किसी तरह न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। एक किसान जिसकी ३००) या ४००) आमदनी है उससे आप सरचार्ज वसूल करें, यह न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसलिये मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीति है जो ज्यादा से ज्यादा कर वसूल करने की है वह उचित नहीं है। यह तो यह बताती है कि एक दूध देने वाली गाय है उसका थन ही काट लें और जो दूध चाहने वाले लोग हैं उनको दूध नहीं मिल सकता यदि जो दूध देने वाली गाय है उसका अगर वे थन काट लेते हैं। इसलिये यह नीति एक प्रकार से दूध देने वाली गाय के थन काट लेने की नीति है। जिस राज्य में जो दूध देने वाली, रहने वाली प्रजा का अनुचित रूप से शोषण होता है ऐसे राज्य का कल्याण

Page No.69

(मेजर श्री फतेहसिंह)

नहीं हो सकता, ऐसा आचार्य कौटिल्य ने कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : गाय के बजाय भैंसा होता तो अच्छा रहता ।

(हंसी)

मेजर श्री फतेहसिंह : यहां सब भैंसे ही भैंसे हैं । इसलिये हालांकि माननीय श्री श्रीमानसिंह ने जो एमेन्डमेंट पेश किया है उससे पूरा न्याय तो नहीं होता फिर भी उन्होंने न्याय की तरफ जाने का प्रयास किया है । इसलिये मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं कि इससे कम से कम किसानों को कुछ तो राहत मिलेगी और बाकी जिस प्रकार से यह विधेयक लाया गया है और इसकी धारा ३ सदन के सामने आई है उसका मैं विरोध करता हुआ इस सदन के माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि जो संशोधन माननीय सदस्य श्री श्रीमानसिंह ने रखा है उसको पारित करें ताकि जितना किसानों में असंतोष होने वाला है नहीं हो पाये और इस राज्य का कल्याण हो ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Mr. Deputy Speaker, we have always been hearing from the Congress side telling from the top of the House that they are following a policy of the Socialistic Pattern of Society. But probably they really don't mean what they say from their own mouths. This is a particular case where they are following a different policy.

I have no hesitation in saying that it is not a Common Man's Government but a Common Man's Taxation Government. They have intended to levy tax on the lowest people and I have no other title to give, other than that. This is a Common Man's Taxation Government. In this case the Government wants to do away with the Agricultural Income Tax which is being paid by rich people and in this way they want to tax the lowest people. To lay a Surcharge on those paying only about 50/- or so is rather taxing the lowest people. I will, therefore, request the Government to please reconsider this situation and to raise the lowest possible slab and not totax the people who are paying lower than 200/- Even 200/- or 250/-is not quite enough but if the Government is bent to beg from the public they can. But I will request the Government to please reconsider the situation and to raise slab and not to tax the poorest people. Tax only those who can pay. Of course,when the Government say that they expect to get a levy of rupees ten lacs, I believe, they are not correct.It has become a tendency of the Government to say that ...

श्री उपाध्यक्ष : I have pointed out more than once, that this is a stage where amendments in this clause 3 are being discussed. Either you are supporting....

श्री अर्जुनदास : Unfortunately the Deputy Speaker did not care to understand me, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I have very rightly

(श्री उपाध्यक्ष)

understood you. Rather I was tolerating your speech. Yon can support either of the amendments.

श्री अर्जुनदास : Unfortunately my submission is that the slab should not be so much.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : What is the truth, who has not understood ?

श्री अर्जुनदास : Let us presume both have not.

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the point now.

श्री अर्जुनदास : Thank you, Sir. So Sir, I was suggesting that it is very often that at the time of taxation they say that they want to tax this much and that is why they told on a previous occasion when they were trying to levy Tansport Tax. Similarly; when they say now that they expect to tax so much, they mean to collect atleast twenty lacs. Therefore; I would submit that the Govt. will reconsider to raise the slab and they will not tax lowest people on the whole. Ofcourse, I think, they know the spelling of the word 'whole'. I would request the Government to raise the slab.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : श्रीमान्, मैं बहुत चन्द शब्दों में माननीय सदस्य, श्री श्रीभानसिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे सबसे पहली बात जो कहनी है इस सिलसिले में वह यह है कि जब हम कोई नया कर लगायें किसी प्रकार तो उसके चारों तरफ के परिणाम, उसके आधार, उसके औचित्य को देखे बिना हमको कर लगाने का कदम उठाना किसी प्रकार जायज नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब सदन में बहस के दौरान में एक सवाल आया कि ५०) से ऊपर का लगान देने वाले किसानों की होल्डिंग अन्दाजन कितनी होगी, ५०) से ५५), ५५) से ६०), और मालूम हुआ कि सरकार इस तरह के आंकड़े देने में समर्थ नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि वह अन्दाज आपने नहीं लगाया है कि किस सीमा तक की आमदनी पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। ५०) से ऊपर लगान देने वाले जितने भी काश्तकार भाई हैं उनका अलग अलग श्रेणियों में कई प्रकार से बंटवारा हो सकता है। मुमकिन है कि ५०) से ६०) तक लगान देने वालों का ९० प्रतिशत और ६०) से ऊपर तक लगान देने वालों की संख्या १० प्रतिशत से अधिक न हो। ऐसी हालत में ५०) से ६०) तक लगान देने वालों से अधिक कर चाहते हैं और यह औसत आमदनी के लोगों पर कर भार डाल कर वसूल करना चाहते हैं। मेरा अनुभव है किसान समाज का। मैं समझता हूँ मेरे क्षेत्र में, हालांकि ९० प्रतिशत नहीं तो ८० प्रतिशत किसान इसी श्रेणी में आवेंगे जो ५०) से ६०) तक का लगान भरते हैं। ६०) से ऊपर तक की श्रेणी में १० और २० प्रतिशत में आते हैं। इसका माली प्रभाव क्या पड़ा ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मंत्री) : माननीय सदस्य कौन से क्षेत्र की बात कह रहे हैं ? क्या अजमेर क्षेत्र की ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जहां का अनुभव है वहां का बताया।

श्री दामोदरलाल व्यास : ६० प्रतिशत आवेंगे। कहां के आवेंगे ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जी हां, अजमेर क्षेत्र की बात कह रहा हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं है। जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं भी जमींदार हूं, जमीन रखता हूं, काश्तकार हूं। उसी अनुभव के आधार पर अर्ज कर रहा हूं।

तो इसका नतीजा क्या होगा ? इसका नतीजा यह होगा कि मेरे लायक दोस्त ने आंकड़े दिये थे। ५०) का आधार माना है। ५०) से ऊपर भी मान लीजिये। १।६ लगान होता है किसान की कुल उपज की कीमत का। इसके आधार पर लगान निर्धारित क्यों किया ? ३००) की सालाना उपज कैसे किसान को होती है ? मेरे माननीय दोस्त तो ४००) की सालाना आमदनी के लिए तैयार हो गये। ४००) से भी अधिक ५००) मान लें जितना उसने पैदा किया है, उसकी वह बाजार कीमत है। खर्चा जो उस पर लगाया है वह उसमें शामिल नहीं है। जब आमदनी का आंकड़ा लगाना चाहते हैं तो उससे खर्चे का आंकड़ा भी तो लगाना पड़ेगा। इस दृष्टि से ५००) की आमदनी में से आपको काटना पड़ेगा, हल बैल का। फसल के वक्त कितना वह खाली रहा है, निनान के समय कितने मजदूर उसको लगाने पड़ते हैं, खर्चा कार्टेज का जो कि वह फसल को बाजार में ले जाकर बेचता है वह कितना होता है, आढ़त बिक्री के लिए देनी पड़ती है वह कितनी होती है, सीड वगैरह का कितना देना पड़ता है, बैल गाड़ी को उस सीड को लाने करने में लगाना पड़ता है उसका कितना खर्चा होता है ? इस प्रकार कुल ४००) की आमदनी भी लगाई तो उसमें से उसको ५०)-५५) तो लगान का दे देना पड़ता है। रह जाता है उसके पास ३५०)। इस आंकड़े को फलायें तो २८) के करीब उसकी माहवारी आमदनी रह जाती है। इसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। ८० प्रतिशत किसान इस श्रेणी में होंगे कि जिन पर इसका भार पड़ेगा। उससे ऊपर के जो किसान होंगे जिन पर कि इसका भार पड़ेगा वे २० प्रतिशत होंगे। इससे दूसरा औचित्य नहीं हो सकता। आखिर तृतीय योजना बना रहे हैं। मेरे माननीय सदस्य ने आलोचना करते हुए कहा कि जिस गाय का दूध चाहते हैं उसके थन ही काट रहे हैं। मैं कहता हूं इतनी निर्दयता तो नहीं करें। एक पुरानी प्रथा थी कि दूध देने वाली गाय से आखिरी बूंद तक दूध नहीं निकालना चाहिये। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि दूध देने वाली गाय से आखिरी बूंद तक दूध निकालना निर्दयता है। आप आखरी बूंद तक गाय का दूध निकालने के बाद उसके रक्त की अन्तिम बूंद भी निकाल रहे हैं। वह एक निर्दय प्रथा थी उसी प्रकार से यह भी एक निर्दय प्रथा है कि इस प्रकार की आमदनी वाले किसान को भूखा रख कर उसके रक्त की लास्ट ड्रॉप भी निकाल लेना चाहते हैं। २८) माहवार की आमदनी वाले किसान पर आप टैक्स लगा रहे हैं। आपका नारा तो यह होना चाहिये

Page No.72

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

था कि आप भूमि का लगान ही छोड़ दें, इसकी आपको आवश्यकता ही नहीं हो। जिन गरीबों को तरक्की पर ले जाना चाहते हैं, उस हालत में लेजाना चाहते हैं कि उनकी तरक्की ही असंभव हो जाय तो उसको उनकी तरक्की नहीं कहना चाहिये, यह तो मृग मरीचिका है, एक नकशा दिखा रहे हैं। मैं इसको उससे भिन्न नहीं मानता हूं।

मैं अर्ज किया चाहता हूं श्रीमन्, कि इसका बड़ा भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है। एक मिनट के लिए गरीबों की समस्याओं को भूलने के लिए तैयार हूं, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को भूलने के लिए तैयार हूं लेकिन जनतन्त्र को, प्रजातन्त्र को भूलने वाला नहीं। इससे जनतन्त्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह भी श्रीमन्, सोचना चाहिये। यह बुनियादी बात है कि सोसाइटी में जनतन्त्र सफल नहीं हो सकता जब तक कि जनतन्त्र को चलने देने के लिए संस्था के पास, सोसाइटी के पास, समाज के पास पूरा धन न हो। धन कहां से आवेगा? सबसे पहले तो बाल बच्चों का पेट भरना, फिर बीमारी, विवाह-शादी आदि अन्य सामाजिक कार्यों में जो कुछ बच सके लगाना और इस प्रकार से सब आवश्यक खर्चों को निकालने के बाद इतना पैसा ही नहीं हो ताकि वह सार्वजनिक जीवन को स्थायी बना सके, कहीं क्लब बनाये, सोसाइटी बनाये, राजनैतिक पार्टी को चन्दा दे सके। यदि यह नहीं कर सकता, नहीं दे सकता तो जनतन्त्र चल नहीं सकता। इस तरह के टैक्स लगा कर, रास्ता यह ले रहे हैं कि इस देश की जनता के पास इतना पैसा न रहे कि वह सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में हाथ बंटावें। और इस प्रकार से जनतन्त्र पर इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। जनतन्त्र में टैक्सेशन का यह सर्वोपरी सिद्धान्त है कि जनता के पास इतना पर्याप्त धन होना चाहिये कि अपनी रोजी, रोटी, मकान आदि की सब सुविधाओं के होने के बाद भी, इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी सार्वजनिक जीवन में वह सुचारू रूप से चल सके, उसमें खर्च कर सके; इतना धन उसके पास शेष रहना चाहिये। इतना धन जिसके पास नहीं है, जनन्तत्र की दुहाई देकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन श्री श्रीमानसिंहजी ने रखा है वह तो माना ही जाना चाहिये। मैं तो इस विचार का हूं कि भूमि कर बिल्कुल माफ होना चाहिये लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं जहां हम अधिकतम सीमा का निर्धारण कर रहे हैं वैसी हालत में मैं इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन से यह आशा करता हूं कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जनतंत्र की नीति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। अतः वे अपने मस्तिष्क में इस विचार को रखते हुए इस संशोधन का समर्थन करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बार खड़ा होने के बाद अन्त में आपकी कृपा से मुझे बोलने का अवसर मिला उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। I don't deserve these thanks. You do your duty.

Page No.73

श्री रामकरणसिंह : किन्तु मेरे लिये यह जरूरी हो गया है कि मैं धन्यवाद अर्पित करूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। आसन अपना कार्य करता है और आप अपना कर्त्तव्य निभा रहे हो। I don't feel hungry of your thanks.

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, क्लॉज़ ३ में, पचास रुपये के लगान के स्थान पर १०० रुपया कर दिया जाय, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जिस समय माननीय राजस्व मंत्री इसका जबाब देंगे और जैसा जैसा जवाब वे देते आये हैं वे इतनी चतुराई से देते हैं जिसको किसी प्रकार भी किस सदस्य को कन्विन्स करने में जिसका किसी प्रकार भी औचित्य नहीं रहता। यह बात दूसरी है कि वास्तविक और सही तथ्य किसी प्रकार हों। सबसे पहली चीज़ जैसा कि अभी अभी आपने जबाब दिया, आपने खुद ने माना है राजस्थान के कुछ भू भाग ऐसे हैं जिनके अन्दर १।३, १।४ १।५ व १।६ प्रतिशत तक लगान लगाया हुआ है और यह भी माना है कि राजस्थान में सब जगहों पर एक सा लगान नहीं है, बारानी और चाही जो जमीन है उनके ऊपर भी समान रेट्स नहीं हैं। इतनी चीजें मानने के बाद भी राजस्व मन्त्री जी इस चीज का जबाब देंगे बड़ी निर्भीकता से अपने आपको बड़ा माहिर समझते हुए यह अनुभव करते हुए कि आपको जैसा खेती का प्रेक्टिकल अनुभव हो....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो प्रश्न पर आइये; क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, यह जाने दीजिये।

श्री रामकरणसिंह : मैं प्रश्न पर ही बोल रहा हूं एक वर्ड भी बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था, जैसे उनको खेती का प्रेक्टिकल अनुभव हो उस तरह से वे जबाब देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है भाषण का यह अंश प्रश्न से बाहर जा रहा है, आप प्रश्न पर आ जाइये।

श्री रामकरणसिंह : मैं लगान के लिये कह रहा था ....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जो व्यवस्था होती है उसको मेरा दल पूरी तरह से मानने के लिये तत्पर रहता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि व्यवस्था देने से पहले, जबकि ये व्यवस्थाये आगे जाकर परम्परायें बनती हैं, हम लोगों को सुन कर दी जाय तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी है वह ठीक है और माननीय सदस्य को सुन कर दी है।

श्री भैरोंसिंह : जब कि माननीय सदस्य अभी तो पृष्ठभूमि का जिक्र कर रहे थे उससे पहले ही आपने एन्टिसिपेट करके व्यवस्था दे डाली....

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक माननीय सदस्य के भाषण का सम्बन्ध है मैंने उनको भाषण

(श्री उपाध्यक्ष)

पर बन्धक लगाने की व्यवस्था तो नहीं दी लेकिन जिस प्रकार वे कह रहे थे, किसी भी स्थिति को पहले से एन्टिसिपेट करते चल रहे हैं, वह हमारी संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह आता है, अभी तो माननीय सदस्य बैक ग्राउन्ड बना ही रहे थे, वे किस ढंग से उसको आगे एन्टिसिपेट करते हैं या क्या करते हैं, यह तो आगे का सवाल था।

श्री रामकरणसिंह : मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए ही तो आगे कुछ कहना चाहता था ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दे दी है मैं समझता हूं my ruling may not be conveser at this Stage.

श्री रामकरणसिंह : सबसे पहले जब कि माननीय राजस्व मन्त्री जवाब दें तो मैं चाहूंगा कि आपने कम से कम जब कि इस बात को नहीं बताया है केवल बजट के समय आपने कहा था कि इससे केवल दस लाख रुपये की आमदनी करनी है आप इस समय क्या इस पोजीशन में है कि कुल ५० रुपये लगान देने वाले पर इस प्रकार का टैक्स लगा देते हैं तो कितनी आमदनी होती है और १०० रुपये लगान तक पर लगाते हैं तो कितनी आमदनी स्टेट को होती है ? इस संबन्धी आंकड़े आपके पास होने चाहिये और मैं खास तौर से चाहूंगा कि जिस समय आप जवाब दें इसका उल्लेख अवश्य करें। यदि आप इस प्रकार के आंकड़े पेश कर पायेंगे तो मैं समझूंगा यह सब टैक्स है जो आपने लगाया है सोच समझ कर लगाया है और तब वह बात भी हमारी समझ में आजायगी तो हम भी इसको स्वीकार कर लेंगे वर्ना इसके बिना किसी प्रकार का टैक्स लगता है और इस बारे में पूरा विवरण नहीं दे सकते कि इतने आदमियों पर यह लगेगा, इतनों पर नहीं लगेगा और कुल इतने रुपये की आमदनी होगी इन सब बातों को नहीं बतायेंगे तो हम समझेंगे कि अनावश्यक रूप से काश्तकार को परेशान करने के लिये उसको टैक्स करने के लिये यह बिल लाया गया है।

आप सदन में हुए भाषणों को देख लीजिये जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने, सब ने आपके इस बिल के खिलाफ व्यू लिया है।।किसी ने भी आपके इस बिल के समर्थन में अपनी राय जाहिर नहीं की। सभी सदस्यों ने बताया है कि ५० रुपये लगान देने वाले पर ठीक नहीं। किसी ने बताया १०० पर भी लगाना ठीक नहीं, किसी ने इसकी सीमा डेढ़ सौ करने को कहा है, किसी ने २०० रुपया करने को; इस तरह से किसी ने भी इस टैक्स को लगाने का जिस रूप में आप लगाने जा रहे हैं उस तरह से लगाने का नहीं कहा है। इसके अलावा आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि एक आदमी जो ४६ रु० पौने सोलह आने का लगान देता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसके विपरीत जो पचास रुपये और एक पैसा भी लगान देता है, उससे केवल दो पैसा अधिक देता है उसको इस टैक्स के रूप में ३ रुपया, दो आना देना पड़ेगा। दो पैसे पर आपने टैक्स लगा दिया तीन रुपया, दो आना।

(श्री रामकरणसिंह)

आपने कभी सोचा कि यह दो पैसा बढ़ने पर उस पर कितना टैक्स का भार पड़ जाता है। आप अपने आपको कानून का माहिर समझते हैं और वास्तव में कानून के माहिर भी हैं लेकिन हर कानून के जानकार हों, ऐसी बात नहीं। जहां प्रेक्टिकल अनुभव की बात हो, एग्रीकल्चर का अनुभव हो, ऐसी बात नहीं। हर आदमी हर चीज में माहिर नहीं होता है। जितना एक किसान अपने अनुभव के आधार पर बता सकता है वे उतना नहीं बता सकते। कई दफा कह देते हैं कि इतना लगान फलों तहसील में है लेकिन आंकड़े उठा कर देखते हैं मुझे आपने खुद ने आंकड़े दिये हैं जिसमें दो रुपया, तीन रुपया, चार रुपया तक का बारानी का लगान बताया गया है लेकिन वास्तव में देखा जाय तो दो आना, चार आना से ज्यादा किसी जगह बारानी का लगान नहीं। मैं मानता हूँ कि ऐसी जमीन जहां दो, चार, आठ या दस रुपया चार रुपये दस आने तक बारानी में जमीन पर लगान देना पड़ता है।

दूसरी चीज गाजी का थाना से आये हुए माननीय सदस्य ने कही उसका जवाब देते हुए मन्त्री महोदय ने कहा था, रेन्ट रेंट में, रेवेन्यू रेन्ट में फर्क बताया था, पहले लैन्ड रेवेन्यू लैन्ड रेंट में परिवर्तन हो गया आपने मिक्स-अप कर दिया। उसको जिस प्रकार से पहले जागीरदार को डाइरेक्ट देना पड़ता था वही सरकार को अब देना पड़ता है। आप कम से कम इस प्रकार की चीजों को अलग अलग देख कर बतावें और बताने के बाद में हमें कन्विंस करें कि आप जो जवाब देते हैं उस आधार पर कह कर टाल देना उचित नहीं है।

यह बिल आप कह दें कि केवल दो पेज का है, मामूली है, ऐसा न समझें। यह देखें कि छोटा होते हुए भी असर यह किस तरह से करेगा और किस प्रकार की जनता पर इससे टैक्स लगेगा। इस पर जब भली प्रकार सोच लें तब कहिये। केवल अपनी जिद्द पर जो पचास रुपये की बात कह दी, अपनी जबान से कह दी, चाहे उससे फिर किसी का कल्याण हो, मुसीबत में कोई पड़े, चाहे सदन की भी भावनाएं कुछ भी हों, पर आप तो यह बात छोड़ेंगे नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप इस प्रकार के अत्याचार, अन्याय और करें ताकि दुनिया के देखने में आवे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर!! मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप भाषा सम्बन्धी संयम से काम लें और अपने प्रसंग से इधर उधर न जावें, प्रसंग पर बोलें।

श्री रामकरणसिंह : इस प्रकार की जो चीजें हैं इनसे काश्तकार पर बोझा पड़ता है। आपको यह भी मालूम है कि जिस खेत से काश्तकार पैदा करता है उस खेत के लिये उसे क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या अड़चनें उसको आती है? आप यह मानते होंगे कि आप उसकी अड़चनें दूर करने में उसकी मदद नहीं करते, आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं देते। आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता। वह रात दिन अपने खेत में लगता है, उसको यह नहीं मालूम रहता कि पीछे घर के क्या हाल-चाल हैं, उसे यह नहीं मालूम रहता कि छोटे छोटे नन्हें नन्हें बच्चों की क्या हालत

Page No.76

(श्री रामकरणसिंह)

है। बीबी बच्चे जाते हैं खेत पर तो पीछे घर पर बच्चों को दूध के लिये बिलखना पड़ता है। सुबह से शाम तक खेत में रहकर काम करते हैं। वे दिन रात एक कर देते हैं फिर कहीं जाकर उनको कुछ खाने को मिलता है। इस तरह खून और पसीना एक करके उस खेत को सींचता है और तब अपनी उदर पूर्ति के लिये कुछ अनाज पैदा कर पाता है। उस पर भी आप टैक्स लगाया चाहते हैं।

फिर इस प्रकार का आप ही टैक्स लगाते हों तो कोई बात नहीं, । हमें ऐतराज नहीं। पर यह टैक्स आप पंचायतों को भी लगाने को कहते हैं। वे फिर आपसे पीछे थोड़ी ही उठेंगी। वे इन कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिये कम थोड़ी हैं। पंचायतें भी चाहती हैं कि हमें कॉमर्शियल क्रॉप्स पर टैक्स लगाना है। उधर पंचायत समिति भी कहती है। उनको भी छूट दी है आपने और इधर आपने मौका देखा और इस तरह से टैक्स लगाना शुरू किया। तो किसी चीज की हद होती है। आपने कभी यह सोचा कि हम से आज जो केन्द्रीय सरकार तमाखू पर ४१ रुपया और चौदह आना तक का करीब टैक्स वसूल करती है, उसे आप कहते कि इतना टैक्स न लीजिये इससे राजस्थान में इस फसल की पैदावार नष्ट हो रही है। आप इसे कम करिये या अधिक हिस्सा न लीजिये, कुछ आपको भी मिले। अगर इस प्रकार का सुझाव लेकर आप केन्द्रीय सरकार से कहते तो ऐतराज नहीं था। तो जो किसान बड़ी मुश्किल से अपने खाने भर का अनाज किसी तरह से पैदा करता है उस पर आपका टैक्स लागाना अनुचित है। आप किसी और कैश क्रॉप पर लगाते और टैक्स लेते तो कोई चीज जंच सकती है। कैश क्रॉप्स पर आप लगाइये, हमें ऐतराज नहीं लेकिन इस जमीन पर इतनी कड़ी मेहनत से अनाज पैदा करके अपना गुजारा करने का साधन जुटाता है उस पर भी आप टैक्स लगावें तो कम से कम इसे तो आप छोड़िये।

काश्तकार को किसी प्रकार की सहूलियत देने का सवाल आता है तो आपके यहां से जवाब मिलता है, आपके ऑफिस से कि 'नो स्टॉक'। बीज के लिये बात आती है तो कह देते हैं 'नो स्टॉक'। अन्य प्रकार की सहूलियत देने की बात कहेंगे तो मालूम होगा कि आप उनसे केवल लेना ही नहीं जानते देना भी जानते हैं। तो आपके इस लेने का औचित्य भी समझ में आता। मगर न मालूम वह किसान किस प्रकार से पैदा करके अपना गुजर करता है। वहां केवल जिद् में आकर आप टैक्स लगाने जावें, गम्भीरता से विचार न करके किसी बात को आप एक जिद् के रूप में ले लें तो यह सुन्दर नहीं है। मैं तो फिर राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की चीज़ को वे सोचें और टैक्स लगाने की ही बात आपको करनी है तो आप कम से कम सौ रुपये पर लगावें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं तो आपको कम से कम निवेदन कर दूँ कि इसके लिए आपके सामने अड़चनें आवेंगी और अड़चनें इस-लिये नहीं कि ये अड़चनें केवल कोई किसी रूप में, प्रोपेगेन्डा के रूप में आवेगीं। यह अड़चनें सोचना सही हैं। हो सकता है बहुत सी जमीनें ऐसी हो जहां बहुत अधिक जमीन पर लगान आता है पर बहुत सी ऐसी भी हैं कि जहां दस बीघा पर भी पचास रुपया होगा।

Page No.77

(श्री रामकरणसिंह)

तो आप सोचिये क्या नंगी नहावेगी और क्या निचोयेगी ? क्या तो उसमें से काश्तकार खावेगा और क्या आपको देगा ? तो इन चीजों को आप पूरी तरह से देख लीजियेगा और जो आपने इस प्रकार के टैक्सेज लगाये हैं वे फाइनेंशियल कमेटी की सिफ़ारिशों के भी विपरीत हैं। उसने भी सौ रुपये की छूट देने की बात कही है। आप आखिर यह पचास भी किस आधार पर, किस बेसिस पर कर रहे हैं ? न आप फाइनेन्स कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश मानते हैं न अन्य सदस्य जो आपको इतना यहां कह रहे हैं, सुझाव रखते हैं उनको आप मानते हैं। आप कोई आधार तो बताइये कि जिस आधार पर आप यह पचास रुपये की आमदनी पर टैक्स की बात रख रहे हैं। आखिर वित्त मंत्री ने भी पैसा लेने की बात बताई। कितने ढंग की बताई, चाहे उससे पैसा आवे या न आवे। आप भी ऐसी कोई योजना बतावें ताकि उससे काश्तकार ओवर बर्डन्ड न हो। पर आप ऊपर वालों को तो बचाइये, पर इन गरीब काश्तकारों को कुचल दीजिये। इससे आपको क्या नफा होगा ? आप जिस नीति पर ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्य के सामने सदन के समय के सदुपयोग का प्रश्न भी है। मेरा यह विश्वास हो चला है कि आप पुनरुक्तियों के दौर में चल रहे हैं। आप प्रश्न पर आकर समाप्त करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ।

श्री रामकरणसिंह : यह सवाल ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक बार नहीं दस बार दोहरावेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : पर मेरा कर्त्तव्य बड़ा कटु है....

श्री रामकरणसिंह : हमारा भी यह कर्त्तव्य है कि ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि you will not indulge in repetitions and I will have to check the repetition, that is my duty.

श्री रामकरणसिंह : मैं दोहराऊंगा नहीं, पर जो कहना है वह कह सकूं, इस प्रकार की आपसे आशा रखता हूं।

इस प्रकार से माननीय राजस्व मंत्री महोदय, जो आपने सौ रुपया रखा है, नहीं, नहीं, जो आपने पचास रुपया रखा है उसके बजाय सौ तो मान लीजिए। अगर इस प्रकार से आप मानने को तैयार नहीं होंगे तो इसके लिए साफ चीज है कि जिस तरह से नहरों में आप किसी प्रकार के टैक्स लगा कर आन्दोलन को इन्वाइट करते हैं तो उसी तरह काश्तकार को भी आप अन्दोलन के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। काश्तकार जो बेचारा रात दिन अपना काम करना जानता है उसे आप अपनी इस नीति से क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? वह नहीं चाहता कि किसी झंझट में फंसे। आप उनको क्यों झंझट में फंसाते हैं ? आप क्यों चाहते हैं कि वे डेपूटेशन और शिष्ट मण्डलों के रूप में आवे, झुंड के झुंड अपना विरोध बताने के लिए आवें, यह दिखावा करने के लिए आवें कि राजस्व मंत्री यह चाहते हैं कि उनसे इस प्रकार की आजीजी करवाई जावे, मिन्नतें करवाई जावें ? तो मैं कहता हूं इसके बिना वे

(श्री रामकरणसिंह)

पहले ही क्यों नहीं पचास की जगह सौ कर देते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): आप डिनर का इन्तजाम करवा दो ।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the House will agree with me that the Hon'ble Member has exhausted my patience. Any how, we will continue.,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिनर का इन्तजाम करवा दीजिये आप तो ।

(हंसी)

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा, आपका भी आदेश हो गया और राजस्व मंत्री से निवेदन करते हुए कि यह जो पचास के बजाय सौ वाला संशोधन आया है इसको जरूर महत्व देंगे और गम्भीरता पूर्वक सोच कर पचास के बजाय सौ करेंगे । इस विश्वास के साथ इतना मानता हूं कि आप अवश्य ही इसको मानेंगे और पचास के बजाय सौ करेंगे ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा विश्वास है कि काफी वाद विवाद हो चुका है और माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस क्लॉज़ ३ का ताल्लुक है इस पर करीब १७-१८ अमेन्डमेन्ट्स माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं और वह अमेन्डमेंट केवल इस बात को लेकर हैं कि जो टैक्सेबल लिमिट ५० रुपये की रखी गई है उसको बढ़ा दी जाये और किसी ने उसके लिए कहा कि ७५ रख दी जाये, किसी ने कहा कि १०० कर दी जाये, किसी ने कहा कि १५० कर दी जाये और एक माननीय सदस्य ने तो कहा कि इसको २५० कर दी जाये । बहरहाल सभी अमेन्डमेन्ट्स का बेसिस यही है । दूसरी बात यह है कि २५० से नीचे ६$\frac{1}{4}$ पर्सेंट और २५० से ऊपर १२।। पर्सेन्ट रखा है उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने नई प्रणाली है उसके लिहाज से नये पैसों का कुछ सुझाव दिया है और अपनी अपनी दलीलें अपने अमेन्डमेन्ट्स के जरिये दी हैं और माननीय सदस्यों ने खास तौर से यह बतलाने की कोशिश की है कि इससे किसानों के ऊपर बहुत असर पड़ेगा । पहले भी मैंने इसके लिए बतलाने की कोशिश की थी कि दर-असल जो यह बात बताई जाती है कि किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा यह पड़ने वाला नहीं है । दूसरी बात यह है कि जो टैक्स प्रपोज़ किया है कुछ माननीय सदस्यों ने इसका मूल विरोध किया है और एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक धमकी दी है कि इससे अन्दोलन होगा । तो मैं माननीय सदस्य से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आन्दोलन की धमकी से सरकार कदापि दबेगी नहीं । इस तरह की धमकी से या इस तरह की बातें कहने से मैं मेरे विचारों में परिवर्त्तन करने वाला नहीं हूं और जहां तक प्रश्न इस बात का है कि आया किसके ऊपर कितना टैक्स पड़ता है और कितना नहीं, एक माननीय सदस्य अजमेर से आये उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में इससे ९९ पर्सेन्ट काश्तकारों पर असर पड़ेगा ....

Page No.79

श्री महेन्द्रसिंह पंवार(अजमेर-पूर्व):On a point of clarification. I did not mean that. ५० रुपये से लेकर ६० रुपये तक का लगान देने वाले किसानों की संख्या ६० पर्सेन्ट तक हमारे इलाके में हो गई है और ६० रुपये से ज्यादा का लगान देने वालों की संख्या १० प्रतिशत होगी, यह मेरा मतलब था।

श्री दामोदरलाल व्यास : वही मैं समझा। मैं अजमेर की बात कह रहा हूं। ब्यावर का इलाका लीजिए। 33 percent of the total will be affected, not one percent even. अजमेर का जो है वह ३५ percent of the all है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Of the all ? मैं टैक्सेबल होल्डिंग की बात कह रहा हूं, टोटल होल्डिंग की नहीं कह रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको यह बतला रहा हूं कि १ पर्सेन्ट भी इफेक्ट नहीं हो रहे हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं कह रहा हूं कि टैक्सेबल होल्डिंग का ६० पर्सेन्ट, ५० और ६० रुपये के बीच का टैक्स देने वाला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं टोटल होल्डिंग है उसमें ३३ पर्सेन्ट आपके क्षेत्र में आने वाला है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : ५० रुपये से नीचे वालों पर टैक्स की बात क्यों नहीं कहते ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार, जयपुर): क्योंकि उनका हिसाब ठीक बैठ जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्योंकि आप समझे नहीं हैं। ५० से ५१ होते ही एग्जेम्पशन से हट जाते हैं और उस लिहाज से उसकी इन्कम सरचार्ज में आयेगी।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जो एग्जेम्पशन से हट जाते हैं उनके आंकड़े हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। जो आप ८० पर्सेन्ट और ६० पर्सेन्ट बता रहे हैं, १ पर्सेन्ट भी नहीं आते हैं। मैं टोटल होल्डिंग के ऊपर बता रहा हूं। not even one percent people are not affected in your area तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि जो इस बात के लिए कहा जाता है कि ८० पर्सेन्ट और ६० पर्सेन्ट इससे इफेक्ट करेंगे, मैं यह अर्ज करूंगा कि कुछ डिस्ट्रिक्स के मैंने फैक्ट्स कैल्कुलेट करके यह बात जानने की कोशिश की कि टोटल होल्डिंग का कितना पर्सेन्टेज इफेक्ट होगा जिससे यह कहा जाता है कि किसानों के ऊपर वजन ज्यादा पड़ता है। तो मैं अर्ज करूंगा कि इसमें ५ और ६ पर्सेन्ट से ज्यादा कहीं किसान इफेक्ट नहीं होते हैं और किसान जो इफेक्ट होते हैं उसका एक ही कारण है कि जहां लार्ज होल्डिंग हैं वहां ज्यादा इफेक्ट होंगे। आज अलवर और भरतपुर का एरिया है वह काफी अच्छा है और वहां पैदावार भी अच्छी है लेकिन वहां जमीन पर प्रेशर इतना है, स्मॉल होल्डिंग्स इतनी हैं कि जिससे वहां बहुत ही कम किसान इफेक्ट होंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे तो मालूम होगा कि एक जगह ८८ पर्सेन्ट है उसका कारण यह है कि वहां लार्ज होल्डिंग्स नहीं हैं। अजमेर का बताया 'it comes to 35 percent only' तो यह तो अलग अलग क्षेत्र की बात है। शेखावाटी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लिए जो माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां तो सेन्ट पर्सेन्ट इफेक्ट हो जायेंगे वहां कुल ५-६ पर्सेन्ट आता है। उसका कारण यह है कि वहां पर लार्ज होल्डिंग्स कुछ ज्यादा हैं ...

श्री मोहरसिंह (चुरू) : शेखावाटी का कितना बतलाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५-६ पर्सेन्ट ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और मालपुरा का कितना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ७-८ पर्सेन्ट ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :- × ×

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जैसा माननीय सदस्य बहुत ज्यादा नम्बर इफेक्टेड पर्सन्स का बता रहे हैं कि ८० पर्सेन्ट, ९० पर्सेन्ट इफेक्ट होंगे तो मैंने बताया कि राजस्थान के अन्दर जहां जहां भी लार्ज होल्डिंग्ज़ हैं वहां ५ से ६ पर्सेन्ट के बीच में लोग इफेक्ट होने वाले हैं। अगर होल्डिंग्स जहां लार्ज साइज़ हैं वहां ज्यादा इफेक्ट होंगे और जहां स्मॉल होल्डिंग्स हैं वहां कम इफेक्ट होंगे। अगर जहां लार्ज साइज़ होल्डिंग्स हैं वहां टैक्स लगता है तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए।

इसके बाद में जो माननीय सदस्यों ने कहा कि ५० रुपये से बढ़ाकर ७५ रखा जाये, किसी ने कहा १०० होना चाहिए और किसी ने कहा कि १५० और २५० होना चाहिए। और माननीय सदस्यों ने किसानों की इन्कम वर्क आउट करके बताई। एक माननीय सदस्य ने तो उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी साथ मिला कर बताया है, मैं उसका जवाब देना उचित नहीं समझता। लेकिन यह जरूर है कि अगर ३०० रुपये की आमदनी वाले काश्तकार अजमेर डिस्ट्रिक्ट में केवल ३८ पर्सेन्ट ही इफेक्ट होंगे तो इससे माननीय सदस्य खुद महसूस करेंगे कि वह बहुत अंधेरे में हैं जिससे उन्होंने केल्कुलेशन निकाला है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं तो इसको नहीं मानता।

श्री दामोदरलाल व्यास : You can challange them. आपके पास कोई फिगर्स तो हैं नहीं आपने अन्दाजा लगा कर कह दिया कि ८० पर्सेन्ट इफेक्ट होंगे। मैं फिगर्स के ऊपर कह रहा हूँ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I will do that...

श्री दामोदरलाल व्यास : That is right. कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि ५० रुपये से बढ़ा कर यह लिमिट ज्यादा की रख दी जाये। बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि २५० रुपये तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। मैं अर्ज करूंगा कि उन्होंने जो अपना तरीका बताया २५० रुपये का वह यह तरीका बतलाया कि जैसे किसी जमीन से पैदावार बहुत कम होती है और वह तो यों समझिये कि बाड़मेर के

××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इलाके में जैसे बारानी की पैदावार है उसको केल्कुलेट करके बताया और वहां पर २५० रुपये का टैक्स रखते हैं तो वह तो बिल्कुल बेकार है; क्योंकि २५० रुपये पर यह असेस होगा या नहीं, इसका मुझे खतरा है। क्या आप यह चाहते हैं कि सरचार्ज असेस ही नहीं किया जाये क्योंकि २५० रुपये की लिमिट से कितने से सरचार्ज देने वाले होंगे ? अलबत्ता यह बात जरूर है कि जैसा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बतलाया है कि हम इससे १० लाख रुपये की इन्कम करना चाहते हैं। यह भी बताया गया कि जितना असेस ट्रान्सपोर्ट के इन्कम के लिए किया गया था वह उससे कहीं ज्यादा हुई लेकिन यह जरूर है कि लैण्ड रेवेन्यू के ऊपर सरचार्ज लगता है तो करेक्ट इन्कम का पता लग सकता है कि कितनी इन्कम आयेगी और उस लिहाज़ से जो आंकड़े बताये गये हैं वह करीब करीब सही हैं। रहा सवाल यह कि ५० रुपये से लिमिट ज्यादा बढ़ाई जाये, तो इसके लिए मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन। कितनी बढ़ाई जाये यह देखने की बात है ? जैसा कि कई माननीय सदस्य चाहते हैं कि किसानों के ऊपर ज्यादा वजन न पड़े उससे तो मैं सहमत हूं। एक सीलिंग का एरिया है और सीलिंग एरिया का जो किसान है उसको देखे तो ५० से ७५ का दर्मियान ऐसा है कि जिससे सीलिंग एरिया का किसान पूरा कवर हो जायेगा। उसके प्रोडक्शन के फिगर्स को देखते हैं वह सही तरीका नहीं है। मैं जिस तरीके को आपको बतला रहा हूं सीलिंग एरिया मुकर्रर किया है, उसके लगान को इसमें मिलायें तो वह ५० से ७५ के बीच में लगान आकर पड़ेगा। तो माननीय सदस्य जो सलूम्बर से आये हैं उन्होंने अपना एक एमेंडमेंट पेश किया है कि इसकी लिमिट ५० से ७५ कर दी जाय तो उनके सुझाव को मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a point of information, Sir, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उन्होंने फ़रमाया कि प्रोडक्शन के फीगर्स नहीं निकल सकते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि सेटलमेंट किस आधार पर होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह नहीं कहा कि निकल नहीं सकते हैं। मैंने यह कहा कि निकाल कर माननीय सदस्य ने बतलाये हैं वे।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं माफी चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मैं भी जानता हूं जो आप फर्मा रहे हैं।

एक दूसरा सुझाव जो माननीय सदस्य भीलवाड़ा से आये हैं उन्होंने रखा है ६ नये पैसे और १२ नये पैसे का वह ठीक है। सिम्प्लफिकेशन के लिहाज से केल्क्यूलेट करने के लिए ज्यादा सहूलियत रहेगी, और मैं उस एमेंडमेंट को स्वीकार करता हूं। बाकी ५,७ के जो सुझाव हैं, मैंने अर्ज किया कि स्वीकार नहीं करता हूं, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने अपने एमेंडमेंट को वापिस कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि जो संशोधन क्लॉज ३ पर श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३ में डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन रावराजा श्री सरदारसिंह ने क्लॉज़ ३ में प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायें।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३ में श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने क्लॉज़ ३ में प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, (बी) के अलावा मैं अपने सारे संशोधनों को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : किसके अलावा ?

श्री सोहनलाल भटनागर :- (बी) जिसको मंत्री महोदय ने मन्जूर किया है "७५) रु० तक" वाला।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने क्लॉज़ ३ में प्रस्तुत किये हैं, अतिरिक्त (बी) के, उनको स्वीकार किया जाय ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, (बी) के अलावा स्वीकार किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : I have the right to revise it if there is a pulpable error.

श्री दामोदरलाल व्यास : He has sought permission to withdraw, except part (b).

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लिये जाने की आज्ञा,

Page No.83

(श्री उपाध्यक्ष)

अतिरिक्त (बी) के प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन, अतिरिक्त बी के वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my amendments.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ के अन्तर्गत (बी) पर जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन बी स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेंडमेंट नं० १९ को विथ्ड्रा करने की आज्ञा चाहता हूं!

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ के अन्तर्गत अमेंडमेंट नं० १९ जो श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : There is another amendment at No. 20. That has been accepted.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ के अन्तर्गत नं० २० पर जो अमेंडमेंट श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : I also want to withdraw my amendments.

श्री उपाध्यक्ष : They have met the natural consequences.

(हंसी)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किये हैं क्लॉज़ ३ में उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीभानसिंह ने क्लॉज़ ३ में प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

Page No.84

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने क्लॉज़ ३ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अनूपसिंह ने क्लॉज़ ३ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ पर मेरा अमेंडमेंट इस तरह से है :-

"1. Between the words 'shall' and 'determine' the words 'every year' be inserted, and

2. For the words 'along with the instalment of the land revenue in respect of which it is so payable,' the words 'along with and in addition to each instalment of land revenue in the same proportion as such instalment bears to the total demand of land revenue for the year' be substituted."

यह मेरा जो संशोधन है वह बिल्कुल ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें सिर्फ मन्शा यह है कि जो किसान लगान जिन किश्तों के अन्दर में देता है उन्हीं किश्तों के अन्दर यह सरचार्ज उसी प्रोपोर्शन के अन्दर अदा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ४ में श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ५

श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट क्लॉज़ ५ पर इस प्रकार है :-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

The following be substituted for the present clause 5:-

"5. Surcharge recoverable under Chapter X of Rajasthan Act 15 of 1956:-

For the collection and recovery of the amount of Surcharge payable under this Act, the provisions of Chapter X of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) and the rules made thereunder shall apply." यह सिर्फ इस बात का प्रोविज़न है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत में इसकी वसूली करते हैं इसलिए उसके मातहत रूल्स से गवर्न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल बिल का क्लॉज़ था उसमें एमेंडमेंट कर दिया गया है, और मेरा एमेंडमेंट जो मूल बिल के क्लोज में चाहता था वह शामिल हो गया है इसलिए मैं नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : You are not moving ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रेश नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : That means not moving.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव क्लॉज़ ५ में श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ६

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I move my amendment No. 28.

श्री दामोदरलाल व्यास : I would like to inform the Hon'ble Member as I have informed him several times before that it is incumbent upon the Government to place such rules on the table of the House and there is no necessity of putting such a provision in the Act.

श्री पी० के० चौधरी : it is not necessary.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is incumbent on the Government to place such rules before the House. खैर, आप मूव कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : It is not incumbent and I can show the Rules of Procedure.

श्री दामोदरलाल व्यास : आप करें अपनी बहस ।

श्री पी. के. चौधरी.: Are you accepting the amendment ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): On a point of order, Sir, before the Hon'ble Member moves his amendment, has he the right to ask whether the Hon'ble Minister is accepting it or not ?

श्री उपाध्यक्ष : No, he was just anticipating.

श्री पी. के. चौधरी : I refute the Hon'ble Member's contention that even without a provision in the Act like this, the rules are to be laid on the Table of the House. Rule No. 168 of the Rules reads :-

"Where a regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. framed in pursuance of the Constitution or of the legislative functions delegated by Legislative Assembly to a subordinate authority is laid before the House, the period specified in the Constitution or the relevant Act for which it is required to be laid shall be completed before the House is adjourned sinedie."

So it is clear that it will have to be specified in the Act itself whether rules are to be laid on the table or not. If it is not specified in the Act or the Constitution, it is not binding for the Government to lay it before the House. That is why I have moved my amendment and I hope the Hon'ble Minister will accept it.

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने क्लॉज ६ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ७

श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ७ में मेरा अमेंडमेंट है :—

"In clase 7 replace the word 'purposes' by the word 'provisions." उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ७ इस प्रकार का है "Power to remove difficulties" इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में डिफिकल्टीज़ होंगी उनको रिमूव करने के पॉवर दिये हैं उसके वर्डिंग्ज इस प्रकार के हैं :

(श्री पी. के. चौधरी)

"7. POWER TO REMOVE DIFFICULTIES:—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, make such provisions, not inconsistent with the purposes of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing such difficulty." इसका मतलब यह होता है सिर्फ 'पर्पज़' रखेंगे, Here I want to replace the word 'purposes' by the word 'provisions'.

This means the State Government may pass an order which may be contrary to the provisions of this Act. We are here delegating legislative Power to the Executive.. If we retain the word 'purposes' it will mean that we are under this Act delegating legislative Power to the Executive, where the Executive may legislate certain provisions which may be in contravention to the provisions of other clauses of this Act. When such a power is delegated under Rule 62 of the Rules of Procedure it is necessary for the Minister-in-charge to place an explanatory memorandum to the Bill regarding these provisions. Rule 62 reads:— "A Bill involving proposals for the delegation of legislative power shall further be accompanied by a memorandum explaining such Proposals and drawing attention to their scope and stating also whether they are of normal or exceptional character." अब यह जो पॉवर डेलिगेट कर रहे हैं क्लॉज ७ में, उसमें you are delegating legislative Powers to the Executive. And the Bill should have been accompanied by an explanatory memorandum as required under Rule 62 of the Rules of Procedure and that memorandum was supposed to have specified.....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, for your information, the memorandum is there.

श्री पी० के० चौधरी : It is not there. The members have not got it. And it should explain the scope of the powers. The Memorandum shall also explain the scope and state also whether they are of normal or exceptional character. But neither of these things has been done.

जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का क्लॉज यहां जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन बिल पास किया था उसमें भी इस प्रकार का लास्ट क्लॉज था, जिस पर इस सदन में काफी बहस हुई थी और तमाम सदस्य उसके खिलाफ थे ; We are repeating the same type of provision here. उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शब्द "पर्पज" है ; 'purpose' means that they can pass any order contrary to the provisions of this Act. इसलिए यह शब्द रिप्लेस किया जाय । वर्ड "प्रोविजन" ; प्रोविजन को रखते हुए they can pass any Order. We are delegating rule making power to them, not the legislative powers.

"प्रोविजन्स" को रखा जाय तो गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पॉवर डेलिगेट की

(श्री पी. के. चौधरी)

जाती है, जो रूल्स के दायरे में रह कर within the four corners of this Act, they can make orders and rules. But if we don't put the word 'provision' and put the word 'purposes' पर्पज किया है, then whatever the State Government thinks to be 'purposes' इस पर्पज के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, कोई भी रूल बना सकते हैं। It may be against the principles of the entire Act. प्रिन्सिपल एक्ट के अगेन्स्ट में भी जा सकता है। ये जो रूल्स होंगे, यह प्रोविजन होगा तो वह सिर्फ अमेंडिंग बिल के प्रोविजन के खिलाफ ही जाय, यह नहीं है; प्रिन्सिपल एक्ट के खिलाफ भी जा सकते हैं। मैं समझता हूँ लेजिस्लेटिव बॉडी को इस प्रकार की पॉवर एग्जीक्यूटिव को देनी नहीं चाहिए और एग्जीक्यूटिव की भी शान के खिलाफ है जो इस प्रकार की पॉवर्स लेजिस्लेचर से मांग ले। without explaining the scope of it, without giving them an assurance that they will use these powers thus far and no farther. It is a serious matter. इस प्रकार का कोई स्कोप डिफाइन नहीं किया, इसलिए मैं समझता हूँ मेरे अमेंडमेंट को मंजूर किया जाय या एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम साथ में सब्मिट किया जाय, उसमें एक्सप्लेन किया जाय क्योंकि हम वाइड पॉवर्स दे रहे हैं, इट इज सीरियस मैटर। इसके अन्डर में प्रिन्सिपल लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके वायोलेशन में भी गवर्नमेंट रूल्स एण्ड ऑर्डर्स पास कर सकती है। मैं इसको काफी सीरियस मानता हूं। मैं समझता हूँ मन्त्रीजी भी इसको काफी सीरियस मानते हैं। यह कह सकते हैं (श्री श्रीभानसिंह से) Yes, I am explaining to you....

श्री उपाध्यक्ष : That is not necessary. It he did not listen...

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir, I was listening.

श्री पी० के० चौधरी : He was listening, Sir. The Hon'ble Member has failed to grasp the idea and I am explaining it to him.

श्री उपाध्यक्ष : That is not necessary. The Hon'ble Minister will place both the points to the House, your views as well as his own.

श्री पी० के० चौधरी : I think it is the duty of the mover of the motion to explain the thing.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, the position is different. The Hon'ble Member has come late. So there should not be any repetitions.

श्री पी० के० चौधरी : I am not repeating. I am just winding up my debate. I think an Hon'ble Member is entitled to wind up his debate. I am winding up within two minutes.

श्री उपाध्यक्ष : Do it in one minute.

श्री पी. के. चौधरी : मेरा जो अमेंडमेंट है "प्रोविजन" का उसके नहीं रहने से एग्जीक्यूटिव को वाइड पॉवर्स मिल जायेंगे....

Page No.89

श्री दामोदरलाल व्यास : Again, Sir, he is repeating.

श्री पी० के० चौधरी : डेलिगेटिंग है, इसके नहीं रखने से प्रिन्सिपल एक्ट के खिलाफ भी कर सकते हैं । यह जो रुल्स हैं दफा ६२ के अन्डर में बिना एक्सप्लेनेशन किये पास कर सकते हैं । सिमिलर इन्सटान्स जो डेमोक्रेटिक डी-सेन्ट्रेलाइजेशन बिल पास किया था उसके खिलाफ सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने स्ट्रेक्चर पास किया है कि एक्ट के खिलाफ भी रुल्स बना देते हैं वह गलत है । सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के एक माननीय सदस्य माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पीछे बैठे हुए हैं । इस कमेटी ने युनानिमसली कहा है जो पॉवर्स दिये थे वह गलत थे । सिमिलर पॉवर्स इसमें भी दे रहे हैं ये गलत हैं, नहीं देने चाहिए ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा यह जो पॉइन्ट उठाया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण पॉइन्ट है । इसको हम इस रूप में देखें कि आखिर हमको डेलिगेटेड लेजिस्लेशन या रुल मेकिंग पॉवर जो इस तरह से गवर्नमेंट को देते हैं वह किस हद तक देनी चाहिए और यह क्यों दी जाती है ? जहां तक लेजिस्लेचर की पॉवर्स को डेलीगेट करने का प्रश्न है, मैं इसमें सहमत हूँ कि लेजिस्लेचर पर इतना काम होने की वजह से, जो थोड़ा माइन्यूट डिटेल्स को वर्क करने का काम है, एक्ट को लागू करने का काम है, वह गवर्नमेंट को देना पड़ेगा । मगर हम सारी पॉवर्स, जो कि लेजिस्लेचर की पॉवर्स हैं, उनको, धीरे धीरे एक्जीक्यूटिव को डेलीगेट करते जायं तो एक समय ऐसा आ सकता है कि शायद लेजिस्लेचर की जरूरत न पड़े और एक्ज़ीक्यूटिव सारा काम चला ले और इस तरह सुप्रीम पॉवर एक्जीक्यूटिव को देना एक डेमोक्रेटिक प्रणाली के भी खिलाफ है । जनतंत्र के अन्दर अलग अलग स्फीअर्स होते हैं, लेजिस्लेचर का, जुडिशियरी का, और एक्जीक्यूटिव का और इन तीनों स्फीअर्स में से किसी एक बॉडी पर सारी पॉवर्स आ जाती हैं तो वह बॉडी सुप्रीम बन जाती है । इस शताब्दी के अन्दर जो सबसे ज्यादा समस्या बढ़ी है, जिसको मैं कहूँ कि एक न्यू डेस्पोटिज्म की समस्या बढ़ी है, इस न्यू डेस्पोटिज्म के अगेन्स्ट गार्ड करने ती शख्त जरूरत है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन के अन्दर गवर्नमेंट ने इतनी पॉवर्स अपने हाथ में ले लीं कि बिल के जितने प्रोविजन्स हैं सबको नल एन्ड वाइड कर सके । इस तरह की पॉवर्स देना कहां तक ठीक है, यह सदन को देखना पड़ेगा क्योंकि जैसा मैंने कहा कि न्यू डेस्पोटिज्म की समस्य बढ़ रही है । इस न्यू डेस्पोटिज्म के अगेन्स्ट लेजिस्लेचर को गार्ड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो पॉवर्स जुडिशियरी को दी जाय, एक्जीक्यूटिव को दी जाय, वे ऐसी हों कि जहां अब्सोल्यूट नैसेसिटी हो वहां पॉवर्स एक्जीक्यूटिव को दी जाय और ऐसी अब्सोल्यूट नैसेसरी और माइन्यूट डिटेल्स को वर्क करना है, उनकी पॉवर्स लेजिस्लेचर से लेकर, रूल मेकिंग पॉवर की तरह, किसी तरह एक्जीक्यूटिव को दे देते हैं और लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव फंक्शन को एक्जीक्यूटिव में केन्द्रित कर देते हैं और केन्द्रित करते हैं तो जो सुप्रीम बॉडी है लेजिस्लेचर की उसकी सुप्रीमेसी अन्डरमाइन नहीं होती बल्कि धीरे धीरे उसका जो

(श्री श्रीमानसिंह)

महत्व है, जो इम्पोर्टेन्स है, जो लेजिस्लेचर का फंक्शन है, वह अन्डरमाइन होता है और वह एक्जीक्यूटिव को चला जाता है। एक्जीक्यूटिव जो है, वह लेजिस्लेचर की सबोर्डिनेट है, इसलिए एक्जीक्यूटिव को पॉवर्स का ब्लेन्क चैक देना ठीक नहीं है क्योंकि जो इस तरह के क्लॉजेज होते हैं, उनके अलावा एक्जीक्यूटिव एक्शन हो जाय, तो उस एक्जीक्यूटिव एक्शन को गुड फेथ में कन्डोन कर दिया जाता है। फिर इसको देखने के लिए कि एक्जीक्यूटिव अपनी पॉवर्स, रूल मेकिंग पॉवर्स का मिस यूज न करे, उसके लिए लास्ट सेशन में एक सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी बनाई थी। उसका मतलब था कि एक टेंडेन्सी धीरे धीरे गवर्नमेंट में क्रीप इन हो रही हैं वह है रूल मेकिंग पॉवर्स एक्सप्रोप्रियेट करके एक्जीक्यूटिव को दे देना, इस टेंडेन्सी को चेक करने के लिए जो लेजिस्लेचर की इन्टेन्शन है, उसके मुताबिक रूल बनें, उसके लिए सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी बनाई गई, एक चेक रखा गया था। डेमोक्रेसी के अन्दर जो डेन्जर, जैसा मैंने बताया, क्रीप इन हो गया है, may be due to over work, may be due to less time with the Hon'ble Members to go minutely into the Bill कोई भी रीज़न्स हों, लेकिन जो न्यू डेस्पोटिज्म की टेन्डेन्सी है उसको लेजिस्लेचर ने चेक नहीं किया, गवर्नमेंट ने चेक नहीं लगाया तो

३.५५ म.प.

(श्री अमृतलाल यादव, सभापति, पदासीन)

हो सकता है कि गवर्नमेंट को न्यू डेस्पोटिज्म से खतरा पैदा हो जाय, जिसे शायद हम फेस न कर सकें। इसके लिए जो सुझाव दिया है कि ऐसी रूल मेकिंग पॉवर रखिये, जिससे कि लेजिस्लेचर के राइट्स पर, लेजिस्लेचर के फंक्शन पर, लेजिस्लेचर के इम्पोर्टेन्स पर एन्क्रोच न करें, ऐसी रूल मेकिंग पॉवर रखनी चाहिए, रूल मेकिंग पॉवर लेजिस्लेचर को बनानी चाहिए और लेजिस्लेशन को गवर्नमेंट को एन्ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, जो आपत्ति क्लॉज़ सात के अन्दर फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश की है, मैं समझता हूँ, वह ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने क्लॉज़ ६ पास किया है, रूल मेकिंग पॉवर्स का, गवर्नमेंट को पॉवर थी, वह पास कर दिया है। उसमें सुझाव दिया था कि जो रूल गवर्नमेंट बनाये उसको सदन की मेज पर रखा जाय, सदन को अधिकार है कि उसमें तरमीम वगैरह करे। उसको मंजूर कर लिया। अब सवाल रहा कि यह धारा सात है, उसमें बिल्कुल सीधी बात है, जहां कभी एक्ट के वर्किंग में, इन्टरप्रिटेशन में डिफीकल्टी अराइज होती है तो जहां पॉवर्स हों, वहां ऑर्डर दे दे गवर्नमेंट, जो, जिस पर्पज के लिए एक्ट बनाया गया उससे इनकन्सिस्टेन्ट नहीं हो। मैं नहीं समझता कि डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स से क्रियेशन ऑफ न्यू डेस्पोटिज्म कहां से होता है। क्या आप चाहते हैं कि जहां डिफीकल्टी अराइज हो, वहां डेड लोक हो जाय। मैं नहीं समझता कि जब तक गवर्नमेंट को पॉवर्स नहीं देंगे, तो ऐसे चान्सेज रहेंगे। जहां उनके वर्किंग में, इन्टरप्रिटेशन में डिफिकल्टी अराइज़ हो वहां गवर्नमेंट को पॉवर्स देनी पड़ेगी कि वह

Page No.91

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उनका रिमूवल करे। और ऐसा हर एक्ट में होता है। This is not confined to this Act only. किसी एक्ट को उठा कर देखिये, डिफीकल्टीज को रिमूव करने के प्रोविज़न्स जरूर मिलेंगे, गवर्नमेंट को पॉवर जरूर मिलेगी। तो डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स का सवाल कहां है? आपने क्लॉज ६ पास कर दिया रूल मेकिंग पॉवर का, उसमें ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है....

श्री पी० के० चौधरी : There is one difference between rule making and...

श्री दामोदरलाल व्यास : I quite understand.

श्री पी० के० चौधरी : If we take away the word 'purposes' from this clause and put the word 'provisions' there...

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जिस बात के लिए कह रहे हैं, इसका प्रोविजन लगा दीजिये। जब डिफीकल्टी अराइज़ होगी तब डिफीकल्टी के रिमूवल के लिए पॉवर्स दी जाती हैं if we put the word 'provisions' there तो फिर क्या ऑर्डर पास किया जा सकता है....

श्री पी० के० चौधरी : आप एक्सप्लेनेटरी मेमोरन्डम देते, डिफाइन करके।

श्री दामोदरलाल व्यास : That has been submitted already.

श्री पी० के० चौधरी : We have not received it.

श्री दामोदरलाल व्यास : Well, that is not my business if yon have not received it. We have already submitted it to the Assembly Secretariat and the Hon'ble Deputy Speaker has said so.

३. ५८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए आपका खयाल है, वह नहीं है। आप प्रोविज़न्स के बजाय पर्पज़ करना चाहते हैं तो that will be almost taking away the whole clause. अगर पर्पज़ के बजाय प्रोविजन्स रख देते हैं तो it will be doing away with the whole clause. We have to apply this clause only when difficulty comes. So the difficulty expressed by the Hon'ble Member is not correct. He should withdraw it.

श्री श्रीमानसिंह : इन्टरप्रिटेशन जुडिशियरी करती है, अब एग्जीक्यूटिव करने लग गई क्या?

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, withdrawing or not?

श्री पी० के० चौधरी : We would like to have a copy of that memorandum, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : It is of a formal character. I will read it out to you.

" Clauses 6 and 7 of the Bill empower the State Government to prescribd rules to carry out the purposes of this Bill. The legislative Powers proposed to be delegated as aforesaid are of a normal character."

Page No.92

श्री पी० के० चौधरी : The scope has not been defined. They have just said that it is of a normal character. What is the scope ? Under the rules, they have to tell the scope and then state whether it is of a normal nature of abnormal nature. They have only said that it is of normal nature, but what is the scope of it ?

श्री उपाध्यक्ष : That would suffice at present. Yes, are you withdrawing ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The scope is mentioned in the Bill.

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave of the House to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज सात में प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

(विराम)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वापिस ले लें, वापिस ले लें, वापिस ले लें।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज सात स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज सात विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज एक, प्रीएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं। जो 'हां' पक्ष में हैं ....

श्री रामप्रसाद लढ्ढा।

श्री दामोदरलाल व्यास : He is not moving, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज एक, प्रिएम्बल विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) बिल १६६०, को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) बिल, १६६० पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित किया गया)

श्री पी० के० चौधरी : पारित भी हो गया ?

राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १६६० (विचारार्थ एवं पारित)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

तथा कर मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६०, को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved. प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६० को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६० को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६० को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान कृषि-भूमि (उपभोग) संशोधन विधेयक, १९६०
(विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चर लैंड्स यूटिलाइज़ेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६० को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ....

श्री पी० के० चौधरी : यह तो कल लिया जायगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am explaining in one minute, there is nothing in it. यह जो है इसका पर्पज़ अर्ज कर दूं । I think the statement of objects and reasons is also very clear. सिर्फ इसमें इतनी सी बात है, लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट के तहत यदि कोई लैंड को काश्त के काम में नहीं लेता है तो गवर्नमेंट नोटिस देकर ३ साल के लिये दूसरों को दे सकती है । यह डिफिकल्टी महसूस हुई कि ३ साल के लिये कोई लेने को तैयार नहीं होता है, इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि सब्लेटिंग का पीरियड ५ साल नहीं रखा जाय तो कोई लेने को तैयार नहीं होगा । इसमें ३ साल के बजाय ५ साल का पीरियड किया जा रहा है ।

श्री पी० के० चौधरी : I move that it may be referred to a Select Committee.

श्री दामोदरलाल व्यास : It cannot be moved like this. You have to send an amendment.

श्री पी० के० चौधरी : No. For a motion for sending it to the Select Committee a previous notice is not necessary. It can be moved at any time.

श्री दामोदरलाल व्यास : All right, move it.

श्री पी० के० चौधरी : I move, that the Bill be referred to a Select

Page No.94

(श्री पी. के. चौधरी)

Committee, personnel of which will be announced later., on which will submit it's report during this Session.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, I shall have to consider this issue whether under the existing practice and conventions of this House you can move such a motion without giving a prior notice. ?

श्री श्रीमानसिंह : The Hon'ble Member was not aware whether the Bill would be taken today.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Bill has been circulated long ago.

श्री श्रीमानसिंह : Because financial Bills were to be taken today, it was not expected that this Bill would also be taken today. It was expected tomorrow and he could have given a notice.

श्री पी० के० चौधरी : The Rule says that as soon as a motion for consideration of the Bill is made,... I will read out the Rule.

श्री उपाध्यक्ष : I agree that there is a provision. But at the same time we are to read the rule with the background of our convention.

श्री पी० के० चौधरी : The rule says:-"If the member-in-charge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion;"

श्री उपाध्यक्ष : I agree there is a provision about it. But the question before me is that the convention of this House has been that a prior notice is necessary for this also.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir. For Select Committee it is not necessary and I can cite instances where after a motion for taking the Bill into consideration was moved, a motion for Select Committee was allowed. There have been such instances and the Chair has not taken any objection and I don't think why the Chair should make a departure from that tradition now?

श्री उपाध्यक्ष : I may inform the Hon'ble Member that there are observations of this kind.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, there are no such observations. If my memory is correct, I remember to have moved such a motion myself without giving a prior notice.

श्री उपाध्यक्ष : All right, you may proceed.

श्री पी० के० चौधरी : I move, that the Bill be referred to a Select Committee, the personnel of which will be given later on, which will

(श्री पी. के. चौधरी)

submit it's report during this Session."

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लैंड यूटिलाइज़ेशन बिल लाया गया है। इसमें प्रोविजन यह रखा गया है कि गवर्नमेंट किसी की जमीन यदि उसमें काश्त नहीं की जाती है तो आज तक का प्रोविजन यह था कि उससे वह जमीन लेकर ३ साल तक के लिये किसी दूसरे को दे सकते थे। इसमें यह ३ साल की लिमिट है इसको हटा कर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजन किया जा रहा है कि गवर्नमेंट चाहे तो ५ साल के लिये दूसरे को काश्त करने के लिये दे सकती है।

सवाल आता है, माननीय उपाध्यक्ष कि यह बात कहां तक जायज है, कोई अपनी जमीन में काश्त नहीं कर पाये, वह जमीन उससे लेकर दूसरे को दे दी जाय ? आज गवर्नमेंट के डिस्पोजल में एक करोड़ एकड़ जमीन वेस्ट लैंड में है, जो आज कल्टिवेट नहीं होती है। करेक्ट एटीट्यूड यह रहता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़ेशन लैंड रिक्लेमेशन का रखती, जो जमीन ऊबड़ खाबड़ है, उसको लोग पैसा खर्च करके काश्त के काबिल नहीं बना सकते, उसको गवर्नमेंट इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन से ठीक करवाती। ज़मीन ही जिसका एक मात्र आजीविका का जरिया है उसको कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पड़ा रखना नहीं चाहता, कोई भी उसको वेस्ट नहीं रखना चाहता। हमने सीलिंग लगा दिया है फिर भी किसी के पास ५०० एकड़ जमीन है उसमें से ५० एकड़ काश्त करता है बाकी को छोड़ देता है। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का सीलिंग किया है वह एक आदमी के लिये ज़रूरत से ज्यादा मान कर नहीं किया है, डिसेंट लिविंग के लिये एग्रीकल्चरिस्ट विलेजर के लिये वेअर मिनिमम है, यह समझ कर किया है। मन्त्री महोदय ने सदन में बताया और सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी है, एक करोड़ एकड़ कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, कल्टिवेशन उस पर नहीं होता। एक तरफ तो लैंड रिक्लेम करने के लिये जो मदद काश्तकारों को देनी चाहिये वह नहीं दी, टिनेन्ट्स कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं बनाया, हमने कृषि मंत्रीजी से प्रश्न पूछा था कि इनके लिये क्या फंड्स हैं, कृषि में मदद करने के लिये क्या इन्तजाम किया है तो आपने कोई कानून अभी तक नहीं बनाया इसके लिये और कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया। यह हालत है टिनेन्ट्स कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये। उसको जमीन रीक्लेम करने के लिये सफिशियेन्ट फन्ड्स नहीं देते। गवर्नमेंट की एक करोड़ एकड़ के करीब कल्चरेबल लैंड वेस्ट पड़ी है उसको भी गवर्नमेंट नहीं दे सकी। इस सबका मेन रीज़न यह है कि लैंड रीक्लेम करने के लिये हमारे पास सफिशियेन्ट साधन नहीं हैं।

जो काश्तकार ३० एकड़ में काश्त करना चाहता है, पर उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सारी की सारी जमीन पर एक साथ काश्त कर सके। हो सकता है कि १५ एकड़ जंगल पड़ा है उसको साफ करना, रीक्लेम करना, उसके लिये मुश्किल है। रीक्लेमेशन तो मेकेनाइज्ड हैल्प से हो सकता है। इसका हमारे यहां कोई इन्तजाम नहीं, इसके लिये सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइ-

Page No.96

(श्री पी. के. चौधरी)

ज़ेशन जैसा कोई ऑर्गेनाइज़ेशन रहता जो हल चला कर काश्तकार कोदे देता है उसमें हल चला कर दे देते, कोस्ट उसकी रिकवर कर लेते; मगर ऐसा नहीं करते हैं । तो प्रश्न यह आता है कि हमने एग्रीकल्चरिस्ट के लिये सफिशियेन्ट साधन उपलब्ध नहीं किये हैं । उनके पास रीसोर्सेज नहीं हैं, इसलिये आप उनकी जमीन को दूसरों को दे देते हैं। पहले आपने तीन वर्षों के लिये दी और अब ५ वर्ष के लिये जमीन लेकर देते हैं। Five years' time is a very long period. मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कानून पास करने के पहले गवर्नमेंट के पास जो जमीन है उसको दे दें । मगर उसको आप नहीं दे सकते । एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिसकी जमीन की सीमा आप निर्धारित करेंगे । मैं नहीं समझ सकता हूं कि कितनी कितनी जमीन आप रीक्लेम करेंगे । अगर किसी किसान के आपस में झगड़ा हो तो एक काश्तकार जाकर सरकार से शिकायत करेगा कि इस काश्तकार की जमीन पड़ी है यह जमीन हमको दे दो । इसका नतीजा क्या होगा ? आपस में किसानों के लिटीगेशन बढ़ेगा । इसके अलावा यह देखना है: उनको टोटल बेनिफिट है या नहीं ? In aggregate whether it will benefit the society on not ? इस सम्बन्ध में मुझे शक है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह कोई प्रोपर तरीका नहीं है। आज राजस्थान में ३६ प्रतिशत या ४० प्रतिशत, 39 percent of the available land area, है। राजस्थान का ३६ प्रतिशत या ४० प्रतिशत एरिया culturable वेस्ट है । इसको रीक्लेम नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त आधी से ज्यादा जमीन गवर्नमेंट के हाथ में है उसको भी आप नहीं कर सकते तो एक प्राइवेट इन्डिविजुअल जिसको आपने जमीन की सीमा निर्धारित कर दी उसके लिये हम झगड़ा पैदा करें, यह तो मैं उचित नहीं समझता । इसलिये मैं समझता हूं कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जावे और वहां पर इस पर विचार किया जावे कि यह ५ वर्ष रखना जरूरी है या नहीं। हमने नया सीलिंग एक्ट पास किया है इसलिये इस नये राजस्थान एग्रीकल्चरल लैन्ड युटिलाइजेशन एक्ट की जरूरत है या नहीं । इसके बाद इसको पास किया जावे। मैं मानता हूं कि सदन के अन्य सदस्य भी इससे सहमत होंगे और इसे पास करेंगे ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस विधेयक में आपके सामने आये हैं और अभी फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने बहस की, मुझे ऐसा स्मरण है कि मैंने भी इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये संशोधन भेजा था, आया या नहीं। लेकिन मैं भी इससे सहमत हूँ कि इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसका कारण यह है कि जैसा कि इसके उद्देश्यों में बताया गया है कि राजस्थान कृषि भूमि उपभोग अधिनियम, १६५४ की धारा ४ के अधीन ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है जिसमें दो अथवा अधिक वर्षों से कृषि नहीं की गई है या जिसमें बिल्कुल ही कृषि नहीं की गई है, और यदि ऐसी भूमि के भूमिधारक या काश्तकार को ऐसी भूमि में स्वयं कृषि करने या उस भूमि में तुरन्त कृषि किये जाने की

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

व्यवस्था करने या ऐसी भूमि में कृषि करने के लिये किराये या शिकमी किराये पर उठाने का आदेश देनेवाले किसी नोटिस की तामील नहीं की जाय तो तहसीलदार कलेक्टर की आज्ञा से ऐसी भूमि एक विशिष्ट अवधि जो तीन साल से अधिक नहीं होगी के लिये अब पांच वर्ष का प्रावधान किया गया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी समझने की बात तो यह है कि आज जिस समय भूमि के लिये एक बड़ी प्यास किसान वर्ग में बढ़ी हुई है, वह किसान एक एक चप्पा भूमि के लिये तरस रहा है उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि बिना किसी उचित कारण के वह दो वर्षों के लिये या दो वर्ष से ज्यादा समय तक के लिये भूमि को पड़ी रखेगा। अवश्य कोई न कोई उसके पीछे कारण होगा, जब किसान अपनी जमीन को पड़ी रखेगा। उदाहरण के तौर पर या तो ठीक समय पर वर्षा नहीं होती है, जिस समय खेती करने का समय आता है, तो वह जमीन पड़ी रह जाती है या कभी कभी अधिक वर्षा हो जाने से पड़ी रह जाती है। ये दो बातें हैं कि खास तौर से किसान अपनी जमीन को पड़ी रखता है अन्यथा वह अपनी जमीन को किसी भी हालत में पड़ी नहीं रखता, क्योंकि उसका सारा जीवन उस जमीन की खेती पर ही आधारित रहता है। हो सकता है कि बीज सड़ जाय या वर्षा न हो या अधिक वर्षा हो, जैसा मैंने कहा तो उसका कोई अपराध नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह अपने लाभ की चीज़ को स्वयं छोड़ दे। इसलिये या तो इसमें कारण स्पष्ट किया होता कि बिना किसी विशेष कारणों के वह जमीन को पड़त छोड़ता है, तब तो इसका कुछ अर्थ हो सकता था लेकिन इसमें वह बात नहीं है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जावे। वहां पर इस पर विचार करके कि कौनसा परंतुक इसमें और जोड़ा जावे ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो।

दूसरी बात यह है कि अब तक तीन वर्ष तक की मियाद थी उसकी जगह अब यह है कि उसको ५ वर्ष तक कर दी जाये। मैं नहीं समझता कि इससे क्या विशेष लाभ हो सकता है और सोचा गया है ? एक किसान के लिये यह दंड भी बहुत है कि उसकी जमीन उससे तीन साल तक के लिये ले ली जावे। यदि उसकी जमीन तीन साल तक उसके कब्जे से निकल कर दूसरे के कब्जे में चली जाती है तो यह दंड उसके लिये बहुत ज्यादा है, और वह भी ऐसी हालत में जब कि उसके पीछे कोई माकूल वजह नहीं है। मैं इसको दंड मानता हूं और इसलिये दंड मानता हूं कि एक आदमी अपनी भूमि से तीन वर्ष तक लाभ नहीं उठा सकता था। अब उसके लिये यह दंड तीन वर्ष से बढ़ा कर ५ वर्ष कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार कभी यह भी आवश्यक समझे कि ५ वर्षों का दंड कम है उसकी बजाय ७ वर्ष या उससे भी बढ़ा कर ६ या ११ वर्ष कर दे, तो इसकी तो कोई सीमा नहीं होगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि तीन वर्ष का जो प्रोविजन पहले मूल रूप में रखा है, वही रखा जावे। मैं यह समझता हूँ कि यदि किसान ने अपनी लापरवाही से जानबूझ कर उस जमीन को पड़त रखा है, तब तो उसको दंड मिलना चाहिये मगर जिस समय अति वृष्टि या कैतसाली हो जाए या समय

(श्री पी. के• चौधरी)

पर वर्षा न हो और जमीन जोती नहीं जा सकती हो, ऐसी सूरत में अगर जमीन नहीं जोते तो यह उसका कसूर नहीं है । भरतपुर की मैं कह सकता हूं, दूसरे स्थानों का मैं नहीं कह सकता कि यदि रबी की फसल के समय इतना पानी पड़ जावे कि खेतों में संभवत: रबी की फसल नहीं पैदा हो सके तो उस खेत को छोड़ दिया जाता है । इसी तरह जब किसान यह देख लेते हैं कि न तो जौ होगा न चना होगा तो वह जमीन यों ही पड़त रह जाती है । ईश्वर का प्रकोप दो वर्ष तक हो सकता है और उस कारण से अगर वह जमीन को पड़त रखे और उसका दंड उसको भोगना पड़े, यह तो उचित नहीं कहा जा सकता । इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर अच्छी तरह से विचार कर उचित व्यवस्था करनी है । इसलिये पहले यह प्रवर समिति को भेजा जावे, और उसके बाद में सदन के समक्ष आवे और उस पर विचार किया जावे तो ज्यादा उचित होगा । इसलिये मैं, जो सलेक्ट कमेटी में इसको भेजने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री मोगजीभाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव है....

(एक और माननीय सदस्य ट्रेजरी बैंच की तरफ से बोलने खड़े हुए और बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या बोल रहे है ? कहां से बोल रहे हैं ? कोई आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है या पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है ।

(बैठ जाते हैं)

श्री उपाध्यक्ष (श्री मोगजी भाई को संबोधित करते हुए) : आप भाषण प्रारंभ करें ।

श्री मोगजी भाई : यह संशोधन बिल प्रवर समिति को भेजने के लिये माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन नहीं करता । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है और इसमें भाषा दी गई है कि यदि कोई अपनी ज़मीन को काश्त नहीं करता है तो उसको कलेक्टर की आज्ञा से ऐसी भूमि जो पहले तीन साल के लिये दी जा सकती थी वह अब उनको ५ वर्षों तक के लिये देने का अधिकार है जो ज़मीन काबिले काश्त हो । इस मंशा से लिया । लेकिन मैं समझता हूं, राजस्थान में भूमि के लिए काश्तकारों की इतनी मांग है कि उनको भूमि चाहिये । ऐसी सूरत में जिसके पास ज़मीन नहीं है यह नहीं चाहिये कि इसकी अवधि तीन साल से बढ़ा कर पांच साल कर दी जाय । यह संशोधन उनके लिए लाया गया है जिनके पास ज़मीन होते हुए ज़मीन से जिनका सम्बन्ध नहीं है । दूसरों के फायदे के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है । किसानों के नाम पर तीन साल से बढ़ा कर पांच साल कर दिया जाय यह अनुचित होगा । इससे किसानों के साथ दुर्व्यवहार होगा । जिनका ज़मीन से वास्ता नहीं है उन्हीं के लिए यह संशोधन लाया गया है । मैं समझता हूं कि इसको वापिस ही ले लें । मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह किसानों के फायदे के लिए नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लैंड युटिलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट पेश हुआ है और उसके लिए सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं। जो सलेक्ट कमेटी में रखने का आधार बताया गया उसके लिए मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि यह बताया गया कि "कोई आदमी अपनी ज़मीन को व्यर्थ नहीं रखता और न ही रखना चाहेगा। ऐसी स्थिति में इसकी क्या आवश्यकता है ? ज़मीन की काफी भूख है, तीन से पांच साल की अवधि बढ़ाना उपयुक्त नहीं है।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शहर में मकान खाली पड़े हैं, उनके ऊपर रेन्ट कंट्रोल एक्ट लागू है, उन पर सरकार कब्जा कर सकती है और उनको किराये पर दिला सकती है। इसी प्रकार से ज़मीन के बारे में यह कहा गया है कि बहुत से ऐसे आदमी हो सकते हैं जो ज़मीन को काम में न लें, तो सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि देश की भलाई के कामों की दृष्टि से वो काश्त के लिये दे दें ...

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of Order, Sir, repetition of movements must be controlled in the House. Yesterday I asked the information whether a lady member had been sworn in as a Minister, and that very thing is being repeated today, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Members can sit there sometimes.

श्री श्रीभानसिंह :-No, Sir, I will request the Chair that there are certain chairs which have certain sanctity in the House and that sanctity must be maintained by the Hon'ble Members.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, I cannot take a note of it, Mr. Suribhan Singh, so far as ...

डॉ० चन्द्रकला : Lady member is concerned?

श्री उपाध्यक्ष : Not because she happens to be a lady Member, but at places it is desirable to make a departure...

श्री श्रीभानसिंह : Is it a privilege of the lady member to sit on any chair in the House ?

श्री उपाध्यक्ष : Let us be a little more liberal as far as lady members are concerned. I hope it will not be repeated.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमीन के मामले में मैं निवेदन करूंगा कि शायद उन्होंने मूल एक्ट को नहीं पढ़ा और पढ़ लेते तो इस अमेंडमेंट बिल को मंजूर कर लेने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती। उन्हीं व्यक्तियों को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है जो व्यक्ति जमीन काश्त लायक होते हुए भी काश्त नहीं करते। उनको नोटिस इसीलिए दिया जाता है कि वो काश्त करें, या कारण बतावें। ऐसी सूरत में समझ में नहीं आता कि वर्षा ज्यादा हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, इससे इसका क्या संबन्ध है ?

श्री श्रीमानसिंह : Sir, if this practice is not checked, it is becoming rather dangerous. There are other incumbents....

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री का ट्रेज़री बेन्च की ओर जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Purshottem will continue.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में अकाल हो जाय, अतिवृष्टि हो जाय तो वहां पर तो यह सवाल उपस्थित ही नहीं होता। उनके लिए पहले ही व्यवस्था है। दो साल या उससे अधिक सालों तक काश्त करने पर ही फिर नोटिस देना होता है और वह व्यक्ति आकर जवाब पेश करता है कि इन कारणों से काश्त नहीं कर सका और अब करूंगा। अदालत. तहसीलदार फिर उस पर गौर करते है कि यह दरअसल बात ठीक है या नहीं। तब दूसरे कारण होने पर या विपरीत कारण होने पर ही दूसरे को वह जमीन बताई जाती है। टिनेन्सी एक्ट की धारा ४५, पैराग्राफ १ को पढ़ने पर स्पष्ट है कि ५ साल तक खातेदार सब-टिनेन्ट के लिए दे सकते हैं। खातेदार काश्तकार अपनी जमीन को पांच साल तक के लिए दूसरे को दे सकता है। उस मियाद के बाद फिर दो साल खुद को काश्त करना पड़ता है। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टिनेन्सी एक्ट की धारा के यह खिलाफ नहीं है। जो अमेंडमेंट लाया गया है वह बहुत ही सूक्ष्म है। कहा जाता है कि आज कल जमीन की भूख है तो फिर मैं कहता हूं कि जमीन पड़ी हो क्यों रहेगी? यदि पड़ी रहती है, तो वहां पर यह सवाल उपस्थित होता है। जहां पर जमीन इस प्रकार पड़ी हुई नहीं होगी वहां पर यह सवाल ही उपस्थित नहीं होगा। कोई आदमी कह दे कि मेरी जमीन है, मैं काश्त कराऊं या नहीं लेकिन देश के उत्पादन को बढ़ाना है, धन बढ़ाना है, ऐसी स्थिति में कोई जमीन लेकर पटक रखे, कोई कहे कि जान मेरी है, मरना चाहता हूं लेकिन कानून बना हुआ है कि मर नहीं सकता, मरता है तो सुसाइड के जुर्म का भागी होगा। इसी तरह से जमीन है, जीवन को चलाने का साधन है. उसमें उत्पादन हो, लेकिन यदि कोई उसको पड़त रखता है, उत्पादन नहीं करता है तो सरकार का फर्ज हो जाता है कि उस जमीन को अपने हाथ में लेले और दूसरे को काश्त के लिये पांच साल के लिये बता दे; जिस तरह से कि यदि मकान पड़ा हुआ है तो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार सरकार उस पर कब्जा कर सकती है और दूसरों को किराये पर दिला सकती है। टिनेन्सी एक्ट की धारा ४५ में पहले से ही ऐसे प्रोविजन है। सरकार अपने हाथ में ऐसी जमीन को लेना चाहती है इसलिए इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह साधारण सा अमेंडमेंट है ...

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें सुझाव था ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! ऑर्डर प्लीज़ !!!

श्री दामोदरलाल व्यास : एक तरफ

Page No.101

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तो हम रोज मर्रा यह चाहते हैं कि हर एक इंच जमीन को हम काश्त करायें और पड़त न रखें ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दिया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am in possession of the House.

श्री उपाध्यक्ष : I have asked the Hon'ble Minister.

श्री भैरोंसिंह : बिजनेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह बिल आज पेश हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : यह सवाल नहीं है । उनके उठने में देर हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : यदि वे बोलना चाहे तो उनको इजाज़त दे दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : अवश्य देता । उनके उठने में ही देरी हुई । उस वक्त मैंने माननीय मंत्री महोदय को बोलने के लिए कह दिया था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक तरफ तो यह सवाल आता है कि लैंड युटिलाइजेशन बिल को एन्फोर्स नहीं किया जाता । जब एन्फोर्स किया गया तो प्रेक्टिकल डिफिकल्टी यह आई कि तीन साल के लिए कोई जमीन लेने को तैयार नहीं है जो लेना चाहते हैं । तीन साल में रिज्यूम नहीं होती है । सरकार कल्टीवेशन का प्रोविजन करती है । तीन साल की मियाद देती है किसी काश्तकार से काश्त कराने के लिए । दूसरी तरफ यह बार बार कहा जाता है कि the minimum period for sub-letting should be five years. किसान जिसको सब-लेट करना चाहते हैं, तीन साल के लिये कोई लेना नहीं चाहता । लाखों बीघा पड़त पड़ी हुई भूमि है जिसमें लोग बाड़ लगा कर मवेशी चराते हैं और उससे काफी मुनाफा कमाते हैं । इससे एक तरफ तो हमारा प्रोडक्शन कम होता है और दूसरी तरफ कुछ लोग उस जमीन का बेज़ा फायदा उठाना चाहते हैं । जहां हम लैन्ड युटिलाइजेशन एक्ट को एन्फोर्स करना चाहते हैं और उसी आधार पर जो भूमि बेकार पड़ी हुई है उस पर हमें काश्त करना पड़ेगा उसको हम सब-लेट करना चाहते हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको । मिनीमम पीरियड उसके लिये हम पांच साल रखना चाहते हैं क्योंकि तीन साल के पीरियड के लिये ज्यादा लोग लेने को तैयार नहीं हैं । यह एक अहम मसला है, इस पर हमें विचार करना चाहिये । गवर्नमेंट के पास इतनी जमीन पड़ी हुई है । सरकार के पास इतनी जमीन है कि वह बराबर हर साल लैन्ड-लैस टिनेन्ट्स में उसका अलॉटमेंट कर रही है और उसको बराबर काश्त में लिया जा रहा है । अगर हमें लैन्ड युटिलाइजेशन एक्ट को फोर्स में लाकर फालतू पड़ी जमीन को काश्त में लाना है तो हमें उसके लिये मिनीमम पीरियड पांच साल का देना होगा । कोई भी उसमें इन्वेस्ट करता है और उसके बाद, तीन साल के बाद हम उससे जमीन ले लेते हैं तो यह कोई वाजिब बात नहीं होगी । ऐसी सूरत में लैन्ड युटिलाइजेशन एक्ट पर स्टरेट हो जायगा, जमीन को काश्त में नहीं ले सकेंगे इसलिये इसको

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं। साधारणसा प्रोविजन है तीन साल के बजाय पांच साल कर दिया जाय। यह भी प्रेक्टिकल डिफिकल्टी की वजह से हमें लाना पड़ रहा है ताकि भूमि कल्टीवेशन में लाई जा सके और उसमें सब–टिनेन्ट को सुविधा हो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने उक्त बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चरल लैन्ड्स (युटिलाइजेशन) अमेंडमेंट बिल, १६६० को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): पहले इसको क्लॉज वाइज़ लें। इस पर बोल सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं और न रूल्स ही प्रोवाइड करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स तो प्रोवाइड करता है बोलने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : जब कोई अमेंडमेंट नहीं हो तो उस पर बोलने के लिये इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री भैरोंसिंह : अमेंडमेंट इस बात का नहीं होता है कि किसी क्लॉज को डिलीट किया जाय।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): When we write that the clause be deleted, the amendment is not allowed.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is allowed.

श्री पी० के० चौधरी : Not allowed.

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था है कि जब कोई संशोधन प्रस्तुत न हो तो खंडशः विचार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : इस बारे में पहले रूलिंग हो चुकी है।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, Sir, this Bill contains only one clause. Whenever any amendment is given for deletion of a particular clause, that amendment is not accepted by the Secretariat, it is not circulated. We are told that for deletion of a clause we can oppose the whole clause itself, but we cannot give an amendment for deletion of a clause.

श्री उपाध्यक्ष : But whether there exists any amendment to this motion

श्री पी० के० चौधरी : No, it is not allowed. Naturally we did not give any notice for it. We don't give any amendment for it. Even if we give it, it is not accepted and it is not circulated.

श्री उपाध्यक्ष : What do you want to hit at, Mr. Chaudhary ? Do you want to oppose the clause ?

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Member has raised the issue that if any member wants to oppose the clause he can oppose it when the clause is taken into consideration.

श्री उपाध्यक्ष : You can oppose it both ways, but not after the Hon'ble Minister has moved a motion.

श्री भैरोंसिंह : It makes no difference, if a wrong motion has been moved by the Hon'ble Minister. The House will not take cognizance of that.

श्री उपाध्यक्ष : It was a motion allowed by the Chair to be moved. The Hon'ble Member will proceed.

श्री भैरोंसिंह : इसका स्पष्टीकरण हो जाय, माननीय अध्यक्ष का रूलिंग हो गया है कि जिन क्लॉजेज को डिलीट कराने का होता है उनके बारे में अमेंडमेंट मूव नहीं किया जाय। इसके सिवाय अगर कोई अलग से क्लॉज मूव होता है तो वह क्लॉज थर्ड रिडिंग के समय कन्सीडर हो सकता है. आखिर कौन सी रूलिंग मानी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : रूलिंग दोनों समान हैं। माननीय सदस्य ने इस आसन का ध्यान आकर्षित करने में कुछ देरी की और उसके पूर्व जब कि मन्त्री महोदय द्वारा मोशन मूव हो चुका था यदि मैं भी इस प्रसंग को ओपन करता हूं तो उस स्थिति में माननीय मन्त्री महोदय फिर से इसको पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत न कर सकेंगे। जहां तक व्यवस्था का ताल्लुक है दोनों व्यवस्थायें एक सी हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न खड़ा होने का नहीं उठता, क्योंकि....

श्री उपाध्यक्ष : I will not enter into this controversy. The Hon'ble Member will please contiue.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास : He is speaking on the third reading, I think.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा निवेदन है कि यह जो क्लॉज इस सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उस सम्बन्ध में जिस समय इस बिल का प्रथम वाचन हो रहा था सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये और उन विचारों का असर सरकार पर कितना हुआ, इसकी जानकारी माननीय राजस्व मन्त्री ने जो उत्तर दिया उससे हमें प्राप्त हुई। अब प्रश्न यह आता है कि क्या इस प्रकार का क्लॉज आवश्यक है ? यह बात सही है कि सदन में जिस जिस प्रकार के विचार समय समय पर सुनने को मिले हैं यह विचार भी प्रस्तुत हुए हैं कि लैंड युटिलाइजेशन एक्ट का जल्दी से जल्दी

(श्री भैरोंसिंह)

इफेक्टिव बनाया जाय और जितनी भी फैलो लैंड्स है डेलीबरेटली फैलो रखी जाती है ऐसी भूमि पर काश्तकारों द्वारा काश्त हो सके, इस प्रकार की कलेक्टर द्वारा व्यवस्था कराई जाय ।

दूसरी ओर यह विचार भी सुनने को मिलते हैं जो तथ्यपूर्ण हैं : अगर इस प्रकार के अधिकार हमने इसकी आड़ में, एक व्यक्ति जो अपनी जमीन को जानबूझ कर पड़त रखता है इस प्रकार के अधिकार किसी एग्जीक्युटिव ऑफिसर के पास रखते हैं, यह जान बूझकर पड़त रखी हुई या किस प्रकार इस निर्णय करने का अधिकार एक एक्जीक्युटिव अधिकारी को डिसक्रिशन के पॉवर्स देते हैं...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या अभी इस प्रकार के अधिकार नहीं हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह : I don't want to be interrupted, Sir. The Hon'ble Member should raise a Point of Order and then speak.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : If it is a point helpful to the Chair, I would like to hear it.

श्री भैरोंसिंह : How can I know whether it would be helpful to the Chair or not ?

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!! मैं यह महसूस करता हूं, उनके बोलने से आसन को कुछ मदद मिल सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : But there is a way to put a question. It should either be to the Chair or to the House, but there is a definite way which should be followed.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लैंड युटिलाइजेशन एक्ट का सवाल है गवर्नमेंट को डिसक्रिशन है या नहीं, किसको नोटिस दिया जायगा या नहीं, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता । हम केवल इस अमेंडमेंट द्वारा जहां तीन साल के लिए काश्त को देने का सवाल था वहां पांच साल की मियाद कर रहे हैं । इस सम्बन्धी बिल हमने १९५४ में ही पास कर दिया था । माननीय सदस्य जो बहस कर रहे हैं वह उस बिल के प्रिन्सिपल से सम्बन्धित बहस कर रहे हैं इस क्लॉज से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार इर्रेलेवेन्ट वाद-विवाद में सदन का समय व्यतीत न करके आप यह व्यवस्था करें कि जो बिल पास हो चुका है और बहुत अर्से पहले पास हो चुका जिसको हमने सब ने स्वीकार कर लिया उसके ऊपर बहस करने से कोई नतीजा नहीं होगा, इससे तो केवल सदन का समय ही नष्ट होगा ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राजस्व मन्त्री महोदय ने इतना समय सदन का ले लिया उसका कोई अर्थ नहीं निकला । मैं जिस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था वह प्रिन्सिपल का नहीं । मैं तो केवल

(श्री भैरोंसिंह)

यह निवेदन कर रहा था कि जो तीन वर्ष के समय को बढ़ा कर पांच वर्ष कर रहे हैं और जो डिसक्रिशन के पॉवर आप कलेक्टर के हाथ में दे रहे हैं उसका कितना अनुचित फायदा उठाया जा सकता है, इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था । मैं समझता हूं यह कहना किसी भी प्रकार इस प्रसंग में अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता । इसमें सोचने का सवाल यह है कि जो जमीन पड़त रखी हुई है क्या वह डेलीबरेटली पड़त रखी है या किस तरह से या सब-लेट कर दी ? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस क्लॉज का विरोध करते हुए यह निवेदन करना है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा विश्वास है कि आप क्लॉज पर नहीं बोल रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्लॉज पर बोल नहीं सकते, क्योंकि बिल को पारित करने का प्रस्ताव हो चुका है, थर्ड रिडिंग के आधार पर बोल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्व मन्त्री महोदय ने आपत्ति की थी कि मैं क्लॉज पर बोल रहा हूं, प्रिन्सिपल्स की बात नहीं कर सकता ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप क्लॉज पर बोल नहीं सकते, थर्ड रिडिंग पर बोल सकते हैं because that is already the law of the land.

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझ रहा था कि क्लॉज नहीं रखा गया है । उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहूँगा । थर्ड रिडिंग के अन्दर यह क्लॉज गिर जाता है तो फिर थर्ड रिडिंग की कोई आवश्यकता नहीं, वैसी हालत में पहले क्लॉज को हाउस के सामने वोट के लिए प्रस्तुत करना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक था । क्लॉज़ रखा जा सकता था, पर क्लॉज़ के सम्बन्ध में जब पहले नहीं कहा इसलिये मोशन मूव हो चुका था । इसलिए ऐसी स्थिति में थर्ड रीडिंग के सिवाय और चारा नहीं था । यह मेरी व्यवस्था है ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का पूरा खेद है कि मैंने अभी तक उस क्लॉज की विचार धारा से ही सदन में कुछ बातें प्रस्तुत कीं ।

अब मैं ऐसा समझता हूं कि इस बिल का जो तृतीय वाचन चल रहा है उसमें हमें इन बातों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसके पारित हो जाने के बाद जिस रूप के अन्दर यह पास होगा, उसका किसान पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा और यदि किसान पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है तो उस कानून को सदन को पास करना चाहिये या नहीं । यह खुशी की बात है एक प्रकार से और उसके लिए मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी को धन्यवाद दूँगा कि अभी तक हमारी सरकार जो समय समय पर किसानों के हित के नाम पर कानून बनाया करती थी उस सरकार ने आज के दिन से अपना ट्रेन्ड बदल लिया है । पहले एक कानून सरचार्ज का पास करके किसान पर ज्यादा लगान लगे, उसको ज्यादा देना पड़े, इसकी व्यवस्था कर दी और दूसरे कानून के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान के पास यदि जमीन पड़ी रह

(श्री भैरोंसिंह)

जावे तो कलक्टर को अधिकार देकर और कलेक्टर यह समझ ले कि यह जमीन जान बूझ कर पड़त रख छोड़ी है तो वह उसको किसी दूसरे को सब-लैट कर दे और सब-लैटिंग किये गये काश्तकार के पास वह पांच वर्ष तक अधिकार में रहे। अब यह पांच वर्ष का पीरियड एक इस प्रकार का पीरियड है कि जिसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यदि यह निवेदन करूं कि पांच वर्ष तक राजस्थान के किसान की बदकिस्मती के लिए यदि वर्तमान राजस्व मंत्री इस पद पर आसीन रहे तो हर महीने एक संशोधन वे लावेंगे और संशोधन आने के बाद शायद इस प्रकार की भी स्थिति पैदा कर दें कि जिन लैंड्स को पड़त रहने के कारण हमने सब-लैट की थी तो उस काश्तकार ने अगर दो वर्ष उस पर काश्त कर ली है, या तीन वर्ष कर ली है या चार वर्ष कर ली है या पांच वर्ष कर ली है, इन्वेस्टमेंट उस पर कर दिया है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया है, खेत की रखवाली की है या कुछ अपना श्रम उसमें दिया है तो ये सारे रीजनिंग देकर उसके पीछे लगा कर एक दिन ऐसा कानून बना दें एक संशोधन लाकर कि यह पांच वर्ष का काश्त करने वाला आज के दिन से उस जमीन का खातेदार बनेगा। हमने पहले भी ऐसा किया है। आपने राजस्थान का टिनेन्सी एक्ट पास किया था तब से अब तक जितने संशोधन आये उन संशोधनों के आधार पर राजस्थान के किसान को उप-कृषक या जिसको सब-लैट की गई है गैर खातेदार ये लोग यह कभी नहीं समझते कि हम इस स्थिति में कितने दिनों तक रह सकेंगे और जो लोग खातेदार हैं उनके दिमाग में भी यह नहीं आता कि मैं खातेदार हूं और बना रहूंगा। वह अच्छी तरह जानता है कि मैं किसी दिन गैरखातेदार बना दिया जा सकता हूं। सब-लैट कर रखी है आपने जमीन। वह शिकमी काश्तकार के दिमाग में भी यह नहीं रहता कि मैं कितने दिन शिकमी काश्तकार हूं और कितने दिन मुझे सब-लैट की जमीन पर रहना है मुझे किसी दिन भी सरकार का कानून आकर खातेदार बना सकता है। यह अनिश्चितता का वातावरण हमारी सरकार ने किसानों के मस्तिष्क में आज पैदा कर दिया है और करती जा रही है और उस वातावरण के अन्दर आप तीन वर्ष की अवधि बढ़ा कर आज पांच वर्ष करने जा रहे हैं।

इसके पीछे भी दलील रहती है कि तीन वर्ष में किसान अपनी पूरी इन्सेन्टिव प्रोडक्शन पोइन्ट आॅफ व्यू से लेना चाहिये वह नहीं लेता इसलिए कि अवधि कम है। कल शायद यह भी प्रोब्लम खड़ी हो जावे कि पांच वर्ष में भी क्या स्थिति बन सकती है तो वह इन पांच वर्ष में भी इनिशियेटिव पूरी नहीं लेगा। उसके दिमाग में भ्रम है कि न जाने किस दिन मुझे क्या करना पड़े, कब छोड़ना पड़ जाय। पांच साल के लिए भी रह सकूंगा या नहीं? प्रोडक्शन करना शुरू करूं प्रोडक्शन का पोइन्ट आया कि कुछ दिन के बाद संशोधन के रूप में सरकार की हरकत सामने आकर खड़ी हो सकती है और कभी भी मैं वहां से हटाया भी जा सकता हूं। मेरे साथ कुछ भी मनमानी की जा सकती है। इस सरकार की हरकतों का कुछ पता नहीं, कब क्या कर बैठे। तो यह अनिश्चतता का वातावरण आज सरकार ने पैदा कर रखा है और इसे पैदा करने के लिए ही बार बार आप संशोधन लाते हैं। मालूम नहीं आप

(श्री भैरोंसिंह)

क्या चाहते हैं ? जिसकी जमीन आप देने जा रहे हैं सब-लैटिंग के रूप में उसके दिमाग में भी अनिश्चितता का और भ्रम का वातावरण रहेगा । आज कलेक्टर के डिस्क्रिशन के आधार पर जिस जमीन को दूसरे को सब-लैट करने का आप संशोधन ला रहे हैं, यह अब चाहे दो वर्ष के लिए हो, चार या पांच वर्ष के लिये हो, जिस दिन सब-लैट की गई है आप उस दिन से उसको खातेदार मान सकते हैं । इस तरह का कानून एक दूसरा संशोधन लाकर और बना सकते हैं ।

अब अगर उसको कम्पेन्सेशन लेना है तो स्वयं जाकर वह अदालत में खड़ा हो, दरख्वास्त पेश करे और कम्पेन्सेशन की मांग करके कम्पेन्सेशन ले । सरकार की इस प्रकार की चक्कर देने की व्यवस्था उचित नहीं है । लोगों के पास सरकार चाहती है कि पड़त जमीन रहे । तो चक्कर लगा कर क्यों उनसे यह छीनती है ? स्पष्ट कह दें कि एक साल पड़त रखेंगे तो उसे दूसरों को दे देंगे और उसके, जिसको जमीन दी जावेगी, परमानेन्ट राइट एक्रूहो जावेंगे ! पर सरकार सब को चक्कर में डाल रही है, सबको भ्रम में ही रखना चाहती है वह इस तरह स्पष्ट बात इसलिये नहीं करना चाहती । सबको भ्रम में रखना चाहती है । किसी को पता नहीं लगे । जिसकी सब-लैट की जावे उसको पता नहीं लगे, जिसको की जावे उसको पता नहीं लगे, जिसकी ली जावे उसको पता न लगे । सारे आदमी भ्रम में पड़े रहें । यह अनिश्चितता का वातावरण चलता रहे और फूड प्रोडक्शन में किसी प्रकार की वृद्धि न हो । यह आज सरकार चाह रही है और इसी के लिये सबको भ्रम में डाले है । आज राजस्थान में क्रोप पेटर्न कैसा है ! इसमें तीन वर्ष की अवधि पर्याप्त है । रिटर्न के लिये तीसरे वर्ष काश्त होती है । पहले जो तीन वर्ष की अवधि रखी गई थी तो वह इस पर्पज़ से रखी गई थी कि दो वर्ष पड़ी रहे तीसरे वर्ष काश्त करे । दो वर्ष की भी रखी गई थी । एक में काश्त कर लें, एक लास्ट साल पैटर्न पर्पज़ के लिये पड़ी रहेगी और फिर तीसरे साल का और फायदा देने के लिये तीन साल रखा । तो यह तीन साल इस तरह से रखे आपने एक साल पहले साल काश्त करे, दूसरे साल क्रोप पैटर्न के लिये खाली रख दे और तीसरे साल और काश्त करके फायदा ले लें । रोटेशन के वक्त कब्जा कर ले और नेक्स्ट इयर बुवाई कर दे । यह इसके लिये रखा था । अब पांच वर्ष की गई व्यवस्था में वह बात नहीं रहती । अब ज़मीन फल दे देती है जब वह पड़त पड़ी रहती है ।

एक यह बात भी सही है कि माननीय मन्त्री महोदय यह कहें कि किसी ज़ागीरदार के पास बहुत ज़मीन पड़ी है और उसके ऊपर अधिकार करने के लिये वह शायद इस प्रकार की व्यवस्था करने वाले हैं । पर मुझे ऐसा लगता है कि सीलिंग के कानून को लागू करने के बाद न ज़मींदार के पास ज़मीन ज्यादा रहेगी और न ज़ागीरदार के पास रहेगी । जिसके पास ज़मीन छोड़ने वाली हो उतनी ज़मीन उसके पास नहीं रह सकती । उसे अपना जीवन निर्वाह करना है, वह खाली नहीं रख सकता । ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं कि एक तरफ तो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ तक उसको सीमित कर दिया, इस ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का कानून बनने के बाद भी किसान की हालत इतनी अच्छी हो । ऐसी बात नहीं है कि वह उस ज़मीन में से

(श्री भैरोंसिंह)

भी ज़मीन को पड़त रख कर अपना गुजारा चला ले और इस तरह दूसरे को सब-लैट किये जाने का अवसर सरकार को दे। तो ये चीजें चलने वाली नहीं हैं। पर इसके पीछे भावना सरकार की और है। वह भावना राजनैतिक भावना है। उनकी भावना यह है कि इस कानून की आड़ लेकर राजनैतिक रूप से किसी विरोधी को परेशान किया जावे। अगर उसने रोटेशन के कारण, क्रोप पैटर्न के कारण अपनी जमीन एक साल पड़त रख ली तो कलेक्टर को आदेश दे दिया कि इसको इस ज़मीन पर कब्जा कर लो, इस कानून के मातहत, क्योंकि उसने अपनी यह ज़मीन खाली पटक रखी है। पोलिटिकल कन्सीडरेशन पर तब तक इसको हैरान करो जब तक कि यह हमारे रास्ते से दूर न हो जावे। और अगर यह न भी हो तो कलेक्टर को आप मौका देंगे कि वह आपको खुश करने के लिये इस हथियार का उपयोग करके आपको कहे कि मैंने आपके भले के लिये फलां की पड़त ज़मीन छीन ली है। आप कहें उसको दे दूं। इस प्रकार की बातें हुई हैं। आपके हुकम से, आपकी कलम से की गई हमने देखी हैं।

इन सारी परिस्थितियों में, उपाध्यक्ष महोदय, यह तीन और पांच की मियाद का मामला महत्वपूर्ण है। इसके पीछे जो मोटिव प्रिन्सिपल की आड़ लेकर है वह बड़ा घातक है। प्रिन्सिपल की आड़ में जो बात लाना चाहते हैं ये वह बात बहुत घातक है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार एक तो इसको स्पष्ट करे कि किनके पास ज़मीन रह सकती है और जिनके पास रह सकती है वे रोटेशन के पर्पज़ के लिये पड़त रखते हैं, जैसे लिखा है, कई स्थानों पर ऐसा होता है कि एक साल नहीं, दो-दो तीन-तीन साल पड़त रखनी पड़ती है, जिसको आप खारड़े की ज़मीन कहते हैं, उस ज़मीन को प्रिपेअर करने की दृष्टि से, एक नहीं दो-दो और तीन-तीन और चार-चार साल तक भी पड़त रखना पड़ता है, वहां इस कानून के अन्तर्गत सरकार अगर किसी को दण्ड देना चाहे, अपने पोलिटिकल एम पूरे करना चाहे, या कलेक्टर ही अपने मन्त्री महोदय को या अपने किसी अधिकारी को खुश करना चाहे तो ज़मीन के बारे में वह लिख सकता है कि यह पड़त है, इस ज़मीन के खारी होने का मामला नहीं है, यह तो इसका बहाना है। ज़मीन को तैयार करने का मामला नहीं है। ज़मीन का जान बूझ कर पड़त रखी जा रही हो, उसके लिए आपने ऐसा प्रावधान रखा है। काश्तकार उसको पड़त इसलिए रख रहा था ताकि उस ज़मीन के ऊपर उसका अधिकार बना रहे। राजस्थान में ज़ागीर रिज़म्पशन एक्ट के बनते समय और जितने भी काश्तकारों के कानून हैं उनके बनते समय यह रियायत दिखाई, ज़ागीरदारों के साथ पर्सनल कल्टीवेशन की परिभाषा दिखा कर उस पर्सनल कल्टीवेशन के अन्दर उन्होंने जिस प्रकार की परिभाषा निर्धारित की उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं खेती नहीं कर सकता तो दूसरों से खेती करा सकता है, इसकी छूट है। एक तरफ तो हम किसी परिस्थिति के कारण छूट देते हैं और दूसरी तरफ कानून बनाते हैं। यदि कोई ज़मीन पड़ी रही और तीन साल तक बिना काश्त के पड़ी रही तो उसको सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। इसका मतलब यह है कि लाज़िमी तौर से वह खेती करे। चाहे उस ज़मीन में

(श्री भैरोंसिंह)

कुछ पैदा हो या न हो। मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से कहूं कि सीकर ज़िले के दांता रामगढ़ तहसील में जो ज़मीन लोगों की खुदकाश्त में है उसमें लोगों को मेहनत करते हुए तीन तीन साल हो गए और उसमें एक मन करीब बीज डाला लेकिन ५ सेर की पैदावार वहां मुश्किल से हुई। तो मैं यह चाहता हूं कि अगर आपने इस प्रकार का कानून पास कर दिया तो उनको लाजिमी तौर पर उस ज़मीन में काश्त करनी होगी और काश्त इसलिए करनी पड़ेगी कि आपने इस प्रकार का कानून पास कर दिया कि अगर कोई ३ साल तक अपनी ज़मीन को पड़त रखेगा तो वह उसके अधिकार से ले ली जायेगी। अब वह काश्तकार इस डर से कि कहीं सरकार ज़मीन न छीन ले इसलिए हल लेकर जायेगा, बीज लेकर जायेगा और मेहनत करेगा और इतना वह सब नुकसान करेगा। यदि सरकार का यह दृष्टिकोण है तो सरकार साफ कहे कि हम जागीरदारों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं जो कि ज़मीन के अन्दर डवलेपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ तकावी देते हैं कुंए बनाने के लिए, बैल खरीदने के लिए, अच्छे बीज और खाद खरीदने के लिए तकावी देते हैं और वह इसलिए देते हैं कि वह पैदावार बढ़ावें और दूसरी तरफ यह कोशिश करते हैं कि उस ज़मीन पर जो कि पड़त रखी हुई है उस पर पैदावार होती थी या नहीं उसमें काश्तकार काश्त करेगा तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कलेक्टर ने अपने डिस्क्रिशन से कब्जा करने की कोशिश की तो किसान के ऊपर उसका असर पड़ेगा। आज का दिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान सरकार का किसान के प्रति जो दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण के लिए यदि यह कहा जाये कि यह जबरदस्त ब्लेक-डे है। आज के दिन दो कानून बने और दोनों किसानों के अहित को लेकर बने हैं और ऐसा समझना चाहिए कि जो किसानों के नाम को लेकर आगे बढ़ रहे थे वह अब पीछे चल रहे हैं। गाड़ी का मुंह जो अब तक किसानों के हित को लेकर चल रहा था उससे अब उल्टे किसानों को ही कुचलने की कोशिश की जा रही है और यह सौभाग्य अगर किसी को मिला है तो वह हमारे राजस्व मंत्रीजी को मिला है। लेकिन क्या सदन भी इस बात को लेकर उनके पीछे जाने की कोशिश करेगा कि किसानों के अहित में कानून बनाये जायें। क्या सदन माननीय राजस्व मंत्रीजी के कहने से ऐसा कानून बनवाने में सहयोग देगा? सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और राजस्व मंत्रीजी के प्रभावशाली और लचकीले आरग्यूमेंट्स के अन्दर न आकर सदन इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। मेरा ख्याल है कि सदन ऐसे किसानों की भावनाओं का आदर करेगा। जो किसान बाहर बैठकर यह सोचते हैं कि हमारे हित में कानून बनेंगे वह किसान आज का बना हुआ कानून पढ़कर देखेगा तो हम सब सदस्यों को वह किसान इस बात की उलाहना देगा कि एक मंत्री महोदय जो कि स्वयं किसान नहीं हैं और किसानों के कानून बनाते हैं जिनको किसानों की पीड़ा का मालूम नहीं हैं अगर सदन ने उनका साथ इस कानून बनाने में दिया तो किसानों के ऊपर

(श्री भैरोंसिंह)

इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा । यह कानून एक तरह से प्रजातंत्र का विरोधी कानून है और इस तरह का है कि जो हिन्दुस्तान के अन्दर डेमोक्रेसी है और उसकी व्यवस्था में हम सब चीज़ों का संचालन करना चाहते हैं यह कानून बिलकुल प्रजातंत्र विरोधी है । लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब है किसी ज़मीन का जबरदस्ती उपयोग कराना । वास्तव में किसी वस्तु के उपयोग कराने में कम्पैल नहीं किया जा सकता लेकिन सरकार इस तरह से नियंत्रण रखे कि पैदावार के दृष्टिकोण को छोड़कर लोगों को ज़मीन पर मेहनत कराने पर बाध्य करे तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है । इसको कोई भी माननीय सदस्य नहीं मान सकता । एक आदमी से कहा जायेगा कि तुमको जबरदस्ती खेती करनी पड़ेगी इस तरह का कानून आप बना रहे हैं । एक काश्तकार की ज़मीन पड़ी हुई है और मान लीजिए कि उसके दो वर्ष निकल गए और जब यह गवर्नमेंट की निगाह में आयेगा तो कलेक्टर उसको नोटिस भेजेगा और उसको जबरदस्ती उस ज़मीन पर खेती करनी पड़ेगी । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस समय कलेक्टर का नोटिस मिलेगा तो नोटिस के मिलते ही वह किसान एक बात की और कोशिश करेगा कि जमीन को किस प्रकार से अपने ही कब्जे में रखी जाये और उसका केवल एक ही तरीका है कि या तो ज़मीन को काश्त करे या फिर ज़मीन को छोड़े । अगर वह उस ज़मीन में काश्त करेगा तो उसमें पैदावार होगी नहीं । उसको उस जमीन में काश्त करनी पड़ेगी जिसमें कि खाद नहीं डली है, उसके जोतने का जरिया नहीं किया है । उसके लिए उसके पास कलेक्टर का नोटिस आयेगा और उस नोटिस की काश्तकार को एक महीने के अन्दर मियाद की तालीम करनी पड़ेगी और जिस जमीन को काश्त के लिए तैयार नहीं किया उसमें हल चलाना पड़ेगा और जो उसके खाने का अनाज होगा वह जमीन में डालना पड़ेगा और अपनी आतड़ियों को सुकेड़ कर उस जमीन में अनाज डालकर पैदावार करने की कोशिश करेगा....

श्री **श्रीभानसिंह** : टाइम हो गया ।

श्री **भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी और बोलना है ।

श्री **तेजमल बापना** : अभी पांच दस मिनट में ही समाप्त कर लें ।

श्री **अनूपसिंह** : इसके बाद में और भी तो बोलेंगे । (Kindly see shilp)

दिनांक ७ मार्च, १९६० को मैंने अपनी मान्यता प्रकट की थी कि किसी संकल्प के प्रस्तावक को वादविवाद के पश्चात् उत्तर देने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

इसी प्रकार का एक प्रश्न ता० ३० मार्च को भी उठाया गया था । श्री जगदीशप्रसाद माथुर अपने प्रस्तुत किये गये अशासकीय संकल्प के सम्बन्ध में उत्तर देने का अधिकार चाहते थे किन्तु इस आसन की ओर से उक्त धारणा के आधार पर आज्ञा नहीं दी गई ।

Page No.111

(श्री अनोपसिंह)

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस सदन के नियमों के अन्तर्गत सदस्य केवल किसी संकल्प के सम्बन्ध में एक से अधिक बार नहीं बोल सकते हैं जब तक कि वे इस आसन से आज्ञा प्राप्त न करें। इस तरह सदस्य के बोलने के अधिकारों पर यद्यपि कुछ नियंत्रण रखा गया है किन्तु यह अध्यक्ष के अधिकारों की निरंकुश सत्ता के आधार पर न होकर समस्त सदन के वर्चस्व और नहीं है। इस आसन पर दायित्व प्रतिष्ठा के तत्वाधानी होने के कारण है अतः अध्यक्ष पर यह दायित्व है कि वह अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग सदन की सुविधाओं को सामने रखते हुए करे।

प्रस्तुत प्रश्न को मैंने नियम २७७ नियमावली के प्रकाश में अध्ययन किया है अतः मैं पहले दी गई व्यवस्था की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालना उचित समझता हूं। जैसा कि विदित है सदस्य एक ही संकल्प पर नियम २७७ उप नियम ३ के अन्तर्गत दो बार नहीं बोल सकते किन्तु इस सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य के लिये नियमों में अपवाद का प्रावधान हैं। इस उप नियम के प्रकाश में संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य अपने उत्तर देने के अधिकार को अपनाने हेतु एक बार और बोल सकते हैं और साधारणतया उसका यह उत्तर नियम २७८ के अन्तर्गत वाद–विवाद की समाप्ति का द्योतक है।

अतः कुछ अपवादों के अतिरिक्त संकल्प के प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु यह अधिकार विधेयक या संकल्प के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक को प्राप्त नहीं है जो उक्त सिद्धान्त का अपवाद स्वरूप है।

इसी आधार पर किसी प्रकार के विरोधाभास शंका एवं अस्पष्टता को निवारण करने हेतु मैंने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्टीकरण करना उपयुक्त समझा है।

(विराम)

We now adjonrn to meet on the 6th April, 1960 at 11A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर ५६ मिनट पर, दिनांक ६ अप्रेल, १९६० के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, २ अप्रैल, १९६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	६१८४		
रेवदार तहसील में ट्यूब वैल्स और सिंचाई की योजनाएं।			
ठिकाना खेतड़ी के गैस्ट हाउस के सूरजा पुत्र छोटू हरिजन को वेतन का भुगतान।			
चम्बल से आनेवाली बिजली के लिये जयपुर में शक्ति केन्द्र।			
सिरोही जिले में बारलूथ नदी पर उच्च-मार्ग (causeway) का निर्माण।			
भरतपुर शहर में हरिजनों के मोहल्लों में पानी पीने के नल।			
सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के कर्मचारी श्री जी० के० व्यास द्वारा गलत बिल बनाना।			
कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया खेरवाडा तथा सराडा, जिला उदयपुर में सर्वेक्षण कार्य।			
राजस्थान राज्य विद्युत मन्डल में नियुक्तियां।			
बीकानेर नगरपालिका के कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का वेतन।			
धौलपुर उप-जिले की नहरें।			
जौहरी बाजार, जयपुर की सड़क व्यवस्था में परिवर्त्तन।			
महुवा से हिन्डौन तक डामर की सड़क।			
पुलिस विभाग में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियां।			
नीम का थाना तहसील के रायपुर पाटन बंध का निर्माण कार्य।			
जयपुर पावर हाउस के मीटर रीडर्स।			
डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, जयपुर के ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही।			
जिला पाली के दान्तीवाड़ा, राजपुरा, लाटाड़ा व पांचलवाड़ा के बांधों का निर्माण कार्य।			
भीलवाड़ा नगरपालिका के चुंगी के नाकेदार श्री फतेहमुहम्मद के विरुद्ध कार्यवाही।			

गंगापुर से आगनवास-लिवाली होती हुई लालसोट तक बस सर्विस।

विद्युत की बकाया रकम की वसूली।

बयाना, जिला भरतपुर में नये बिजलीघर की योजना।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों का निर्माण।

भरतपुर के आजान बांध के ऊपर के रास्तों में उपयुक्त व्यवस्था।

उदयपुर-जयसमन्द सड़क।

नगरपालिका बांरा द्वारा मैला ढोने में हाथ के ठेलों का उपयोग।

एडवर्ड मिल, ब्यावर के मजदूरों की छंटनी सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव ६२२४

एडवर्ड मिल, ब्यावर के मजदूरों की छंटनी आदि के संबंध में जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री लच्छूराम ने दी थी उसे प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

उक्त विषय पर श्री भीखाभाई, सिंचाई मंत्री द्वारा एक वक्तव्य भी दिया गया।

जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९६०-६१, से नामजदगी के पर्चों का वापस लेना।

आज निम्नांकित सदस्यों ने अपने २ नाम वापस ले लिये:—

जनलेखा समिति

१. श्री मोगजी भाई।

२. श्री प्रभुलाल पुरोहित।

प्राक्कलन समिति

श्री मोगजी भाई।

जनलेखा समिति १९६०-६१ के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा जनलेखा समिति, १९६०-६१ के निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित किये गये जो इस प्रकार हैं:—

१. श्री भीमसेन

२. श्री परसराम मदेरना।

३. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

४. श्री हरिदेव जोशी

५. श्रीमती सुमित्रा
६. श्री श्रीमानसिंह
७. श्री भवानीशंकर नन्दवाना
८ श्री लच्छूराम
९. श्री तनसिंह
१० श्री भैरोंसिंह (१४)

विधायी कार्य
विचारार्थ लिये गये विधेयक :
१. राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १९६०

उपरोक्त विधेयक पर दिनांक १ अप्रेल, १९६० को की गई बहस का उत्तर आज राजस्व मंत्री द्वारा दिया गया। रावराजा श्री सरदारसिंह एवं श्री अनूपसिंह के संशोधन अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाकर उस पर खंडश: विचार आरम्भ हुआ:—

खंड २ से ६:-संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खंड ७:-बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खंड १, अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना और नाम आदि:— स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित भी किया गया।

२. राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० ६२३१

श्री रामचन्द्र चौधरी, मंत्री, आबकारी एवं कर विभाग ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३. राजस्थान कृषि-भूमि उपभोग (संशोधन) विधेयक, १९६०.

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री पी० के० चौधरी ने इस आशय का संशोधन रखा कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन इसी सत्र में प्रस्तुत करे।

इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

२. श्री मोगजी भाई

३. श्री पुरुषोत्तमलाल

राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन अस्वीकार किया गया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री ने विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस प्रस्ताव पर श्री भैरोंसिंह (१४) अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि सदन की बैठक ४ बज कर ५६ मिनट पर, बुधवार, दिनांक ६ अप्रैल, १९६० को प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक ६ अप्रैल, १९६० की कार्य सूची

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के आय-व्ययक, १९६०–६१ के विवरण पर सदन में वाद–विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८१५ का उत्तर देखिये)

तहसील कोटढा :—बेंस टैंक; बाकल स्वर, गांधी सरन टैंक ।

तहसील फलासिया :—फला सिया टैंक, फाडोल टैंक ग्रांइट, श्यामा का तालाब बम्बासा ।

तहसील गोगुन्दा :—मादेलना, भाटों का सायरा कमोल, फुना तालाब ढाल, सायरा, सुनहरा टैंक ।

तहसील खैरवाड़ा :—भूदर की पाल टैंक साम पक्का वयर और उसकी नहरें, द्वारा टैंक, हाथियों का नाका; पयला वाला टैंक,घोड़ा तालाब अवास ।

तहसील खराड़ा :—चावेन्ड टैंक, केवड, हरचन्द, श्यामपुरा, इन्टाला खेड़ा, बड़नाम, पलाघर, सालड, सुरखण्ड, टोकर, रठोड़ा, जाम्बूडा, नठारा कटौसी, भौराई, लैपुर, बड़नाम, श्यामपुर सेवारा, टोडा, बदवास ।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८२५ का उत्तर देखिये)

Government of Rajasthan.

Commerce and Industries Department.

No. F. 11 (1) C. & I. 'A'/52. Jaipur the 3rd June, 1952.

The Government hereby orders that Shri Shravan Kumar Office Superintendent, Burean of Statisties, Rajasthan, Jaipur be suspended with immediate effect and that a regular departmental enquiry to held into his conduct for charges of indiscipline and disobedience.

During the period of suspension Shri Shravan Kumar will draw subsistance allowance equal to 1/4th of his pay.

Sd/-Chandra Pal Singh.
Secretary to the Government
Commerce and Industries Department.

CHARGES AGAIN SHRI SHARVAN KUMAR OFFICE SUPERINTENDENT BUREAU OF STATISTICS.

1. That he has been disebeying express orders of the C. S. O.

2. That he his been making comments in writing on office orders issued under the signatures of the C. S. OI

3. That he has been submitting numbered office notes to the C. S. O. in cases in which he ought to have taken prior instruct one from him personally.

4. That he has been submitting copies of representations and other communications signed by him to authorities higher than the Chief Statistical Officer directly heredy ignoring the authority of his immediate Head of the Department.

5. That he has been inserting unnecessary and uncalled for remarks and comments in the attendance register and other documents against the express orders of the C. S. D.

6. That he has been arrangant in his behaviour with the C. S. D. and in Office notes and representations he has been using language unbecoming of a subordinate officer and making frive-lous charges.

7. That he has been responsible for creating indiscipline among the staff who were encouraged to make a joint representation about their alleged griavences which he forwarded in his own signatures to the Government.

8. That he has been creating misunderstanding between the C. S. O. and subordinate staff.

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २ अप्रैल, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६१९३	अन्तिमसे५,६	(गोगुन्दा मु०)	(गोगुन्दा)
६१९५	१२	बीगानेर	बीकानेर
६२०४	अन्तिम से २	इन्फोर्मशन	इन्फोर्मेशन
६२०९	,, ,, ३	मुओत्तिक	मुअत्तिल
६२११	३	टैन्डस मंजूर	टेन्डर्स मंजूर
६२१२	५	निम्नलिखति	निम्नलिखित
६२१२-१३	शीर्ष	-२अप्रल	-२अप्रेल
६२१५	१०	(गृह मंत्री)	(गृह मंत्री)
६२१७	अन्तिम से४	रोड वगैरर	रोड वगैरह
६२२३	,, ,, ५	कछावहा	कछवाहा
६२२४	शीर्ष	(श्री उम्मेदीलाल)	(श्री अध्यक्ष)
६२२५	,,	क्थगन प्रम्ताव	स्थगन प्रस्ताव
६२२८	,,	मिक्त व्यापार	मिल व्यावर
६२३०	८	इस मेरा	मेरा इस
६२३२	अन्तिम से	जिसके आधार	जिनके आधार
६२३४	१६	लार्ज होडिंग	लार्ज होल्डिंग
६२३६	३	उसी के ऊपर	उन्हीं के ऊपर
६२४१	२२	(आश्रव्य) करना	ऑब्जर्व करना
६२४६	शीर्ष	२६४६	६२४६
,,	२०	लागू होगा	लागू होगा
६२४९	११	youcialm	you claim
६२५७	१०	pucc a well	pucca well
६२५९	२०	भीलवाड़, चित्तौड़	भीलवाड़ा, चित्तौड़
६२६१	अन्तिमसे ३	नये ल ान	नये लगान
६२६८	९	be Substitute	be substituted
६२७०	शीर्ष	६७२०	६२७०
६२७६	४	१२॥ में पर्सेन्ट	१२॥ पर्सेंट में
६२७८	अन्तिम से ६	वह २२९, पेज	वह पेज २२९,
६२७९	२२	दी जावं	दी जायं
६२८५	२४	श्री अपनूसिंह	श्री अनूपसिंह

Page No.120

१	२	३	४
६२८५	अन्तिम से ३	प्रोगेसिंह रैंट	प्रोग्रेसिव रैंट
६२८७	१८	आन्ध में	आन्ध्र में
६२८८	६	में अपना	में मैं अपना
६२९०	२२	स्वले कौन सी	स्लैब कौनसी
६२९४	शीर्ष	(श्री श्रीमानसिंह)	(श्री श्रीभानसिंह)
६३००	२३	केल्कुशन के	कैल्कुलेशन के
६३०७	१४	श्री अनोपसिंह	श्री अनूपसिंह
६३१४	अन्तिम से ४	श्री अपनूसिंह	,, ,,
६३१६	२३	Rountry case	Country race
,,	२४	and study	and steady
६३१७	१५	बसलिए	इसलिए
६३३०	१७	Coveser	Convessed
३३५	५	िस जमीन	जिस जमीन
६३४०	अन्तिम से २	बजार, ज ापुर)	बाजार, जयपुर)
६३४१	१५	कुछ डिस्ट्रिक्स	कुछ डिस्ट्रिक्ट्स
६३४२	अन्तिम २ पंक्ति सेऊपर		
६३४३	१७	Challange them	Challenge them
६३४७	शीर्ष	विधेपक	विधेयक
६३६७	१६	विल १९६०,	बिल, १९६०
६३६८–६९	शीर्ष	राजस्थान कृषि-भूमि उपभोग-२ अप्रेल, ६० (संशोधन) विधेयक, १९६०	कृषि आय–कर (संशोधन) विधेयक–२ अप्रेल,६०–कृषि भूमि (उपभोग) विधेयक
६३७० से ६४०५	शीर्ष ,,	उपभोग–२ अप्रेल, ६० (संशोधन)	(उपभोग)–२ अप्रेल,. ६०— संशोधन
६३७४	२	कोदे देता	को दे देता
६३७८	शीर्ष	(श्री पी.के. चौधरी)	(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)
६३८१	५–६	Mr. Suribhan Singh	Mr. ShriBhan Singh
६३८४	१०	Hel'ble Minister	Hon'ble Minister
६३८८	१६	atter the	after
,,	२८	क्लाजाज़ को	क्लॉज़ेज़ को
६३८९	१४	please Contiue	please continue
६३९५	अन्तिम से ४	अनिश्चतता का	अनिश्चितता
६४००	२४	डवलेपमेंट	डेवलपमेंट
६४०१	१८	जायें। क्या	जाएं ? क्या
६४०३	४	ताली करनी	तामील करनी

(३)

१	२	३	४
६४०३	पंक्ति १७ के नीचे	—	(Kindly see slip
६४०६	पंक्ति ६ के सामने	—	६२३०
६४१०	पंक्ति १० के सामने	—	६२३१
६४११	पंक्ति ४ के सामने	६२३१	६३३७
,,	पंक्ति १५ के सामने	—	६३३८
६४१४	अन्तिमसे ३	तहसील खराड़ा	तहसील सराड़ा
६४१५	७	statisties	statistics
६४१६	प्रथम	AGAIN SHRI	AGAINST SHRI